राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ७ | द्वितीय विधान सभा के सातवें सत्र का १६ वां दिवस | संख्या १५

शुक्रवार, १८ दिसम्बर, १९५९

विधान सभा की बैठक प्रातः ११ बजकर १४ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(सिंचाई, गृह, कृषि, विकास, वाणिज्य, सामान्य प्रशासन, सहकारिता, उद्योग, सार्वजनिक निर्माण, शिक्षा, विद्युत् वन तथा यातायात-विभाग)

प्रश्न संख्या ४४६ (ए)

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या ४४७

श्री धर्मपाल पवार।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

महाराज श्री हुकमसिंह।

डाक सेन्सर करने की योजना

४४८. **महाराज श्री हुकमसिंह** (जैसलमेर) श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) द्वारा पूछा गया : क्या गृह मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने कुछ व्यक्तियों की डाक सेन्सर करने की योजना बनाई है तथा तदनुसार डाक व तार विभाग से भी लिखा पढ़ी की है ?

(२) यदि हां, तो कृपया मय कारणों के उक्त व्यक्तियों की सूची मय पता सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह भी सही है कि उक्त व्यक्तियों की डाक १०, १० दिन तक रोकी जाती है ?

उप-मन्त्री, गृह विभाग (श्री भीखाभाई): (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही उपस्थित नही होता।

(३) प्रश्न ही उपस्थित नही होता।

श्री अध्यक्ष : श्री मंगलसिंह।

Page No.2

जिला नागोर के कृषि अधिकारी द्वारा जबार के बीज को सेम्पल मुताबिक नहीं खरीदना

४४६. **श्री मंगलसिंह** (राणीवाडा श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) द्वारा पूछा गया) : क्या कृषि मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे।

(१) क्या यह सही है कि जिला नागोर के कृषि अधिकारी ने दि० ६-३-५६ से दि० १-५-५६ तक जवार का बीज खरीदा ? यदि हां, तो उस समय बाजार रेंट क्या थी तथा वह किस रेंट से खरीदा गया ?

(२) क्या यह भी सही है कि उक्त बीज सेम्पल के मुताबिक नहीं खरीदा गया ?

उप-मंत्री, कृषि विभाग (श्री दौलतराम सारण) : (१) जवार बीज ६-३-१६५६ से १-५-५६ तक नही खरीदा गया परन्तु यह दिनांक ३-३-५६ तथा ६-३-५६ को खरीदा गया था। खरीद के समय बाजार रेंट रु० १६ से १७ प्रति मन थी और इन्हीं दरों पर यह बीज खरीदा गया था।

(२) यह सही नहीं है। बीज सेम्पल मुताबिक ही खरीदा गया था।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

ग्राम बनेठा (उनियारा) में श्री जनसी माली की बहन की मृत्यु

४५०. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) द्वारा पूछा गया) : क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ८-११-५६ को ग्राम बनेठा, तहसील उनियारा, डिस्ट्रिक्ट टोंक में जनसी नामक माली की बहन की मृत्यु हुई है ?

(२) अगर हां, तो किस स्थान पर व कैसे ?

(३) क्या इसकी रिपोर्ट थाना व चौकी में दर्ज हुई है ?

(४) क्या उसका पोस्ट मार्टम हुआ है ? अगर हां, तो मेडिकल ऑफिसर की क्या रिपोर्ट है ?

उप-मन्त्री, गृह (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां, जनसी-माली की बहिन की मृत्यु बनेठा ग्राम में हुई थी।

(२) वह दौरे (फिट्स) आने के कारण गांव के तालाब में डूब कर मर गई थी।

(३) व (४). जी नहीं। क्योंकि इस मामले की पुलिस में रिपोर्ट नहीं हुई इसलिए लाश का पोस्टमार्टम नहीं किया गया था।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं हुई ?

श्री भीखाभाई : कुछ तो पटेल वगैरह थे उनकी गफलत के कारण।

श्री पी० के० चौधरी : पटेल वगैरह के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है ?

श्री भीखाभाई : जी हां, उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।

श्री पी० के० चौधरी : क्या कार्यवाही की........

श्री भीखाभाई : कानून के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : बीमारी के कारण वह अगर चली गई और डूब गई तालाब में तो कार्यवाही कैसे पटेलों के खिलाफ की जा रही है ?

श्री भीखाभाई : मर गई तो उनके खिलाफ कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जो आदमी इत्तिला देने से कासिर रहे उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष : श्री मंगलसिंह ।

उदयपुरवाटी विकास खंड के ओवरसियर द्वारा जाली सर्टिफिकेट दिया जाना

४५१. **श्री मंगलसिंह** (राणीवाडा—श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) द्वारा पूछा गया) : क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि उदयपुरवाटी विकास खण्ड के ओवरसियर ने करीब करीब सभी विकास खंडों से सहायता प्राप्त विकास कार्यों के लिये जाली सर्टिफिकेट्स दिये हैं ? सन् १९५७–५८ व १९५८-५९ में उक्त विकास खडों द्वारा सहायता प्राप्त विकास कार्यों की सूची मय सहायता रकम व लागत रकम के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(ख) क्या यह सही है कि ओवरसियर ने बी. डी. ओ. के दबाव में आकर ऐसा किया है ?

विकास मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) जी नहीं । सूची सदन को मेज पर रख दी गई है ।

(ख) जी नहीं ।

(कृपया परिशिष्ट संख्या १ देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

सिंचाई विभाग के मजदूरों को साप्ताहिक छुट्टी

४५२. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या सिंचाई विभाग के मजदूरों को साप्ताहिक छुट्टी मिलती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(ख) क्या सिंचाई विभाग के मजदूरों को राष्ट्रीय पर्वों के दिन भी सवैतनिक छुट्टी मिलती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री भीखाभाई) : (क) सिंचाई विभाग में मासिक तौर पर तनख्वाह पाने वाले वर्क चार्ज्ड मजदूरों को साप्ताहिक छुट्टी मिलती है जब कि दैनिक मजदूरों को यह छुट्टी देने का प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

(ख) जी हां ।

श्री मूलचन्द डागा : सरकार के विचाराधीन प्रश्न है तो जल्दी ही उसमें निर्णय लेने का प्रयास करेंगी ?

श्री भीखाभाई : इसके लिए आप स्वयं भी कोशिश करें तो अच्छा हो ।

श्री मूलचन्द डागा : हम तो कोशिश कर ही रहे हैं लेकिन सरकार का क्या विचार है ?

श्री भीखाभाई : आप भी कोशिश कर रहे हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं ।

(श्री भीखाभाई)

हमारी मिली जुली कोशिश जरूर सफल होगी।

प्रश्न संख्या ४५३

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री मंगलसिंह।

जिला नागोर के कृषि अधिकारी के अधीनस्थ ट्रक नं० आर० जे० एल० १७४१

४५४. **श्री मंगलसिंह** (राणीवाडा) श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) द्वारा पूछा गया : क्या कृषि मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सही है कि जिला नागोर के कृषि अधिकारी के अधीनस्थ ट्रक नं० आर० जे० एल० १७४१ का दिनांक १-२-५९ को नागोर से २० पेटियां लेकर मेड़ता आना लाग बुक में दर्ज है ?

(२) क्या यह भी सही है कि स्टाक रजिस्टर में उक्त दिन मेड़ता के लिए कोई सामान इश्यू नहीं हुआ है और न मेड़ता के सामान में आया हुआ सामान दर्ज है ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त ट्रिप का १२ गैलन पैट्रोल व १ गैलन मोबिल ऑयल लिया गया है ?

(४) यदि हां, तो क्या सरकार जांच करेगी कि वह ट्रक मेड़ता क्यों गया था ?

उप-मन्त्री, कृषि (श्री दौलतराम सारण) : (१) जिला कृषि अधिकारी, नागोर के अधीनस्थ ट्रक नं० आर० जे० एल० १७४१ कृषि प्रदर्शनी की सामग्री १-२-५९ को नागोर से मेड़ता लेने गई और उसका इन्द्राज भी लोग बुक में है।

(२) वह सामान प्रदर्शनी का गया है, वह रजिस्टर में दर्ज है।

(३) जी हां।

(४) उक्त ट्रक सरकारी काम से गया, इसलिए जांच का प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

औद्योगिक सर्वेक्षण

४५५. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या मन्त्री, वाणिज्य विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या राजस्थान का इन्डस्ट्रियल सर्वे हो चुका है ? यदि हां, तो कब ? अगर नहीं, तो अभी तक क्यों नहीं हुआ ?

(२) यदि इन्डस्ट्रियल सर्वे हुआ है तो राजस्थान में कौन कौन सी इन्डस्ट्रीज कहां कहां पनप सकती है और सरकार ने उन्हें पनपाने के लिए क्या क्या प्रयत्न आज तक किये हैं ?

उप-मन्त्री, वाणिज्य (श्री खिन्वचन्द धारीवाल) : (१) संचालक, आर्थिक एवं औद्योगिक सर्वेक्षण द्वारा पिछले दस महीनों से राजस्थान के सभी जिलों का सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(२) इस प्रश्न का जवाब देना इस वक्त संभव नहीं है, क्योंकि सर्वेक्षण अभी तक पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है।

Page No.5

श्री शंकरलाल (रायपुर) : जितना सर्वेक्षण हो गया है उसकी थोड़ी जानकारी दे दें।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अधूरी बात कहने से कोई फायदा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री मनरूपराम परिहार।

सूरी, खारची एवं सोजत तहसीलों में रबी अभियान के समय वितरित किया गया बीज

४५६. **श्री मनरूपराम परिहार** (खारची-सु०) : क्या कृषि मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगें :—

(१) पाली जिले की देसूरी, खारची एवं सोजत तहसीलों में गत वर्ष रबी अभियान के समय में कहां कहां, कितना कितना व कौन कौन सा बीज वितरित किया गया और उस पर बाड़ी किस दर से लगाई गई थी? सूची सदन की मेज रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि जितने बीज का वितरण करके खाद्यान्न की कमी की पूर्ति करने में जो धनराशि खर्च हुई थी उसमें से पैदावार में आधे बीज की भी वसूली नहीं हो पाई? यदि नहीं, तो कुल कितनी पैदावार हुई? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मन्त्री, कृषि (श्री दौलतराम सारण) : (१) इन तहसीलों में गेहूं और जौ का बीज वितरण किया गया था। जहां जहां जितना जितना बांटा गया उसकी सूची संलग्न है। बाड़ी साढ़े सात सेर फी मन काश्तकार से लगाई गई थी।

(२) यह सही नहीं है। वसूली ८० प्रतिशत से भी अधिक हुई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

प्रश्न संख्या ४५७

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा।

पर्यटन कार्यालयों की स्थापना

४५८. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगें :—

राजस्थान में किन किन स्थानों पर पर्यटन कार्यालय खोल दिये गये है और उनमें कितने सरकारी कर्मचारी किस किस पद पर कार्य करते हैं? प्रत्येक पर्यटन कार्यालय पर सालाना प्रशासनिक खर्चा कितना है?

मुख्य-मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : राजस्थान में निम्नलिखित स्थानों पर पर्यटन कार्यालय खोल दिये गये हैं जिनके सालाना प्रशासनिक व्यय तथा पद सहित कर्मचारियों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

स्थान	कर्मचारी तथा स्वीकृत पद		कुल साला खर्चा
१. उदयपुर	टूरिस्ट असिस्टेन्ट	१	
	कनिष्ट लेखक	१	रु० ७,५६०.००
	च० श्रेणी कर्मचारी	१	

Page No.6

(श्री मोहनलाल सुखाड़ियां)

२. माउन्ट आबू व बूंदी ६ मा बूँदीमा० आबू)	टूरिस्ट असिस्टेन्ट	१	
	कनिष्ट लेखक	१	रु० ७५६३.००
	च० श्रेणी कर्मचारी	१	
३. चित्तौगढ़	टूरिस्ट असिस्टेन्ट	१	
	कनिष्ट लेखक	१	रु० ५५२६.००
	च० श्रेणी कर्मचारी	१	
४. अजमेर	टूरिस्ट असिस्टेन्ट	१	
	कनिष्ट लेखक	१	रु० ७१३०.००
	च० श्रेणी कर्मचारी	१	
५. भरतपुर	टूरिस्ट असिस्टेन्ट	१	
	कनिष्ट लेखक	१	रु० ५५७१.००
	च० श्रेणी कर्मचारी	१	
६. जोधपुर	टूरिस्ट असिस्टेन्ट	१	रु० ६६२०.००
	च० श्रेणी कमचारी	१	
७. जयपुर	टूरिस्ट असिस्टेन्ट	१	
	कनिस्ट लेखक	१	रु० ८०००.००
	च० श्रेणी कर्मचारी	१	
			कुल योग ४८०००.००

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) : क्या राज्य सरकार कुम्भलगढ़ और राजसमन्द जैसे और खूबसूरत स्थानों में जहां टूरिस्ट आना पसन्द करते हैं कोई टूरिस्ट सेन्टरे स्थापित करना पसन्द करेगी क्योंकि यहां से हल्दी घाटी भी निकट है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : अभी विचार नहीं करेंगे ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : क्या टूरिस्ट सेन्टर्स पर स्टेट सर्किट हाउसेज़ हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : सभी स्थानों पर नहा हैं ।

श्री. जुगलकिशोर चतुर्वेदी : कहां कहां पर हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : उदयपुर माउन्ट आबू, अजमेर, भरतपुर, जोधपुर, और जयपुर में हैं ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : भरतपुर में सर्किट हाउस है या डाक बंगला ?

Page No.7

श्री मोहनलाल सुखाडिया : डाक बैंगलों को सर्किट हाउस में बदला है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या उसमें सर्किट हाउस की सारी सुविधाएं हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : सर्किट हाउस में खास तौर से खाने पीने की व्यवस्था होती है। यह सुविधा कुछ तो दी गई हैं, कुछ दी जा रही हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : बीकानेर और जैसलमेर में टूरिस्ट सेन्टर्स क्यों नहीं हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : टूरिस्ट वह पर आम तौर से जाते नहीं है टूरिस्ट सेन्टर्स वहां रखे जाते हैं, जहां पर फौरिन टूरिस्ट विशेष तौर से ज्यादा संख्या में जाते हों या जाने की सम्भावना हो।

श्री मुरलीधर व्यास : सुविधा देखकर जाते हैं। कहा जाता है कि जैसलमेर बड़ा ऐतिहासिक और देखने लायक स्थान है, दूर जरूर है लेकिन वहां पर और बीकानेर में टूरिस्ट सेन्टर्स क्यों नहीं नहीं खोले गये हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मेरे ख्याल से सर्व विदित है कि टूरिस्ट आम तौर से वहां जाते है जहां कम समय में जाकर लौट सकें और जैसलमेर आने-जाने में कितना समय लगता है यह आ . . त जानते हैं।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : क्या टूरिस्ट इसलिये नहीं जाते हैं कि वहां पर ठहरने की व्यवस्था नहीं है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : ऐसी बात नहीं है।

प्रश्न संख्या ४५९.

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४६०

श्री श्रीभानसिंह।

(अनुपस्थित कृपया-आगे देखिए)

डा० बहादुरसिंह।

शीशा उद्योग

४६१. **डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर) क्या उद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :--

(१) राजस्थान में कांच उद्योग के ह्रास के क्या कारण हैं ?

(२) राजस्थान में कांच उद्योग को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(३) क्या सरकार राजस्थान में कांच उद्योग की प्रगति के लिये गैर सरकारी सलाहकार समिति बनाने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री खिवचन्द धारीवाल) : (१) राजस्थान में कांच उद्योग के ह्रास के प्रमुख निम्न कारण हैं :-

(२) कांच उद्योगपतियों में इस उद्योग के अनुभव की कमी होना।

(३) कांच उद्योग के लिये प्रशिक्षित कारीगरों का अभाव।

(४) प्रबन्धकर्ताओं द्वारा अल्पशिक्षित प्राविधिक कर्मचारियों से कार्य लेना।

(श्री रिखबचंद धारीवाल)

(५) उद्योग के साझेदारों में सहयोग का अभाव।

(६) उद्योगों में पर्याप्त धनराशि का अभाव।

(७) राजस्थान के कारखानों में बने माल का स्वचालित कारखानों के माल से महंगा होना।

(२) राजस्थान सरकार द्वारा कांच उद्योग की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिये सरकारी एवं गैरसरकारी सदस्यों की एक समिति बनाई गई थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी है। समिति की सिफारिशें जिलाधीशों एवं उद्योग विभाग के सहायक संचालकों के पास प्रेषित की जा चुकी हैं ताकि इस उद्योग में रुचि रखने वालों को मार्गदर्शन मिल सके।

(३) जी नहीं।

डॉ० बहादुरसिंह : जब आपने ह्रास के कारण बताये हैं तो राजस्थान में प्रोडक्शन कम हुआ, इसका क्या कारण है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि राजस्थान में करीब करीब ७ ग्लास फेक्ट्रीज़ थीं जिनके बारे में प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बताया गया है कि उनमें से एक चल रही है, बाकी सब बन्द हैं। इसलिये नेचुरली प्रोडक्शन कम होना चाहिये। बहुत-सी ऐसी हैं जो स्टार्ट ही नहीं हुई।

श्री महेन्द्रसिंह सेठ (राजखेड़ा) : ऐसी स्कूलें क्यों नहीं खोली जाती जिनमें यह काम लोग सीख सकें और कारखाने चला सकें ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जो स्किल्ड लेबरर्स हैं वे राजस्थान में प्रायः मिलते नहीं हैं। ट्रेनिंग के लिये बाहर भी भेजे जा सकते हैं और बाहर से इम्पोर्ट होकर भी आते हैं। सबसे बड़ा कारण नहीं चलने का यही है। जिसको प्रशिक्षण के बारे में रुचि है या जो रुचि रखते हैं उनको भेजा जा सकता है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या इसका कारण यह भी है कि ग्लास उद्योग के प्रति सरकार की उदासीन नीति है और इस कारण से ग्लास फेक्ट्रीज़ बन्द हो रही हैं ?

श्री रिखबचन्द्र धारीवाल : कतई नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : बीकानेर की ग्लास फैक्ट्री किस कारण से बन्द पड़ी है ?

श्री रिखबचन्द्र धारीवाल : पार्टनर्स के आपसी झगड़ों के कारण बन्द है। सरकार की कोई उदासीन नीति नहीं है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बताया है कि कई कठिनाइयां हैं जिन पर वश नहीं चलता। सरकार सहायता करने के लिये तैयार है और उसकी कोई उदासीन नीति नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : आपसी झगड़ों के साथ साथ सरकार के सामने प्रश्न रखा था कि पानी और बिजली के झगड़े के बारे में जल्दी ही सैटलमेंन्ट कर दें ताकि काम शीघ्र ही शुरू कर सकें। सरकार ने यह सैटलमेंन्ट कराया नहीं इसलिये काम शुरू नहीं हो सका। सरकार की इसमें उपेक्षा की नीति रही ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सरकार की उदासीन नीति बिल्कुल नहीं रही। पार्टनर्स आपस में झगड़ते रहे। बीकानेर ग्लास फेक्ट्री

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

की हालत ऐसी है कि वह बिल्कुल अस्त व्यस्त हालत में पड़ी हुई है। जिस आदमी का मकान है वह भी झगड़े में है. यह कहना कि सरकार के कारण हुई, गलत है।

डॉ० बहादुरसिंह : राजस्थान में ग्लास फैक्ट्रीज का प्रोडक्शन गिर रहा है, उस पर नियंत्रण करने के लिये क्या किया जा रहा है?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : धौलपुर ग्लास फैक्ट्री के बारे में जहां तक जानकारी है, उसका प्रोडक्शन गिर नहीं रहा है। वह एक अच्छी फैक्ट्री है और साइन्टिफिक इन्स्ट्रूमेन्ट बनाती है। यदि आप प्रोडक्शन गिरने की जानकारी देंगे तो उनसे पूछ कर बताया जा सकता है कि यदि गिरा है तो किस कारण से गिरा है?

डॉ० बहादुरसिंह : धौलपुर ग्लास फैक्ट्री का प्रोडक्शन भी गिरा है और जहां तक इन्फार्मेशन है, ४० पर्सेन्ट और गिर गया है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आप यह सूचना दे रहे हैं, इस बारे में मैं ऑफ हैन्ड तो कुछ नहीं कह सकता लेकिन यदि कोई कठिनाई होगी तो उसे दूर करने की कोशिश करेंगे।

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) :क्या उदयपुर में ग्लास फैक्ट्री है? यदि है तो कब शुरू हुई और कब खत्म हुई?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दिया है।

श्री मनोहर कोठारी : यह कब शुरू हुई?

श्री अध्यक्ष : कागज में हुआ है तभी रिपोर्ट में आया है।

श्री सूबेदारसिंह (बाड़ी) : क्या यह सही है कि बिजली की रेट ज्यादा होने से कांच उद्योग नहीं पनप रहा है?

श्री अध्यक्ष : बिजली की रेट ज्यादा होने से उद्योग नहीं पनप रहा है क्या?

श्री रिखबचन्द धारीलाल : बिजली की रेट सभी उद्योगों के लिये एकसी है। कुछ रेट ज्यादा जरूर है लेकिन अभी कन्सेशन्स दिये हैं उनमें कम किया है। जैसी यहां की पावर पोजीशन है उसको देखते हुए यहां पर बिजली कम है और रेट ज्यादा है इसमें शक नहीं।

श्री सूबेदारसिंह : क्या अन्य प्रान्तों में बिजली जिस दर से मिलती है उस आधार पर यहां भी देने के लिये तैयार हैं?

श्री रिखबचन्द धारीधाल : जो कन्सेशन्स अभी दिये हैं उनसे आगे नहीं जा सकते।

श्री मुरलीधर व्यास : अभी कहा गया कि बीकानेर की ग्लास फैक्ट्री आपसी झगड़ों के कारण बंद पड़ी है और सरकार को भी उससे पैसा लेना है जिसका सैटलमेंट नहीं होता। आपने फर्माया कि स्थिति खराब है, ऐसी स्थिति में सरकार क्या कदम उठाना चाहती है जिससे फैक्ट्री पुनः प्रारम्भ हो सके?

Page No.10

श्री रिखबचन्द धारीवाल : कितनी ही मर्तबा उनसे बातचीत की गई, आपसी झगड़ा पार्टनर्स का निपटाने के लिये कहा गया, इसके लिये सरकार बहुत प्रयत्नशील है कि ग्लास इन्डस्ट्री लगे। इसके उपरान्त भी आपसी झगड़े तय नहीं करते हैं तो यह तरीका होता है कि एक छोड़ दे और दूसरा उसे ले ले। अभी मालूम हुआ है कि एक पार्टनर ने उसे ले लिया है। आगे कदम और उठायेंगे।

डॉ बहादुरसिंह : ग्लास उद्योग का धीरे धीरे ह्रास हो रहा है तो सलाहकार मंडल क्यों नहीं स्थापित करने को तैयार हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : रिपोर्ट इसीलिये हैं। रिपोर्ट मुलाहिज़ा करेंगे तो उसमें सारी बातें आ गई हैं, उस पर सरकार विचार कर रही है।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या आप उस रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत करेंगे ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मुझे इस पर ऐतराज नहीं है, यह कोई कॉन्फिडेशियल डॉक्युमेंट नहीं है। आप कहें तो आपको भी उसकी कापी दे सकता हूँ, औरों को भी दी है।

श्री सूबेदारसिंह : चीफ मिनिस्टर ने जो टैक्स डिक्लेयर की हैं, उससे क्या असर पड़ेगा, कांच उद्योग पर ? सरकार का क्या ख्याल है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया है कि उससे काफी असर पड़ेगा। उसके बाद ज्यों ज्यों हमारी पॉवर की पोज़ीशन अच्छी होगी, कुछ सस्ती बिजली मिल सकती है। उसके बाद सस्ताई हो सकती है।

श्री मुरलीधर व्यास : इस प्रश्न के सम्बन्ध में कहा गया था कि इसकी अच्छी हालत है, सरकार का पैसा आ जायगा। अब यह कहा जा रहा है कि हालत जैसी थी, उससे अधिक खराब हो गई है, आपस में झगड़े निपटाते नहीं है। सरकार अपने कब्जे में ले ले, किसी न किसी प्रकार

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उसमें निवेदन यह है कि सरकार का रुपया जरूर है और सरकार प्रयत्नशील है कि उसे नीलाम करवा कर पैसा वसूल कर ले। वैसे कोशिश यह है कि किसी सूरत में यह इन्डस्ट्री चले और इस सिलसिले में काफी कोशिश कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह।

श्री मुरलीधर व्यास : कांच उद्योग का विकास करना है, बेकारी की समस्या हल करनी है, तो इसे सरकार को ले लेना चाहिए।

प्रश्न संख्या ४६२।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उस पर विचार कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

मेड़ता से जेतारण जाने वाली कच्ची सड़क को पक्का बनवाया जाना

४६३ **श्री शंकरलाल** (रायपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

Page No.11

(श्री शंकरलाल)

(१) क्या यह सही है कि जोधपुर डिवीज़न में मेडता से जैतारण जाने वाली कच्ची सड़क जीर्णशीर्ण अवस्था में है ?

(२) क्या सरकार उक्त सड़क को पक्की बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जावेगा ?

मंत्री सार्वजनिक निर्माण (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) मेड़ता से जेतारण जाने वाली सड़क ग्रेवल की है जो मामूली खराब हालत में है।

(२) यह सड़क अभी किसी योजना में स्वीकृत नहीं है, अत : प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री शंकरलाल : तो सरकार इसको योजना में लाने का विचार करेगी या नहीं ? यह बहुत जरूरी रोड है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह जरूरी रोड है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में विचार करेंगे ।

प्रश्न संख्या ४६४

श्री अध्यक्ष : श्री सोहनलाल भटनागर

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा ।

सरकार द्वारा संचालित गौशालायें

४६५. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) :- क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) सरकार द्वारा कितनी गौशालाओं का संचालन होता है और कौन कौन सी गौशालाओं को सरकार कितनी कितनी सहायता देती है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(२) जिन गौशालाओं को सरकार आर्थिक सहायता देती है उनमें कितनी गायें हैं ?

उप-मंत्री, कृषि (श्री दौलतराम सारण):- (१) व (२) वांछित जानकारी की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री मूलचन्द डागा : एक जगह जहां पर केवल ५३ गायें हैं, वहां मदद दे रहे हैं १२६०० रु० की और जहां २७७ गायें हैं, वहां २६०० रु० की मदद दे रहे हैं, यह इतना अन्तर कैसे है ?

श्री दौलतराम सारण : मदद गायों की संख्या पर नहीं दी जाती है, मदद देने की कुछ शर्तें हैं, उनके अनुसार दी जाती है। केवल पिंजरापोल को मदद नहीं दी जाती है, गौशालाओं का सुधार करें, अच्छी नस्ल के बछड़े-बछड़ी तैयार करें, दूध ज्यादा पैदा करें, इसके लिए मदद दी जाती है। ५३ गायें ऐसी हो सकती हैं कि सब की सब गायें ज्यादा अच्छी हों, और वे लोग ज्यादा अच्छी तरह काम करते हैं, ज्यादा अच्छी नस्ल तैयार करते हो।

श्री मूलचन्द डागा : क्या ५३ गायें इतनी दूध देती हैं जितना २७७ गायें देती हैं।

श्री दौलतराम सारण : २७७ गायों से भी ज्यादा दे सकती है, ५०० गायों से भी ज्यादा दे सकती हैं ।

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) :- आप मान लीजिये की बात कर रहे हैं, मान लीजिये ५३ गायें ज्यादा अच्छी हैं, मान लीजिये वहां की व्यवस्था अच्छी हो रही है।

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन किया कि गौशालाओं को जो सहायता दी जाती है, वह कुछ शर्तों पर दी जाती है, जो गौशालाएं उन शर्तों को फुलफिल करती हैं, उनको सहायता अधिक दी जाती है ?

श्री मूलचन्द डागा : वे शर्तें क्या हैं ?

श्री दौलतराम सारण : वे काफी लम्बी चौड़ी हैं; अच्छा मैनेजमेन्ट हो.......

श्री मूलचन्द डागा : लम्बी-चौड़ी शर्तें नहीं सुनना चाहता, कुछ खास-खास बताइये

(हंसी)

श्री दौलतराम सारण : मैं बता रहा हूं : अच्छा मैनेजमेंट हो, ठीक देखभाल हो, पशुओं को बीमारी से बचाया जाय, अच्छी नस्ल के पशु तैयार किये जायं, अच्छे बछड़े-बछड़ियां तैयार की जायं, दूध बढ़ाया जाय....

श्री अध्यक्ष : इतनी शर्तें काफी हैं।

(हंसी)

श्री मनोहर कोठारी : नाथद्वारा मंदिर की गौशाला, मैं समझता हूं, राजस्थान में सबसे अच्छी गौशला हो सकती है और है, उसको मान्यता देकर उसको मदद देते हैं क्या ?

कृषि-मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : वे लेने को तैयार नहीं हैं।

डा० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार जयपुर) : ५३ गायों वाली गौशाला कौन सी है ?

श्री अध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह।

श्री नाथूराम मिर्धा : भीलवाड़ा की है।

डॉ० बहादुरसिंह : भीलवाड़ा की गौशाला की गायें बहुत अच्छी हैं, नागौर से भी ज्यादा।

(हंसी)

नवीन संस्कृत पाठशालाएं खोले जाने के आधार

४६६.डा० बहादुरसिंह : (धौलपुर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:-

(१) संचालक, संस्कृत शिक्षा कार्यालय का बजट १६५८-५६ में क्या था तथा इसमें से कितना रुपया नवीन संस्कृत पाठशालाओं की स्थापना पर व्यय किया गया ?

(२) नवीन विद्यालय किस किस आधार पर खोले जाते हैं ?

(३) इस समय कितने विद्यालय संचालक संस्कृत के सीधे नियंत्रण में हैं और कितने ऐसे हैं जिनको सरकार सहायता देती है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द विश्नोई) :

(१) सन् ५८-५६ का बजट ५,११,०३७ रु० था। सन् ५८-५६ में माह अक्टूबर में महापुरा में एक संस्कृत पाठशाला खोली गई जिस पर १५४० रु० खर्च हुआ।

(२) निम्न आधार पर खोले जाते हैं :—

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

१. १० मील के दायरे में कोई अन्य संस्कृत विद्यालय न हो।

२. जनता द्वारा उचित भवन की व्यवस्था की जावे जिसमें पूर्व प्रवेशिका तक ६ तथा प्रवेशिका तक ८ कमरे हों।

३. छात्रों की संख्या न्यूनतम ४० हो।

४. अध्यापक के रहने के लिये किराये पर भवन की व्यवस्था हो।

३. ३७ सरकारी तथा ४६ सहायता प्राप्त।

डा० बहादुरसिंह : एक नई संस्कृत पाठशाला खोली थी, सरकार ने जो पांच लाख संस्कृत के लिये रखे हैं, वे पर्याप्त हैं उसके लिये ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां।

डा० बहादुरसिंह : नई संस्कृत पाठशाला कितनी और खोलना चाहते हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अभी पहले की जो चल रही हैं उनकी हालत सुधारना चाहते हैं, उसके बाद और पाठशालायें खोलने का विचार करेंगे।

डा० बहादुरसिंह : उनकी हालत में क्या कमी है, आपने क्या कमी देखी है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : बिल्डिंग अच्छी नहीं है, उनके पास लाइब्रेरी अच्छी नहीं है और दूसरे इक्विपमेंट नहीं। पहले उनको सुधार दें, इसके बाद नई पाठशाला खोलेंगे।

प्रश्न सं० ४६७

श्री अध्यक्ष : श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री।

(अनुपस्थित- कृपया आगे देखिए)

श्री मूलचन्द डागा।

पाली खैरवा सड़क का स

४६८ **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

क्या पाली से खैरवा तक की सड़क बनाने का सर्वे सरकार ने कभी करवाया है ?

मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री नाथूराम मिर्धा) : जी नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी नहीं ?

(हंसी)

श्री नाथूराम मिर्धा : वह अभी बना नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

जयपुर में तथा इसके इर्दगिर्द क्षेत्र में बोन क्रशिंग प्लान्ट लगाया जाना

४६९ **श्री भैरों सिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या उद्योगमंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) जयपुर में तथा इसके आस पास के क्षेत्र में बोन क्रसिंग प्लान्ट लगाने के लिये किस किस सहकारी समिति को व किन किन व्यक्तियों को कब कब कितना कितना लोन दिया है ?

Page No.14

(श्री भैरोंसिंह)

(२) यह क्रशिंग प्लान्ट कब तक लग जाना चाहिए था? क्या यह सही है कि अभी तक क्रशिंग प्लान्ट नहीं लगा है? यदि हां, तो क्यों और अगर नहीं, तो कब कब लगा है?

(३) जिस जिस समिति ने तथा जिन जिन व्यक्तियों ने यह प्लान्ट नहीं लगाया है उसके सदस्य कौन कौन हैं तथा उन व्यक्तियों के क्या क्या नाम हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। उप मंत्री उद्योग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) :

(१) नव जीवन चर्म सहकारी समिति, जयपुर को मार्च, सन् १९५८ में १०,००० रु० का ऋण बोन क्रशिंग के लिये दिया गया था।

(२) क्रशिंग प्लान्ट लगने की कोई निश्चित अवधि निर्धारित नहीं थी।

क्रशिंग प्लान्ट खरीदा गया मगर बिजली न मिलने के कारण लगाया नहीं जा सका।

(३) नव जीवन सहकारी समिति के सदस्यों के नामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिए)

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि अभी तक कोई क्रशिंग प्लान्ट नहीं खरीदा गया है?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी नहीं खरीदा गया है मैंने निवेदन किया है कि खरीदा गया है।

श्री भैरोंसिंह : वह किसके अधिकार में है यदि खरीदा गया है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : खरीदने के बाद वह तो कोऑपरेटिव सोसायटी के अधिकार में आया।

श्री भैरोंसिंह : उस क्रशिंग प्लान्ट के खरीदने से पहले लोन स्वीकृत हुआ था या बाद में?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। बोन क्रशिंग के लिए लोन जरूर दिया गया था, मैं नहीं कह सकता कि उसके पहले कोई निगोसियेशन कर लिया था, या आ गया था, दरख्वास्त की थी। मैं यह जानकारी, डेफीनिटली मालूम करके बता सकूंगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि नियमों के अनुसार कोई मशीनरी खरीदने के वाऊचर जब तक सबमिट नहीं किये जाते तब तक लोन स्वीकार नहीं होता?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ऐसा है कि जो स्कीम होती है, उसके अनुसार उनको यह कहना पड़ता है कि मुझे मशीनरी फलां फलां जगह से खरीदनी है और इस तरह कुल रकम इतनी लगेगी, मशीन की खरीद करने में इतना रुपया लगेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह सारा का सारा विवरण वह देता है, उसकी जांच करने के बाद लोन सेंक्शन किया जाता है। मेरा निवेदन यह है कि जो रकम मशीनरी खरीद के लिए दी जाती है, वह जब तक मशीन न खरीदे, तब तक लोन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है।

श्री भैरों सिंह : क्या यह समझा जाय कि इस लोन को स्वीकार करने के अन्दर, जो नियम बने हुए हैं, उनका पालन किया गया?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी हां पालन किया गया, नियमों का पालन करके दिया गया।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि लोन की स्वीकृति होने से पहले वह प्लान्ट न खरीदा, गया बल्कि उसके डेढ़ साल के बाद प्लान्ट खरीदा गया था ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन कर दिया, आप बार-बार पूछते हैं कि प्लान्ट खरीदा या नहीं। मैंने कह दिया कि प्लान्ट खरीदा गया, उसके बाद आप कह रहे हैं, खरीदा गया, खरीदा गया, समझ में नहीं आता।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय लोन की स्वीकृति देने के बारे में सरकार ने डिसीजन लिया, उस समय सरकार के ध्यान में यह बात थी या नहीं कि सरकार बिजली नहीं दे सकती इसलिए प्लान्ट नहीं लगाया जाय ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : नहीं नहीं, यह बात नहीं थी। बिजली का सवाल यह था कि उन्हें बिजली मिल जायगी पर पांवर हाउस उनको बिजली नहीं दे सका। प्लान्ट खरीद लिया पर पॉवर हाउस से बिजली नहीं मिली इसलिये चल नहीं सका ?

श्री भैरों सिंह : तो इससे क्या यह समझ जाय कि अब भी पॉवर नहीं मिलेगा तो प्लान्ट बेकार पड़ा रहेगा और सरकार का जो इतना रुपया लगा है वह बेकार ब्लाक हुआ पड़ा रहेगा।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ऐसी बात नहीं है, हमें यह जानकारी मिली है कि ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि कि बिजली प्राप्त कर लें। बिजली नहीं मिलेगी तब तक तो प्लान्ट कैसे चल सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

भाखरा प्रोजेक्ट में सिंचाई एवं विद्युत् पर सरकार द्वारा किया जा रहा खर्चा

४७०. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर): क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) भाखरा प्रोजेक्ट में सिंचाई एवं विद्युत् पर अलग अलग कुल कितना खर्चा राजस्थान सरकार को करना पड़ रहा है ?

(२) भाखरा एरिया में बेटरमेंट लेवी की क्या रेट्स हैं तथा ये रेट्स किस आधार पर तय की गई हैं ? वर्तमान रेट्स से सरकार को कितनी आमदनी होती है ?

उप-मंत्री सिंचाई (श्री भीखाभाई) : राजस्थान का कुल २,२७,४६८ लाख रुपया एवं विद्युत् कार्य के लिये ५९५ लाख रुपया खर्च होने का अनुमान है।

(२) बेटरमेंट लेवी की दरें स्पेशल इरिगेशन चार्जेज एक्ट, १९५३ के अनुसार निर्धारित की गई हैं और अभी तक जिन जिन गांवों की रेट तय हो चुकी हैं वह एक ही किश्त में २०८) रु० प्रति एकड़ के हिसाब से है। यही दर सम्पूर्ण भूमि पर लगाने पर १२,३४,३५,१०२ रु० की आमदनी का अनुमान है।

श्री भीमसेन : यह बेटरमेंट लेवी की रेट तय करते समय क्या जो बिजली में खर्चा हो रहा है वह भी शामिल किया जा रहा है ?

Page No.16

श्री भीखाभाई : यह तो मैं इस समय अर्ज नहीं कर सकता पर पहले दर कम थी, फिर जब एक्ट एन्फोर्समेंट में आया, उसकी दर अर्ज कर दी।

श्री भीमसेन : बेटरमेंट लेवी तय करते समय जो कुल खर्चा हुआ उसके पर्सेंटेज के आधार पर वर्क आउट करके पर्सेंटेज निकालते हैं या किस तरह ?

श्री भीखाभाई : यह तो मैं इस वक्त नहीं बता सकता, पर जहां तक मेरी जानकारी है ऐसा लगता है कि विद्युत् की रेट्स नहीं लगाई गई हैं।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, यह तो मेरा प्रश्न था कि बेटरमेंट लेवी की रेट्स किस आधार पर तय की गई हैं ?

मंत्री, राजस्व (श्री दामोदरलाल व्यास): मैं निवेदन कर दूं बेटरमेंट लेवी के कानून के तहत वर्क आउट की जाती हैं। माननीय सदस्य देखेंगे तो इसके प्रोडक्शन के बेसिस पर मेच्योर्ड एरिया ही बताना है कि कितना प्रोडक्शन है, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, उसके अनुसार किया जाता है। विद्युत् के खर्च को शामिल नहीं किया जाता।

श्री भीमसेन : रेट्स मुकर्रर करते हैं तो पर एकड़ कैसे करते हैं ? आधार क्या है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : रेट्स मुकर्रर करने के लिये फार्मूला इसमें दिया हुआ है, प्रोडक्शन के लिये जब इर्रिगेशन मिलता है तो उसका फार्मूला है, माननीय सदस्य उस कानून की दफा को देख लें।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : वह इर्रिगेशन डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट दोनों ने मिल कर बनाया है ?

(हंसी)

श्री दामोदरलाल व्यास : जी, विधान सभा ने यह कानून फार्मूला बनाया है।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

शीप ब्रीडिंग फार्मस

४७१ **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) द्वारा पूछा गया, : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान में शीप ब्रीडिंग के लिये फार्म्स हैं ? अगर हां, तो सरकारी और प्राइवेट कितने कितने हैं ? कृपया सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या यह सही है कि प्राइवेट फार्म्स के मालिकों को पशु खरीदने के लिये सरकार द्वारा कोई धन राशि भी दी जाती है ? यदि हां, तो १९५८-५९ व १९५९-६० (अब तक) में कितनी कितनी धनराशि किन किन को दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त फार्म्स सरकार द्वारा रजिस्टर किये जाते हैं ? यदि हां, तो अब तक कितने फार्मस टोंक जिले में रजिस्टर हुए ?

उप-मंत्री, कृषि (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां। सरकारी फार्मों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। प्राइवेट फार्म्स की सूचना एकत्रित की जा रही है जिसमें समय लगेगा।

Page No.17

(श्री दौलतराम सारण)

(२) जी हां ; पशु पालन विभाग की ओर से ५८-५९ में लगभग ४४१ फार्म्स को १,८९,००० रुपया दिया गया है। ५९-६० में जो धन राशि दी जाने वाली है वह लगभग ७०, ००० रु० है। अलग अलग व्योरा प्राप्त किया जा रहा है।

(३) जी हां, अब तक टोंक जिले में केवल २ फार्मों को आरज़ी तौर पर रजिस्टर किया है। गैर सरकारी फार्म रजिस्टर किये जाते हैं पर आरजी तौर पर ही।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिए)

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : प्राइवेट फार्म्स को क्या फेसिलिटीज़ देते हैं ?

श्री दौलतराम सारण : सब तरह की फेसिलिटीज़ देते हैं, टेक्निकल एड्वाइज़ देते हैं, किस तरह ब्रीड सुधारना चाहिये, किस तरह ऊन काटना चाहिये आदि सब तरह की सलाह देते है, दवाइयां देते हैं, कीमत तो उनको देनी पड़ती है, मार्ग दर्शन दिया जाता है और कर्ज भी दिया जाता है

श्री लक्ष्मीचन्द : तकावी, सब्सीडी भी देते हैं क्या ?

श्री दौलतराम सारण : कर्ज देते हैं, निवेदन किया न।

प्रश्न संख्या ४७२

श्री अध्यक्ष : श्री सोहनलाल भटनागर।

(अनुपस्थित)

रावल श्री नरेन्द्रसिंह।

तहसील फुलेरा की कालख सागर की नहर के पानी का सही वितरण करना

४७३. **रावल श्री नरेन्द्रसिंह** (दूदू) : क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि तहसील फुलेरा की कालख सागर की नहर का पानी पहली मीलों में ही रोक कर सिंचाई कर दी जाती है व इसका सही वितरण नहीं होता ? यदि हां, तो इस विषय में सरकार क्या प्रबन्ध करना चाहती है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री भीखाभाई) : जी नहीं, जितना पानी बन्ध में हर साल आता है उसको दृष्टिगत रखते हुए जहां तक पानी देना सम्भव होता है दिया जाता है और पानी वितरण की व्यवस्था सम्बन्धित ग्रामों के पंचों की राय से की जाती है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में यह निवेदन है कि तीन जगह जाने का सवाल है। फुलेरा के हिस्सों में मौजमाबाद के भागों में और माधोराजपुरा तक पानी जाता है। पर पहले पांच-सात मीलों में ही पानी खत्म हो जाता है, कालख का पानी नहीं जाता है, प्रोडक्शन के लिहाज़ से और आमदनी के लिहाज़ से इसमें बड़ी दिक्कत पैदा होती है। पहले मोरी पक्के पत्थरों की दी गई थी...

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : माननीय अध्यक्ष, यह स्टेटमेंट दे रहे हैं या प्रश्न पूछ रहे हैं ?

Page No.18

श्री अध्यक्ष : प्रश्न बहुत लम्बा है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह तो वितरण ठीक होना चाहिए।

श्री भीखाभाई : वितरण ठीक ही होता है, पंचों की राय से वितरण होता है, अगर माननीय सदस्य चाहें तो माननीय सदस्य की भी राय ले लेंगे।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : आप वहां पधार कर देखेंगे तो पता चलेगा कि पानी सड़क से उरली तरफ ही खत्म हो जाता है।

श्री भीखाभाई : इस पर विचार किया जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन ?

राज्य हाथकर्घा उद्योग को प्रोत्साहन

४७४. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या उद्योग मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि खादी संस्थाओं से राज्य के विभागों में बिना टेन्डर मांगे कपड़ा खरीद सकते हैं ? अगर हां, तो हाथ कर्घा कपड़ा के लिये सरकार उपरोक्त नीति क्यों नहीं अपना रही है ?

(२) क्या यह सही है कि हाथ कर्घा के कपड़े का भाव निर्धारण उत्पत्ति केन्द्रों पर राज्य द्वारा मनोनीत कमेटियां करती हैं ?

उप-मन्त्री, उद्योग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) जी हां। खादी का कपड़ा बिना टेन्डर के खरीदा जाता है। हाथकर्घा का कपड़ा भी इसी प्रकार खरीदने का सवाल सरकार के विचाराधीन है।

(२) जी हां।

श्री भीमसेन : यह सरकार कब तक निर्णय ले लेगी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : कोशिश जल्दी ही लेने की की जायगी।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

लूणकरणसर स्टेशन पर रेलबोर्न टैन्क्स के जरिये आने वाले पानी को इकट्ठा करने हेतु निर्मित किया जा रहा हौज

४७५. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) लूणकरणसर स्टेशन, जिला बीकानेर पर रेलबोर्न टैन्क्स के जरिये आने वाले पानी को इकट्ठा करने हेतु हौज निर्माण के लिये सन् १९५९-६० में कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

(२) उस धनराशि को खर्च करने की स्वीकृति कब प्राप्त हुई ?

(३) क्या उक्त हौज निर्माण हेतु टेन्डर मांग लिये गये हैं ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(४) यह कार्य इसी वर्ष में सम्पन्न हो जाय, इसके लिये सरकार क्या कदम उठा रही ?

मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) धनराशि १०,२०७) रु० स्वीकृत हुई है।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

(२) यह स्वीकृति सरकार द्वारा पत्र संख्या एफ. (३१) एल. एस. जी. ५५ तारीख १०-८-५९ को तथा सुपरिन्टेडिंग इन्जीनियर, हैल्थ सर्किल, जयपुर द्वारा नं० एच. जी. १ (४८)· ५६।१९४५० तारीख १२-८-५९ को प्राप्त हुई।

(३) टेन्डर मांग लिये गए हैं। अन्तिम तिथि २१-१२-५९ है।

(४) टेन्डर स्वीकृत होने पर कार्य अलॉट कर दिया जावेगा और आशा है कि यह कार्य ३१-३-६० तक पूर्णतया सम्पन्न हो जावेगा।

श्री भीमसेन : क्या एड्मिनिस्ट्रेटिव सेक्शन दे दी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सारा बता दिया कि सेक्शन भी दे दी. टेन्डर मांग लिये अन्तिम तिथि २१-१२-५९ है।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट, सोजत, की अदालत में धारा १०९ सी. आर. पी. सी. के. अन्तर्गत जेर तजबीज मुकदमे

४७९. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या गृह मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट, सोजत की अदालत में कितने मुकदमात १०९ सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत जेर तजबीज हैं और कब से ?

(२) पिछले दो वर्षों में कितने मुकदमे एस० डी० एम० कोर्ट, सोजत में १०९ सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत फैसल हुए और उनमें से कितने मुकदमात खारिज हुए ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री भीखाभाई) : (१) एस० डी० एम० सोजत की अदालत में ६ मुकदमे धारा १०९ सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत जेर तजबीज हैं। जिनमें से ४ मुकदमे माह फरवरी, १९५९ से, १ मुकदमा अप्रेल, १९५९ से और १ मुकदमा मार्च, १९५९ से जेर तजवीज है।

(२) सन् १९५७ में जेर दफा १०९ सी. आर. पी. सी. ८ मुकदमे दर्ज हुए जो तमाम फैसल हो चुके हैं। चार गैरचालान रिहा हुए हैं। सन् १९५८ में १० मुकदमे दर्ज हुए, २ मुन्तकिल हुए, ८ में फैसले दिये गये, ६ गैरचालान रिहा हुए।

श्री मूलचन्द डागा : इन परिणामों से पता चलता है कि वहां की पुलिस अक्सर १०९ में यों ही चालान कर देती है ?

श्री भीखाभाई : यह सही नहीं है। हो सकता है कि वहां गुन्डागर्दी के मुकदमे ज्यादा रहे हों; वहां गुन्डागर्दी ज्यादा होती हो।

श्री मूलचन्द डागा : मैं यह पूछ रहा हूँ कि क्या पुलिस दफा १०९ में चालान बिना सोचे समझे कर देती है ?

श्री भीखाभाई : दफा १०७, १०८, १०९ और ११० ये प्रिवेन्टिव सेक्शन्स हैं....

श्री मूलचन्द डागा : १०७ और १०९ साथ मत करिये। इनमें फर्क है....

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : फर्क इसलिये आता है कि

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

पुलिस को शक होता है तो चालान कर देती है और मजिस्ट्रेट को डाउट होता है तो छोड़ देते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : पुलिस का इस तरह चालान करना गुनाह है।

श्री भीखाभाई : प्रिवेन्टिव में इस तरह मैं समझता हूँ करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : रावल श्री नरेन्द्रसिंह।

रूपनगर से फुलेरा तक सड़क बनवाना

४७७. रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि रूप नगर से फुलेरा तक सड़क नहीं होने से वहां की जनता को बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है?

(२) क्या सरकार का इरादा इस सड़क को बनाने का है?

(३) यदि हां, तो उक्त सड़क का कार्य कब शुरू होगा व कब खत्म हो जाने की आशा है?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी नहीं।

(२) रूपनगढ़ से नरायना तक सड़क बनाने का प्रावधान तृतीय पंचवर्षीय योजना में विचाराधीन है।

(३) अभी निश्चित नहीं कहा जा सकता है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : इसलिये अर्ज करना था कि वहां बहुत ज्यादा उनके व्यापारी हैं। रूपनगढ़ से फुलेरा सड़क नहीं होने से बड़ी दिक्कत हो रही है, इसके लिये त्वरा की जाय।

श्री नाथूराम मिर्धा : यों तो रूपनगढ़ फुलेरा से जुड़ा हुआ, सीधा लिंक नहीं है पर रूपनगढ़ किशनगढ़ से जुड़ा हुआ है, किशनगढ़ दूदू से जुड़ा हुआ है और दूदू नरायना से जुड़ा हुआ है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : सीधे बिना ऊन के व्यापारियों को बड़ी दिक्कत होती है।

श्री नाथूराम मिर्धा : वहां ऊन के व्यापारी रुके हुए तो नहीं। पर इसमें कोई दो राय नहीं कि सड़कें ज्यादा बने, पर इतने धन के अभाव में सैकिन्ड प्लान में कोई गुंजायश नहीं है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : थर्ड में किया जाय।

श्री नाथूराम मिर्धा : थर्ड में विचार करने की बात हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : श्री सूबेदारसिंह।

पार्वती बांध से सिंचाई

४७८. श्री सूबेदारसिंह (बाड़ी) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सच है कि उर्मिला सागर व रामसागर की नहरें और नलुए साफ नहीं कराए जाते हैं और पानी व्यर्थ जाता है? यदि हां, तो क्यों?

(श्री सूबेदारसिंह)

(२) उन नहरों की कुल लम्बाई कितनी है तथा इनकी मरम्मत में सन् ५४ से अब तक कितना रुपया खर्च किया गया है ?

(३) क्या सभी नहरों तथा नलुओं का पानी टेल (Tail) तक आबपाशी करता है ?

(४) क्या पार्वती बांध से इस वर्ष सिंचाई होगी ? यदि हां, तो पानी कब खोला जावेगा ?

उप-मन्त्री, सिचाई (श्री भीखाभाई) : (१) जी, नहीं।

(२) नहरों की कुल लम्बाई १३३ मील है व उनकी मरम्मत पर सन् ५४ से अब तक करीबन ३६,०००) रु० खर्च हुए हैं।

(३) सभी सरकारी नहरों पर पानी टेल तक जाता है। वाटरकोर्स द्वारा खेतों में जमींदार अपनी अपनी आवश्यकतानुसार आगे ले जाते हैं।

(४) जी हां, ता० १२ दिसम्बर से सिंचाई शुरू हो गई है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या नाले जगह जगह से टूटने के बाद भी सिंचाई होती है ?

श्री भीखाभाई : मैंने कहा कि १२ तारीख से सिंचाई शुरू हो गई है और मैंने खुदने चीफ इन्जीनियर से कन्फर्म किया था।

श्री सूबेदारसिंह : पिछले साल नहर जगह जगह पर टूटी और पानी इधर उधर गया उससे गड्डे भर गये, उनसे कितना नुकसान हुआ ?

श्री भीखाभाई : मैं तो इस बात का जवाब दे रहा हूँ वह इस वक्त का जो आपका प्रश्न है उसका है कि कितना खर्च हुआ।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या यह माना जावे कि नहर इस साल नहीं टूटेगी और सीधा पानी खेतों में पहुंचेगा।

श्री भीखाभाई : मैंने उत्तर में बता दिया है कि १२ तारीख से सिंचाई शुरू हो गई है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। रावराजा श्री सरदारसिंह।

मालपुरा व उनियारा में अधिक अन्न उत्पादन सम्बन्धी किये गये प्रयास

४७६. रावराजा श्री सरदारसिंह [उनियारा—श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) द्वारा पूछा गया] : क्या कृषि मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

क्या यह सत्य है कि भूतपूर्व जयपुर स्टेट में मालपुरा व उनियारा फूड ग्रेन्स पैदावार के लिहाज़ से सर्वप्रथम क्षेत्र समझे जाते थे ? अगर हां तो, राजस्थान बनने के बाद इन इलाकों में खाद्यान्न की पैदावार की वृद्धि के लिए क्या क्या कदम सरकार ने उठाये है ?

उप-मन्त्री, कृषि (श्री दौलतराम सारण) : भूतपूर्व जयपुर स्टेट में यह क्षेत्र कृषि उत्पादन की दृष्टि से अच्छे माने जाते थे। राजस्थान बनने के उपरान्त इन क्षेत्रों में कृषि उत्पादन की वृद्धि के लिये विभाग द्वारा अच्छे जाति के बीजों, औजारों का तथा

(श्री दौलतराम सारण)

विभिन्न प्रकार के खादों का वितरण किया गया तथा पम्प, अरट और ट्रैक्टर आदि खरीदने के लिये ऋण दिया गया तथा पौधों को कीड़ों से रक्षा करने की कार्यवाही भी की गई। इसके अलावा गांवों, में तालाबों की मरम्मत, हस्तचलित पौधे संरक्षक मशीन इत्यादि के लिये अनुदान स्वीकृत किया गया व खेतों पर मेड़-बंदी कराई गई।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या सरकार ने अनुमान लगाया कि इससे कितना फायदा हुआ ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भैरोंसिंह।

बेगूं तहसील के रेबारियों को फीस वसूल करने के बावजूद भी चराई की सुविधाएं नहीं देना

४८०. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या वन मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि चित्तौड़ जिले में रेबारियों से ऊंट चराने के लिए फीस ली जाती है ? यदि हां, तो यह फीस किस हिसाब से ली जाती है तथा उसके अनुसार सरकार द्वारा क्या क्या चराने की सुविधायें प्रदान की जाती हैं ?

(२) क्या यह सही है कि बेंगू तहसील के रेबारियों से यह फीस वसूल करने के बाद भी उनको चराने की सुविधाएं नहीं दी जाती हैं ?

(३) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध की शिकायत वहां के रेबारियों ने सम्बन्धित डी० एफ० ओ० को पेश की हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

वन मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां, २) रु० प्रति ऊंट प्रति वर्ष। प्रोटेक्टेड व अनक्लास्ड फोरेस्ट में चराने की इजाजत दी जाती है।

(२) जी नहीं।

(३) जी नहीं।

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) : क्या यह सही है कि चित्तौड़ के सिवाय उदयपुर में दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे फोरेस्ट्स हैं जिनमें इस प्रकार ऊंटों को चरने की इजाजत नहीं दी जाती हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा कि उदयपुर में इजाजत देते है और उसमें रोटेशन से इजाजत देते हैं। एक साल में एक हिस्से में चरने की इजाजत दी जाती है और दूसरे साल में दूसरे हिस्से में। यह कानून लागू है और इसको लागू करना बहुत लाजिमी है।

श्री मनोहर कोठारी : देवपुरा के क्षेत्र में रेबारियों को अभी तक ऊंटों को चराने की इजाजत नहीं दी गई है जबकि उनसे बाकायदा फीस वसूल की जाती है।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह अलग से प्रश्न है।

श्री मनोहर कोठारी : अगर वे पैसा देने के लिये तैयार है तो जिस तरह से चित्तौड़ में ऊंटों को चराने के लिये इजाजत

(श्री मनोहर कोठारी)

दी जाती है उसी प्रकार छानमाता के मन्दिर के आस पास में भी इजाजत दी जावेगी।

श्री नाथूराम मिर्धा : उनको भी दी जावेगी।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : ऊंट पेड़ों पर के पत्तों को चरते हैं और वे आपके पेड़ों के लिये कलम का काम करते हैं तो फिर उनमें यह फीस क्यों ली जाती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपके ध्यान में यह कलम है लेकिन हमारे ध्यान में यह कलम नहीं है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): गधों से चराई नहीं ली जाती है।

एक माननीय सदस्य : किशनगढ़ में में नहीं ली जाती है।

एक अन्य माननीय सदस्य : धौलपुर में ली जाती है।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। रावराजा श्री सरदारसिंह।

शेडो ब्लाक्स के विकास अधिकारी को दौरे करने हेतु जीप प्रदान करना

४८१. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) द्वारा पूछा गया : क्या विकास मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) राज्य में कहां कहां ब्लाक्स और कहां कहां शेडो ब्लाक्स हैं ?

(२) क्या यह सही है कि जहां ब्लाक्स हैं वहां तो बी० डी० ओज़० हैं और जहां शेडो ब्लाक्स हैं वहां विकास अधिकारी तहसीलदार है ?

(३) क्या यह सही है कि बी० डी० ओज़० के पास दौरा करने हेतु जीप आदि की सवारी की सुविधा प्राप्त है और शेडो ब्लाक्स में विकास अधिकारी के पास कोई सवारी का साधन प्राप्त नहीं है ?

(४) क्या बी० डी० ओज़० इस सुविधा के कारण सीमा में दौरा करते हैं और शेडो ब्लाक्स में विकास अधिकारी यह सुविधा न होने के कारण दौरा करने में असमर्थ हैं ?

(५) अगर हां, तो क्या सरकार विकास अधिकारियों को यह सवारी देने की व्यवस्था कर रही है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) जहां विकास खण्ड हैं वहां के विकास अधिकारी तो दौरा करते ही हैं, साथ ही शेडो ब्लाक्स के विकास अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में यातायात के अन्य साधनों द्वारा दौरा करते हैं।

(५) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिए)

श्री लक्ष्मीचन्द : जहां पर यातायात के साधन हैं वहां पर तो दौरा करते हैं और जहां

(श्री लक्ष्मीचन्द)

पर यातायात के साधन नहीं हैं वहाँ पर कैसे दौरा करते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ऊंट हैं, घोड़े हैं, बैलगाड़ी है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : आपने ऊंट, घोड़े, बैलगाड़ी आदि बताये उनमें पद यात्रा भी बतानी चाहिये। श्री विनोबाजी ग्रामदान में पद यात्रा ही करते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

स्थगित प्रश्न

कोटा जिले में खरीफ अभियान की दृष्टि से उठाये गये कदम

२९५. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपलदा सु०) : क्या कृषि मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) कोटा जिले में सन् १९५९ में खरीफ अभियान की दृष्टि से सरकार ने क्या क्या कदम उठाये हैं ?

(२) क्या यह सही है कि तहसील बड़ौद, दीगोद, इटावा, पीपल्दा, मांगरोल, अटरू, किशनगंज, शाहबाद, छबड़ा और छीपाबड़ौद में फड़का नाम के कीड़े ने सारी जवार की फसल खा डाली तथा खेत उजड़े पड़े हैं ?

(३) क्या यह सही है कि दिनांक १६-७-५९ को विकास समिति की बैठक में इस विषय का प्रश्न उठाया गया था तथा कृषि विभाग को विकास समिति ने कहा था कि वह तुरन्त इसकी रोक के लिये कदम उठाये ?

(४) क्या यह भी सही है कि इस आदेश के बावजूद भी कृषि विभाग का कोई व्यक्ति घटनास्थल पर नहीं पहुंचा ?

(५) क्या सरकार भावी फसल के लिये जवार के बीज का संग्रह करेगी तथा खाद्याभाव को ध्यान में रखते हुए जवार के निष्कासन पर प्रतिबन्ध लगायेगी ?

उप-मंत्री, कृषि(श्री दौलतराम सारण): (१) कोटा जिले में सन् १९५९ में खरीफ अभियान के लिये सरकार ने जो जो कदम उठाये उसकी एक सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सारी फसल तो नष्ट नहीं हुई थी, काफी क्षेत्र में नुकसान हुआ था परन्तु दुबारा बोई फसल अच्छी थी।

(३) जी हां।

(४) यह सही नही है।

(५) कोटा जिले में जवार अधिक मात्रा में होती है। इसलिये जवार के बीज का संग्रह करने की आवश्यकता प्रतीत नही होती।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री दया-कृष्ण विजय।

कोटा जिले के बैल मैकेनाइज्ड़ कृषि फार्म

२९८. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा): क्या कृषि मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) कोटा जिले में कितने बैल मैके-नाइज्ड़ कृषि फार्म हैं ?

Page No.25

(श्री दयाकृष्ण विजय)

(२) ये फार्म्स किस किस नाम से चल रहे हैं तथा इनके संचालक कौन कौन हैं ?

(३) इन फार्म्स के अन्तर्गत अलग अलग कितनी कितनी भूमि है तथा इस भूमि में से कितनी काश्त होती है तथा कितना रकबा अभी तक पड़त पड़ा है ?

(४) इन अलग अलग फार्मों में सरकार की कितनी रकम ऋण तथा सहायता के रूप में लग रही है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

उप-मन्त्री, कृषि (श्री दौलतराम सारण) : (१) कोटा जिले में सरकार का कोई वैल मैकेनाइज्ड फार्म नहीं है । प्राइवेट साधारण फार्म है ।

(२) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(३) इसकी सूचना संलग्न तालिका के कालम नं० ३, ४ और ५ में दे रखी है ।

(४) इसकी सूचना संलग्न तालिका के कालम नं० ६,८ और ९ में दे रखी है ।

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिये)

श्री दयाकृष्ण विजय : वैल मैकेनाइज्ड फार्म मानने का सरकार का क्या आधार है ?

श्री दौलतराम सारण : जिसमें सब काम मशीनों से होता है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : आपने जिन जिन फार्मों का जिक्र किया है और जिनको जमीनें अलाट की हैं और लोन दिया है क्या उन्होंने फसलें नहीं पैदा की ? आपने जो लिस्ट दी है उसमें नं० ६ पर ३०० बीघा पड़त जमीन पड़ी है उसमें से एक बीघा भी नहीं जोती गई । आपने ७५ हजार का लोन दिया, वह किस आधार पर दिया ? नं० ६,१३ और १९ है ।

श्री दौलतराम सारण : जिनके पास जमीन होती है और वे कर्जे के लिये मांग करते हैं कि उनको खेती के औजारों आदि के लिये पैसा चाहिये तो उनको कर्जा दिया जाता है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या सरकार यह उचित समझती है कि जिसने सन् १९५२ से आज तक फसल नहीं बोई उसको आपने कई हजार रुपये का कर्जा दिया ?

श्री दौलतराम सारण : सब जमीन काश्त नहीं की जाती, कुछ पड़त भी रहती है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : नं० ६,१३ और १९ को देखिये । जिनके पास ३०० बीघा जमीन थी और उन्होंने एक बीघा जमीन भी आज तक नहीं जोती, फिर भी उनको ७५ हजार का लोन कैसे दिया गया ?

एक माननीय सदस्य : ७५ हजार नहीं, ७,५०० है ।

श्री दौलतराम सारण : अगर किसी के पास पड़त जमीन है, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आप अलग से प्रश्न पूछें ।

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) : प्रश्न यह है कि जिनके पास जमीन है और वे साधन उपलब्ध करने के लिये कर्जा चाहते

Page No.26

(श्री मनोहर कोठारी)

हैं और कर्जा लेकर उस कर्जे को उस काम के लिये उपयोग में नहीं लाते तो क्या उनको कर्जा देना ठीक है ?

श्री दौलतराम सारण : कर्जा बाकायदा नियमानुसार दिया जाता है और वसूल किया जाता है और काम के लिये कर्जा दिया जाता है और समय पर नियमानुसार वसूल किया जाता है। इससे यह नहीं कहा जा सकता कि कर्जा वसूल नहीं होता अगर किसी ने ठीक तरह से उपयोग नहीं किया तो उसको कर्जा नहीं दिया जावे।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : नं० ६ में कर्जा लिया है। What action has been taken against him ?

श्री मनोहर कोठारी : जब कर्जा जिस काम के लिये लिया जाता है और उस काम में नहीं लेते तो क्या कार्यवाही करते हैं ?

श्री दौलतराम सारण : हम उनसे एक साथ ही वसूल करते है।

श्री दयाकृष्ण विजय : कर्जा लिया और एक बीघा जमीन भी उन्होंने काश्त नहीं की।

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : आप अलग से नोटिस दीजिये।

श्री दयाकृष्ण विजय : आपने जमीन अलाट की है और लोन दिया है और उन्होंने अब तक एक भी फसल नहीं बोई है। आप उनको किस आधार पर वेल मैकेनाइज्ड फार्म मानते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कब कहा है कि वह वेल मैकेनाइज्ड फार्म है। आप उसको मान रहे है। जमीन अलाट रेवेन्यू डिपार्टमेंट करता है और हम तो जमीन होती है, उसके लिये कर्जा देते हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : कर्जा किन शर्तों पर देते हैं ? कर्जा सन् १९५३ में दिया, उसको वसूल नहीं करने का क्या कारण है ?

श्री दौलतराम सारण : कर्जा किश्तों में वसूल होता है और जिसका कर्जा वसूल नहीं हो रहा है तो उसको नोटिस देकर कर्जा उससे वसूल किया जाता है, उसके सम्बन्ध में कार्यवाही हो रही होगी इसके लिए अलग से प्रश्न पूछें, इसकी जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): अगर जमीन काश्त न की हो और छः साल तक कर्जा ले रखा हो तो सरकार क्या कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझती है ?

श्री दौलतराम सारण : आवश्यक या अनावश्यक समझने की बात नहीं है, नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

श्री मुरलीधर व्यास : छः साल से उस पैसे का उपयोग नहीं किया, तो फिर उसके लिए क्या कार्यवाही की ?

श्री दौलतराम सारण : मशीनरी खरीदी या नहीं यह जानकारी मेरे पास नहीं है। यदि लोन लेकर औजार खरीद लिये हैं तो कार्यवाही करने का कोई कारण पैदा नहीं होता है। हमारा मतलब यह है कि जिस मतलब के लिए पैसा दिया है, मशीनरी, ट्रेक्टर पम्पिंग सेट आदि वे नहीं खरीदे हैं तो इसके

(श्री दौलतराम सारण)

लिए अलग से नोटिस दीजिये। खरीद लिये हैं तो कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : सूचित किया जा रहा है कि पैसे का उपयोग नहीं किया है जिसको दिया है उसने तो आप क्या कार्यवाही उसके खिलाफ करने को तैयार हैं ?

श्री दौलतराम सारण : सूचना कौन दे रहा है ?

श्री मुरलीधर व्यास : अगर पैसे का उपयोग नहीं किया है तो।

श्री दौलतराम सारण : यह सूचना नहीं दी है।

श्री मुरलीधर व्यास : कह रहे हैं कि छः साल से उपयोग नहीं हुआ है।

श्री दौलतराम सारण : वे कह रहे हैं कि खेती ही नहीं की।

श्री दयाकृष्ण विजय : १९५३ को कर्जा दिया, एक बीघा जमीन काश्त नहीं की है तो वेल मैकेनाइज्ड कैसे कहते हैं और ऐसे लोगों को राज्य का लाखों रुपया दे रखा है !

श्री अध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह।

१२. २. म०प०

धौलपुर कोर्ट बिल्डिंग के सामने स्थित बाग की व्यवस्था

३१५ डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या धौलपुर कोर्ट बिल्डिंग के आगे जो भूमि बाग की पड़ी हुई है, वह पी. डब्ल्यू डी. के अन्तर्गत है ?

(२) यदि हां, तो क्या इसमें बाग है ? यदि हां, तो किस स्थिति में है ?

(३) क्या इस बाग के पास सिंचाई हेतु कुआ भी है ?

(४) यदि हां, तो क्या सरकार इस बाग को सुन्दर रूप से रखे जाने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जी नहीं।

(२) वहां कोई बाग नहीं है।

(३) उस भूमि में एक बावड़ी है।

(४) जी नहीं।

डा० बहादुरसिंह : क्या वह बिल्डिंग पी० डब्ल्यू डी. की नहीं है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी नहीं।

डा० बहादुरसिंह : फिर किसके अधिकार में है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : म्यूनिसिपेलिटी के।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीभानसिंह।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : शोर्ट नोटिस क्वेश्चन।

Page No.28

श्री शंकरलाल (रायपुर) : On a point of order, Sir.

श्री श्रीभानसिंह : ४४६ (९)

श्री शंकरलाल : On a point of order Sir, this question does not come under the purview of Short Notice Questions according to Rules of Procedure.

श्री अध्यक्ष : It has not been admitted as a short notice question but as a regular question.

श्री शंकरलाल : Then also I will request that there should be a decision by the Chair. This question should not have been admitted as it does not fulfil the conditions of admissibility.

श्री श्री भानसिंह : Unfortunately, it does not refer to Shri Shankar Lal, M. L. A.

श्री शंकरलाल : I am requesting the Chair, and the Hon'ble member should have patience to listen to me.

श्री चन्दनमल वैद (सरदार शहर) : अध्यक्ष महोदय, जब एक बार क्वेश्चन एडमिट हो चुका है, तो कोई माननीय सदस्य आपत्ति कर सकते हैं क्या ?

श्री शंकरलाल : Please let me have my say. According to Rule 37, Conditions of admissibility of questions, a question "(v) shall not......

श्री अध्यक्ष : I think once it has been admitted and brought on the Question Paper, the objection taken is too late.

श्री शंकरलाल : But when it comes before the House, then the members have no right to submit that it should not have been admitted ?

श्री अध्यक्ष : Once it has been admitted, it is not proper to raise any objection.

श्री शंकरलाल : Under the Rules a question "shall not ask for an expression of Opinion or the solution of an abstract legal question... "There is legal question involved in it.

श्री अध्यक्ष : What legal question ?

श्री शंकरलाल : He has asked about a writ petition, whether it has been withdrawn or not and whether it is defamatory or not. This a legal question and besides a is Short Notice question can be asked only if it is of urgent public importance. This question has no urgent public importance.

श्री श्रीभानसिंह : अभी और बोलें ।

श्री शंकरलाल : मैं आपकी तरह जरूरत के बिना नहीं बोलता हूँ ।

श्री श्री भानसिंह : और बोलें ।

श्री शंकरलाल : Don't feel offended.

श्री श्रीभामसिंह : I am requesting you to point out something more.

श्री शंकरलाल : I will point out is only those things which are required

श्री अध्यक्ष : आपस में माननीय सदस्य बात न करें।

श्री श्रीभानसिंह : आपके थ्रू ही रिक्वेस्ट कर रहा था कि और बोल देते।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीभानसिंह। क्वेश्चन नम्बर ४४६ ए।

राजस्थान ट्रान्सपोर्ट अपीलेट आथोरिटी के विरुद्ध याचिका

४४६ ए. **श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) : Will the Minister for Transport be pleased to state:—

1. Has one Shri Shanker Lal son of Shri Mohan Lal resident of Bhupalganj, Bhilwara, filed a writ in the High Court and a suit in the court of the District Judge, Jaipur, against the Appellate Authority (Transport) Rajasthan ? If so, what has been the result of the writ and the suit ?

2. Whether the suit has been withdrawn at the initiative of the Government ? If not, then what steps the Government proposes to take against the plaintiaff for using defamatory language for Chairman of the Appellate Authority in paragraqh (7) part (n) of the ssuit ?

यातायात मंत्री : (श्री नाथूराम मिर्धा) 1. No writ has been filed. A suit in the Court of the District Judge, Jaipur, had been filed against the Appellate Authority, Transport, Rajasthan. The Senior Civil and Additional sesssions Judge has passed an injunction in this case.

2. The suit has been withdrawn. No Sir, no steps are proposed in the matter.

श्री श्रीभानसिंह : जब यह सूट विथ्ड्रा किया था, गवर्नमेंन्ट के पास नोटिस गया था कि सूट विथ्ड्रा कर रहे हैं और विथ्ड्रा करते वक्त डिफेमेटरी एलीगेशन्स चेयरमैन के खिलाफ थे, उसका ओब्जेक्शन किया था कि कन्टेस्ट करेंगे और विथ्ड्रा कराया जाय तो कोस्ट दिलाया जाय ?

श्री नाथूराम मिर्धा : गवर्नमेंन्ट ने नहीं कहा कि विथ्ड्रा कर लें। अपने आप विथ्ड्रा कर लिया।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): सूट की कापी पहले मिल गई थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी, नहीं। नहीं मिली, बाद में देखा था।

श्री भैरोंसिंह : बाद में कब ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सूट फाइल हुआ, इन्जेक्शन जब मांगा। गवर्नमेन्ट एडवोकेट को बुला कर वहां पर ही कहा कि आप कुछ कहिये खड़े हो कर, इन्जेक्शन की क्लोजिज़ है। गवर्नमेंन्ट एडवोकेट ने कहा कि न तो इस केस में कुछ गवर्नमेंन्ट की इन्स्ट्रक्शन्स हैं और न ही मैं कुछ इसके विषय में जानता हूं। तुरन्त ही आया है ! मैं इस केस के बारे में गवर्नमेंन्ट की ओर से कुछ नहीं कह सकता हूं। एडवोकेट की तरफ से जो बात कही गई वह इन्जक्शन में नोट कर ली गई और पेश कर दिया।

श्री भैरोंसिंह : क्या विथ्ड्राअल के लिये सलाह ले ली गई थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इन्स्ट्रक्शन्स लेने की नौबत ही नहीं आयी और उसके पहले ही विथ्ड्रा कर लिया।

श्री भैरोंसिंह : इन्स्ट्रक्शन्स लिये या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कुछ भी नहीं लिये।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह समझा जाय कि गवर्नमेंन्ट एडवोकेट ने इस सूट के सम्बन्ध में सूट की विथड्राअल होने से पहले सरकार को कोई सूचना नहीं दी।

श्री नाथूराम मिर्धा : कोई सूचना नहीं दी।

श्री श्रीभानसिंह : जब यह सूट फाइल हुआ तो ट्रिब्युनल में अपीलेट ऑथोरिटी के पास कितनी अपील्स पेन्डिंग थी जिनको डिसाइड कर दिया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : न तो पेन्डिंग थी और न आज तक पेन्डिंग में ट्रिब्युनल ऑथोरिटी के पास भेजी।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जाय कि इस सूट में लिखा कि अपीलेट ऑथोरिटी से जस्टिस की जरूरत नहीं है, ऐसा ही लिख दिया कि विचारार्थ नहीं था और गलत लिया ?

श्री अध्यक्ष : आपने रूट के बारे में पूछ लिया कि उसने क्या लिया।

श्री नाथूराम मिर्धा : रूट्स के बारे में पूछ लीजिये, बता सकता हूं। इस रूट के बारे में पर्मिट्स मिले हुये थे। जिनको नहीं मिले उन्होंने अपील की कि हमको भी मिलनी चाहिये। मिलने वालों में एक व्यक्ति भी है। वह उसमें रेस्पोन्डेन्ट है। उसको डर हो सकता है, इसलिये सूट दायर किया। अपील न पहले थी और न आज भी है। He is one of the respondents.

श्री श्रीभानसिंह : ऐसा है कि आपके पास जब इसकी अपील नहीं थी तो यह रिअलाइज़ किया गया होगा कि अपीलेट ऑथोरिटी से जस्टिस नहीं मिलेगी इसलिये उन्होंने रिट दायर कर दी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उन्होंने यह क्यों किया, यह मैं नहीं कह सकता। मैं तो यह भी नहीं कह सकता कि आपने सवाल क्यों पूछा ?

(हंसी)

श्री श्रीभानसिंह : मैंने तो सवाल इसलिये पूछा कि ये एलीगेशन्स हैं चेयरमैन के खिलाफ। उसका पूछने का मतलब यह था, क्या ये एलीगेशन्स डिफेमेटरी नेचर के हैं ? यदि हैं, तो सरकार उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करने की सोच रही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : न तो एलीगेशन्स ये हैं कि उनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं हैं। जैसे आप वहां सवाल पूछते हैं असेम्बली के अन्दर भी, जिस प्रकार की आप खड़े होकर बातें करते हैं उसी बेसिस पर उसने लिखा है।

श्री श्रीभानसिंह : उसमें क्या लिखा है यह तो आप सुना दीजिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपको तो पता है।

श्री भीमानसिंह : हाउस को तो बता दीजिये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह लिखा है "The present Chairman has got ill-requte in Transport circle and is alleged to have been indulging in coorrupt practices. Even his integrity has been challenged in the Press and the Rajasthan Legislative Assembly. The petitioner has no faith in him and thinks that he will not do justice in his case." यह लिखा है। असेम्बली में भी आप जो कुछ कहते हैं उसका भी हवाला दिया गया है और इसी की वजह से इन्टिग्रिटी पर डाउट किया है........

श्री भीमानसिंह : Assembly is not the Press.

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, मुझे कहने दीजिये। यह जो लिखा है वह आप लोग जब सवाल पूछते हैं उसके आधार पर लोग अपने अपने विचार कर लेते हैं और उसके अनुसार लिख देते हैं कि इनकी इन्टिग्रिटी खराब है।

श्री भीमानसिंह : यह जो सस्पेन्स बना हुआ है उसको रिमूव क्यों नहीं करते ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, मेरी इन्टेग्रिटी क्या है, ये लोग जानते हैं, सब समझते हैं और जो मेरी इन्टिग्रिटी पर डाउट करने वाला है वह मेरे कहने से रुकने वाला नहीं है और न मुझे इसकी चिन्ता ही है।

श्री भैरोंसिंह : अपीलेट के ऑथोरिटी के चेयरमेंन के प्रति जो डिफेमेटरी लैंग्वेज यूज़ की गई है क्या उसकी मन्शा को आप स्वीकार नहीं करते ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं ऐसी मन्शाओं को इग्नोर करता हूं।

श्री भैरोंसिंह : आप तो इग्नोर करते होंगे लेकिन अपीलेट ऑथोरिटी के चेयरमेंन के प्रति यह कहा जाये वे इग्नोर करते हैं या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अपीलेट ऑथोरिटी के चेयरमैन के प्रति जो आपकी सद्भावना है, उससे वे परिचित हैं।

भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न केवल इतना सा है कि सरकार इसको डिफेमेटरी मानती है या नहीं ?

श्री चन्दनमल वैद (सरदार शहर) : जिस आदमी ने केस दायर किया, क्या वह इस अपील में रेस्पोन्डेन्ट था ?

श्री अध्यक्ष : वे कह चुके हैं कि वे अब भी हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : अब कोई केस सामने नहीं। उनकी अपील है ही नहीं।

उप-मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : Mr. Speaker, Sir, people who enter politics must cultivate thick skin, so the Hon'ble Member should also not take it that because there is a defamatory statement, therefore, we should

Page No.32

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

file any suit or take proceedings against it. One who enters politics must realise that all sorts of things will be coming up against him. There are persons who have motives and they iudnlge in giving this type of publicity

श्री श्रीभानसिंह : I think both of you should cultivate this thick skinness and leave the other members. alone.

श्री पूनमचन्द विश्नोई : Some members who find that they are losing their hold in public, and because the people who are downtrodden are coming up, they cannot tolerate it. So they make false allegations.

श्री भैरोंसिंह : The House should be very grateful for the sermons of the Hon'ble Dequty Minister. Sir.

श्री अध्यक्ष : Next.

राजस्थान कैनाल के लिये सरकार द्वारा खरीदे गये ट्रैक्टर

४४७ **श्री धर्मपाल पंवार** (नोहर सु०) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान कैनाल के लिये सरकार ने किस किस कम्पनी से किस किस दर पर नये व सेकिन्ड हैन्ड कितने चैन टाइप और वील टाइप ट्रैक्टर खरीदे हैं ?

(२) क्या यह सच है कि कोन्टीनेन्टल ट्रैक्टर और एम० ए० एन० ट्रैक्टर जिस कम्पनी से लिये सब के सब सेकिन्ड हैन्ड हैं ?

(३) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त ट्रैक्टरों की कीमत असली कीमत से अधिक हैं ? यदि हां, तो कितनी ?

(४) क्या सरकार उपरोक्त सब प्रकार के ट्रैक्टरों की कीमत की जांच किसी अन्य टैक्नीकल हैन्ड से करवाकर रिपोर्ट सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करेगी ?

उप मंत्री, सिंचाई (श्री भीखाभाई) : (१) अपेक्षित सूचना का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(२) जी नहीं ।

(३) जी नहीं ।

(४) ट्रैक्टरों के खरीदने के लिये प्रसामान्य कार्य प्रणाली जो सरकार ने स्पर्धी दरों पर तय कर रखी हैं, बर्ती गई हैं ।

(कृपया परिशिष्ट ९ देखिये)

श्री धर्मपाल पंवार : क्या इनमें सेकिन्ड हैन्ड ट्रैक्टर नहीं ?

श्री भीखाभाई : आपको जो सूची दी है उसमें देखिये । केटरपिलर डी ७ ट्रैक्टर बुलडोजर एटेचमेन्ट सहित मे विलकाक्स (इन्डिया) लि०, नई दिल्ली से जो खरीदा गया वह सेकिन्ड हैन्ड है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : तो पहले आपने कैसे कह दिया 'जी नहीं' और अब आप कह रहे हैं एक सेकिन्ड हैन्ड है ?

श्री भीखाभाई : सूची सदन की मेज पर रख दी गई है, उसमें बताया गया है ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह सही है कि सभी सेकिन्ड हैन्ड हैं ? उन पर रोगन वार्निश करके नया बना दिया गया है ?

Page No.33

प्रश्न संख्या ४५३

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४५७

श्री मोहब्बतसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री श्रीभानसिंह

सहकारी विभाग द्वारा नियुक्तियां

४६०. श्री श्रीभानसिंह (बयाना): Will the Minister for Cooperatives be pleased to state :-

1. What is the total number of persons appointed by the Co-operative Department as Assistant Regisrars, Inspectors, Assistant Inspectors, Upper Division Clerks and Lower Division clerks by transfer from other departments ? Please give their names and their position in original departments and the posts to which they were appointed in the Co-operative Department. Please give this information for the years 1957, 1958 and 1959 separately.

2. What were the reasons for such appointments ?

उप-मंत्री, सहकारी (श्री दौलतराम सारण) : (१) सहकारी विभाग में अन्य विभागों से ट्रान्सफर पर निम्न प्रकार कर्मचारी सन् १९५७ से १९५९ तक लिये गये हैं ।

(१) सहायक रजिस्ट्रार ३.

(२) इन्सपेक्टर (एग्ज़ीक्युटिव) ४. (३) इन्सपेक्टर (ऑडिट) १. (४) सहायक इन्सपेक्टर १३. (५) अपर डिवीजन। क्लर्क १५. (६) लोअर डिवीजन क्लर्क ३.

अन्य सूचनायें सन् १९५७ से १९५९ तक संलग्न सूची परिशिष्ट 'क' में दे दी गई है ।

(२) विभाग के योजना संबन्धी लक्ष्यों की पूर्ति तथा कार्य को सुचारु रूप से चलाने को ध्यान में रख कर रिक्त स्थानों को भरना सदैव आवश्यक रहता है । अतः इसी कारण रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु उपयुक्त तथा योग्य व्यक्तियों को ट्रान्सफर पर लिया गया है ।

(कृपया परिशिष्ट १० देखिये)

श्री श्रीभानसिंह : क्या आप यह बता सकते हैं कि कौन सा रिक्त स्थान था जिस पर नाहरसिंह को लिया गया ?

श्री अध्यक्ष : I think we have discussed it more than once.

श्री श्रीभानसिंह : But again his answer is different. जवाब गलत क्यों देते हैं कि रिक्त स्थानों को भरने के लिये लिया गया ।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : कितने जाट हैं कितने दूसरे हैं खासकर के जाटों से माननीय सदस्य को चिढ़ है वो उनको हटा दीजिये ?

श्री श्रीभानसिंह : इनके प्रश्न का उत्तर दीजिये ।

Page No.34

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ।

जयपुर से चौमू तक बिजली लाइन लगाना

४६७ **श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री** (आमेर सु०) : क्या विद्युत मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देगें : —

(४) क्या यह सत्य है कि जयपुर से चौमू तक बिजली के खम्भे खड़े किए जा चुके हैं ?

(२) यदि हां, तो अब बिजली की लाइन कब तक लग जावेगी ?

उप-मंत्री विद्युत (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां, ५० खम्भों को छोड़ कर ।

(२) १९६० के अन्त तक लगने की सम्भावना है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : खम्भे कब लगाये गये ? कितने साल हो गये ?

श्री भीखाभाई : ५ हजार किलोवाट का टरबो ऑल्टरनेटिव लग रहा है, इस बारे में जल्दी ही कार्यवाही होने वाली है ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या हर सत्र में यह पूछा जाता है और हर सत्र में वही उत्तर मिलता है ?

श्री अध्यक्ष : उत्तर तो सही मिलता है ।

(हंसी)

प्रश्न समाप्त हुए ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I have my amendments to it.

श्री अध्यक्ष : After this statement.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ।

१२. १० म० प०

श्रम मामलों से सम्बन्धित श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता का वक्तव्य

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायतशासन-मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, श्रम के सम्बन्ध में कुछ एड्जोर्नमेन्ट मोशन आये थे । उनके बारे में मैं निवेदन कर रहा हूं ।

राजस्थान सरकार ने अपने नोटिफिकेशन नम्बर एफ. १(६२) लेबर ५७ दिनांक २१-फरवरी, १९५९ के अन्डर में बीड़ी कारखानों के मज़दूरों के वेजेज़ मिनिमम क्या होने चाहिये, यह हमने फिक्स किये हैं । ये रेटें तय करते समय सरकार ने सुझाव रक्खा था कि समय के आधार पर इनको फिक्स किया जाय क्योंकि बहुत से केसों में मजदूर फैक्ट्री एक्ट के अन्तर्गत कारखाने आठ घंटे काम करने वाले हैं । यह भी सुझाव सरकार को दिया गया कि एक रिवीज़न कमेटी का शीघ्र ही निर्माण किया जाय जिसमें एम्प्लॉयी और एम्प्लॉयर्स के प्रतिनिधि भी हों ताकि पीस रेट बेसिस पर वेजेज़ सुगमता से और अनुकूलता से तय किये जा सकें । इनको तय करते समय पीस रेट बेसिस और टाइम रेट बेसिस दोनों के वेजेज़ को भी ध्यान में रक्खा जाय । इसके अनुसार टाइम रेट बेसिस पर १ रु०-५० नये पैसे मजदूरी फिक्स की गई उन वयस्क स्त्री और पुरुष मजदूरों के लिये जो आठ घंटे की शिफ्ट पर काम करते हैं । यह निर्णय इस लिये किया गया क्योंकि कुछ फैक्ट्रियों में दोनों टाइम रेट और पीस रेट

Page No.35

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

चलती थी। पीस रेट की मजदूरी १-१०-० से १-१४-० तक प्रति हजार बीड़ी प्रति दिन के आधार पर थी। मालिक और मजदूरों की एसोसियेशनों ने हमें यह बताया कि आठ घंटों की पाली में एक रुपये मजदूरी पर करीब-८०० बीड़ी तैयार कर लेता है।

इस उद्योग में भी बीड़ी की मांग के अनुसार बाजार में तेजी और मन्दी का असर होता है, मौसम का और रॉमैटीरियल की उपलब्धि का भी असर पड़ता है। सुस्त सीजन में आम तौर पर १००० बीड़ी की दरें नीची चली जाती हैं। जबकि ऊंचे सीजन में आम तौर पर ये दरें उसी स्तर पर आ जाती हैं या कभी कभी इससे भी ऊंची चली जाती हैं। ऐसी स्थित में निम्नतम दर के अभाव में मजदूरों की मजदूरी केवल मात्र डिमान्ड और सप्लाई के लॉ से गवर्न होता था। मालिक की स्थिति ऊपर होने से उन्होंने हमेशा मज़दूरों के बाजार को कन्ट्रोल किया। इसलिये वेतन की दरें भी मजदूर और सामान की उपलब्धता के अनुसार रेगुलेट होती थी।

इस उद्योग में मिनिमम रेट फिक्स करते समय सिर्फ यह चाहती थी कि मजदूरों की वेतन दरें सुस्थिर हो जायें और स्थिर एम्प्लोयमेंन्ट के अवसर बनें रहें। सरकार ने जब मिनिमम वेजेज़ एक्ट के अन्तर्गत न्यूनतम दरें तय कर दी तो मालिक तालाबन्दी की धमकी देने लगे और इस धमकी के पीछे जान-बूझ कर ऐसा करने की मनोवृत्ति मालूम पड़ती है। इन दरों के निर्धारण ने उनकी मजदूरों और मजदूरों की वेतन दरों को कन्ट्रोल करने का और मनमाने तरीके से गाइड करने की ऊंची स्थिति को खतम कर दिया है इस लिये इसका प्रभाव सीधा मालिकों पर पड़ा। इस कारण मालिकों ने यह तरकीब निकाली ताकि सरकार पर भी दबाव पड़े और वह इन निर्धारित वेतन की न्यूनतम दरों को बदलने पर विवश हो जाय। कारखाने वालों ने इस बहाने जो तरीका कारखाने बन्द करने का अपनाया है वह वैधानिक प्रतीत नहीं होता। यह स्थिति खेदजनक है। आखिर जो दरें सरकार ने तय की है वे मिनिमम वेजेज के एक्ट के तहत ही तो निर्धारित की है जिनको बदलने की प्रक्रिया भी उसी एक्ट में है और वैधानिक प्रक्रिया है कि वे सरकार के पास आते और अपनी कठिनाइयां पेश करते और बदलने के लिये कहते। बजाय इसके कि कारखाने वाले सरकार से कहते। उस पर सरकार पुनर्विचार कर सकती थी और यह वैधानिक रास्ता भी होता कि इसके लिये वह एक कमेटी अपॉइन्ट करने के लिये सरकार से कहती जो इन वेतन दरों को रिवाइज़ करने के सवाल पर विचार करती। यह वैधानिक रास्ता मालिकों के लिये सबसे ज्यादा बुद्धिमानी का रास्ता होता।

सरकार इस परिस्थिति को भली भांति जानती है और शीघ्र ही रिवीज़न कमेटी बनाने का सोच रही है। यह समिति वर्तमान दरों को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न पर विचार करेगी और सरकार से इन बीड़ी के कारखानों के मजदूरों के न्यूनतम वेतन दरों में सारी परिस्थतियों पर विचार करते हुये परिवर्तन करने की या इन्हे ही रखने की सिफारिश करेगी, यह कमेटी और अन्य कारखानों के बारे में भी न्यूनतम वेतन दरें निर्धारित करने का सिफारिश करेगी। विचार

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

करते समय यह कमेटी वर्तमान दरों को भी ध्यान में रखेगी और बहुत सावधानी से इस प्रश्न के विभिन्न पहलुओं पर भी विचार करेगी। इससे दोनों पक्षों में विश्वास की भावना बढ़ेगी क्योंकि आखिरकार यह उनकी ही प्रतिनिधि समिति होगी जिसमें मालिकों के और मजदूरों के दोनों के भी प्रतिनिधि होंगे और जो भविष्य के वेतन दरों के ट्रेन्ड को देखते हुये उचित सिफारिशें सरकार के सामने रखेगी।

दूसरा नवयुग प्रेस के बारे में है....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी):- मैं थोड़ी जानकारी करना चाहता हूं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पहले मैं अपने स्टेटमेंन्ट दे दूं। आप फिर पूछ लें।

तो नवयुग प्रेस के सम्बन्ध में जो स्थगन प्रस्ताव लाया गया है तथा उनमें जो आरोप लगाये गये हैं वे सही नहीं हैं और सरकार द्वारा इस प्रेस के प्रति कोई पक्षपात नहीं किया गया है। कारखाना कानून (फेक्ट्रीज-एक्ट) एक सामाजिक कानून है। सोशियल-लेजिस्लेशन है और उसके पालन करवाने के लिये कानून की कार्यवाही के बजाय पर-स्यूएजिव एफर्ट से ज्यादा काम लिया जाता है। कानूनी कार्यवाही की जाती है जबकि कानून का उल्लंघन मुख्य रूप से हो। ऐसी स्थिति इस नवयुग प्रेस में कभी उत्पन्न नहीं हुई।

पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के अन्तर्गत यह ज्ञात हुआ है कि इस प्रेस में प्राय: ७ तारीख के बजाय हर माह की १५ तारीख तक वेतन का वितरण किया जाता था। श्रम विभाग के द्वारा कार्यवाही की जाने पर प्रबन्धकों ने यह मान लिया है कि वे अब भविष्य में वेतन हमेशा इस माह की सात तारीख तक चुका दिया करेंगे। माह नवम्बर का वेतन जो कि इस माह की सात तारीख को दिया जाना था वह श्रमिकों ने अभी तक नहीं लिया है, चूंकि वे तारीख ५ दिसम्बर से ही हड़ताल पर हैं। प्रबन्धक सारा वेतन अभी भी देने को तैयार है। यह स्मरण रहे कि इस कानून के अन्तर्गत निरीक्षक के अतिरिक्त कोई भी श्रमिक एवं उनका संघ नियुक्त तारीख तक वेतन न दिये जाने पर पेमेंट ऑफ वेजेज ऑथोरिटी के समक्ष अपना दावा पेश कर सकते हैं जो अभी तक नहीं किया गया।

वेजेज़ बोर्ड की सिफारिशों के कार्यान्वित के विषय में श्रम विभाग को कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। दो मुलाजमानों को नौकरी से हटा दिया गया था इसलिए उनका केस ट्रिब्युनल को भेजा जा रहा है।

नेशनल बॉल बियरिंग फैक्ट्री के सम्बन्ध में मैं निवेदन कर दूँ।

नेशनल इन्जीनियरिंग इन्डस्ट्रीज लिमिटेड जयपुर में दिनांक ६-१२-५९ को दो मजदूर भूख हड़ताल पर थे। चूंकि मिल मालिकों ने मिल चालू करने के समय ३२ हड़तालियों तथा अन्य कुछ कर्मचारियों को काम पर वापिस नहीं लिया, इस कारण मजदूरों ने रोष प्रदर्शन करने के फलस्वरूप भूख हड़ताल पर जाना उचित समझा। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि दिनांक १५

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

दिसम्बर १९५९ को केन्द्रीय श्रम मन्त्री, श्री गुलजारीलाल नन्दा, के हस्तक्षेप से मालिक कारखाने व मजदूर प्रतिनिधियों के बीच एक समझौता हो चुका है, जिसके फलस्वरूप कल दिनांक १६-१२-१९५९ को भूख हड़तालियों ने भूख हड़ताल रात्रि के १२ बजे समाप्त कर दी है तथा मजदूर अपने काम पर चले गये हैं। इस समझौते के अनुसार मिल मालिकों ने कुल उन ३२ हड़तालियों को, जिन्हें काम पर लेने से वंचित रक्खा था, वापिस काम पर लेने की अनुमति दे दी है। कुछ मजदूरों के अलावा लगभग सभी काम पर चले गये हैं। जो मजदूर काम पर नहीं गये हैं वे अपनी स्वेच्छा से बाहर हैं। स्थिति में काफी सुधार हो चुका है और अब कोई विवादग्रस्त प्रश्न उपस्थित नहीं है।

यूनियन की मान्यता के बारे में भी समझौता हो चुका है, जो स्थिति में सुधार होते ही उन्हें प्राप्त हो सकेगी।

मालिक कारखाने तथा मजदूर प्रतिनिधियों ने औद्योगिक अनुशासन संहिता का पूर्ण पालन करने का भी आश्वासन दिया है। साथ ही उनके दिन प्रतिदिन के आपसी झगड़ों के तथा मतभेदों को निपटाने के बारे में भारत सरकार द्वारा प्रसारित ग्रीवन्स प्रोसीजर को भी अपना लिया है।

कारखाने में अब पूर्णतया शान्ति है और आशा की जाती है कि भविष्य में भी मजदूरों और मालिकों के सम्बन्ध स्वस्थ व सही ढंग के रहेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने जो कहा कि मिनिमम वेजेज बीड़ी मजदूरों के लिए फिक्स्ड करने के लिये कमेटी बना दी जावेगी तो वह कब तक बना दी जावेगी और वे किस प्रकार से लागू किये जावेंगे। लोग तो बेकार बैठे हैं। कितने दिनों में बनकर समय पर निर्णय हो जावेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बेकार बैठे हैं, यह बात तो नहीं है। एक फैक्ट्री की शिकायत हमारे पास आई है कि वह बन्द है और उसका केस हमने लेबर कोर्ट को भेज दिया है कि लाक आउट लीगल है या इल्लीगल है और इसके अलावा ऐसी कोई भी शिकायत नहीं है। वे लोग कह जरूर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। पर बन्द होने जैसी अभी कोई बात नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं निवेदन करूं कि टौंक की भी फैक्ट्रियां बन्द हो चुकी हैं। अब शिकायत नहीं आने की बात ऐसी है कि एक यूनियन ने शिकायत की। सब के सब तो नहीं कर सकते। पर प्रायः सब बन्द हैं उस लाइन में। अब शिकायत इसलिये नहीं की कि एक ने जो शिकायत की है उसका परिणाम देखा जाय। अब जल्दी से जल्दी कमेटी अपोइन्ट करके महीने भर में निर्णय करादें। दोनों में एग्रीमेंट ही तो करवाना है। दूसरे, मध्यप्रदेश आदि में भी फिक्स्ड रेट हैं। वे भी तैयार हों यहां तो बहुत जल्दी हो सकती है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसके लिये मैंने अर्ज किया कि फिक्स्ड रेट पर कमेटी बनाने की बात चल रही है। जल्दी काम शुरू कर देगी।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : नवयुग प्रेस के कर्मचारियों ने श्रम मन्त्री जी को

(श्री भैरोंसिंह)

मालिकों में कितनी तनख्वाह की रकम बाकी है, इसका हिसाब पेश कर दिया है और जैसा कि श्रम मन्त्रीजी ने फरमाया कि मालिक भी पेमेंट करने को तैयार हैं। अब हिसाब के अनुसार भुगतान कर दिया जाता है तो कई दिनों से चलने वाली हड़ताल और आये दिन का प्रदर्शन समाप्त होकर मामला बैठ सकता है।

श्री **बद्रीप्रसाद गुप्ता** : नवयुग के सम्बन्ध में कर्मचारियों की दो डिमान्ड थीं। एक यह कि जिन दो कर्मचारियों को हटा दिया गया है उनको बहाल किया जाय और दूसरी उनकी बकाया तनख्वाह मिल जाय। अब मालिकों ने कन्सीलियेशन ऑफिसर के सामने लिखकर दिया है कि वे बकाया तनख्वाह की रकम देने को तैयार हैं। पर कर्मचारियों को वापिस रखने की बात वे नहीं मानते। पर इतने से वे स्ट्राइक तोड़ने को तैयार नहीं हैं। वे कहते हैं उनको भी लिया जाय। इसके बाद मैंने स्वयं ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपनी बकाया तनख्वाह की एक लिस्ट दी है जो २७ हजार के करीब है। इसके बारे में पूछा मालिकों से। तो उन्होंने यह कहा कि हमारा अकाउन्टेन्ट स्ट्राइक पर है वह वापिस आ जावे और मालूम कर लें हम कि कितना बकाया है तो उतना हम देने को तैयार हैं। यह उन्होंने लिख कर दिया है। हम भी अपना एक आदमी अपोइन्ट कर देंगे डिप्टी लेबर कमिश्नर को कर देंगे। जितनी तनख्वाह बकाया होगी, देने को तैयार हैं वे। लिखा हुआ रक्खा है हमारे पास। अब कर्मचारी अपनी स्ट्राइक तोड़ कर चले जावें। उनको उनकी तनख्वाह मिल जावेगी। तहरीर में लिखकर मालिकों ने हमें आश्वासन दिया है। जो लिस्ट उन्होंने मुझे दी है बकाया की वह उनको नामन्जूर है, क्योंकि उसमें कोई डिटेल नहीं है। मैंने फिर उनको बुलाकर पूछा कि किसका कितना है यह सही सही बतायें। तो उन्होंने भी यही कहा कि हमने तो हमारे अन्दाज से यह लिस्ट दी है। थोड़ा कम ज्यादा भी हो सकता है। रिकार्ड वगैरह स्टॉक में है। तो यह बात है। उनकी तरफ से तहरीर में आश्वासन है। कर्मचारी स्ट्राइक तोड़कर चले जावें, जितना जिसका बकाया है हिसाब करके देने को तैयार हैं।

श्री **भैरोंसिंह** : क्या सरकार, प्रेस मालिकों की ओर से यह आश्वासन दे सकती है कि वह अकाउन्टेन्ट, जो स्ट्राइक पर है, यदि वहां जाकर कैश बुक आदि किताबों को देखकर उस अकाउन्ट को एप्रूव कर दे या कन्फर्म कर दे तो वह अकाउन्ट जो श्रम मंत्री जी के पास है और जिसके एप्रूव करने पर पेमेंट करने का आश्वासन मालिकों ने उनको दिया है, कन्फर्म करने पर उसका पेमेंट कर दिया जावेगा।

श्री **बद्रीप्रसाद गुप्ता** : लिखित में आश्वासन कन्सीलियेशन ऑफिसर को मालिकों ने दे रक्खा है। पर कर्मचारी यह कहते हैं कि अलग किए गये दो कर्मचारियों को जब तक वापिस नहीं लिया जावेगा तब तक हम तो स्ट्राइक नहीं खतम करेंगे। अब तो पोजीशन यह है तनख्वाह देने की कि वे अपनी स्ट्राइक खतम करके चले जावें। हम इतना कर सकते हैं कि हम अपने ऑफिसर को इसके लिए अपोइन्ट कर देंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : ऐसा है....

(श्री भैरोंसिंह के भी साथ ही साथ बोलने के लिए खड़े होने पर) ,

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह

श्री मुरलीधर व्यास : कन्सीलियेशन ऑफिसर को आश्वासन....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज !! श्री भैरोंसिंह

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न सीधा सा है। जैसा आपने बताया आपके सामने २७ हजार का हिसाब आया है। अब इसका वैरीफिकेशन इसलिये नहीं हो सकता क्योंकि उनका अकाउन्टेन्ट स्ट्राइक पर है। अब क्या मालिक सरकार के मार्फत यह आश्वासन दे सकते हैं कि जो स्ट्राइक पर है, वह वहां जाकर हिसाब का वैरीफिकेशन कर दे तो उसके अनुसार पेमेंट कराया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष : मालिक ने तो आश्वासन दे ही दिया है।

श्री मुरलीधर व्यास : कन्सीलियेशन ऑफिसर को आश्वासन दिया है कि हम पेमेंट करने को तैयार हैं और जब तैयार हैं मालिक तो फिर वैरीफिकेशन कराने में बही खाते दिखाने में क्या देरी हो सकती है और जब तैयार हैं तो दोनों पार्टियों को बुलाकर कन्सीलियेशन क्यों नहीं करवाया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया कि मैंने मालिकों को और कर्मचारियों को, दोनों को बुलाया। मालिकों ने देने की बात लिखकर दी है। पर कर्मचारी इस बात पर अड़े हुए हैं कि हम तब तक नहीं वापिस काम पर जावेंगे जब तक जिन दो को हटा दिया है उनको वापिस नहीं लिया जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : इसका वैरीफिकेशन आखिर करेगा अकाउन्टेन्ट। तो क्या उस अकाउनटेन्ट के द्वारा वैरीफिकेशन हो जावेगा इसके बाद उसके हिसाब से पेमेंट कर दिया जावेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एम्प्लोयी काम पर आने को तैयार हैं या नहीं। अगर वे तैयार हैं स्ट्राइक खतम करके आने के लिये तो मालिकों ने लिखकर दिया है कि उनकी बकाया तनख्वाह दो रोज में चुका देंगे और बाकी के जितने डिस्प्यूट हैं उनके लिए मैं अपोइन्ट कर दूंगा अफसर को। पर वे तो कह रहे हैं कि हमारे दो आदमियों को नौकरी पर वापस लोगे तो आने को तैयार हैं और मालिक उनको नौकरी पर लेने को तैयार नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह शर्त तो नहीं है कि पहले कर्मचारी काम पर आवें तो तनख्वाह दें ? यह तो उनकी पहले की बकाया है जिसको लेने का उनका अधिकार है। वह मिलनी चाहिये। अब उसके बाद वे काम पर आवें या न आवें यह उनकी मर्जी पर है। इसके लिये कोई शर्त नहीं रक्खी जा सकती।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वर्ना, इसके बिना तो काम चल नहीं सकता। कौन वर्क करेगा ?

श्री भैरोंसिंह : इसके लिए सब कर्मचारियों की क्या आवश्यकता है। दो अका-

Page No.40

(श्री भैरोंसिंह)

उन्टेन्ट जाकर हिसाब वेरीफाई कर सकते हैं और उस पर पेमेंट हो सकता है अगर मालिक वाकई में करना चाहें तो ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आज यह मामला ट्रिब्यूनल को दे रहे हैं। जब एक पार्टी अपनी डिमान्ड पर अड़ी हुई है तो कन्सीलियेशन का सवाल नहीं रहता। तो आज हम इसको ट्रिब्यूनल को भेज रहे हैं और इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स कानून की धारा १०।३ के अनुसार फिर स्ट्राइक इल्लीगल हो जावेगी।

श्री भैरोंसिंह : यह जो आपका मजदूर विरोधी दृष्टिकोण है इसका तो मैं स्वागत करता हूँ ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मजदूर विरोधी कैसे ? हम तो चाहते हैं कि किसी तरह से मजदूर और मालिकों के बीच में समझौता हो जाये। मुझे डर है कि कहीं वह अपनी जिद पर उनका स्ट्राइक इललीगल न हो जाये ।

श्री भैरोंसिंह : आपने तो अपना डिसीजन बता दिया कि उनका स्ट्राइक इल्लीगल होकर रहेगा।

(व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं तो कानून की बात बता रहा हूं....

श्री भैरोंसिंह : कानून की ही तो मैं बात कर रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : इस पर स्टेटमेंट दिया जा चुका है और इसका काफी स्पष्टीकरण हो चुका है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस तरह से आप मजदूरों को बहकाते हैं, उनकी सभाओं में शामिल होते हैं और समझौता नहीं कराने की दिशा में....

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर! ऑर्डर!! देखिये स्टेटमेन्ट दिया जा चुका है और उसके बाद अब कोई बात नहीं रह जाती है।

श्री भैरोंसिह : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने पर्सनल एक्सप्लेनेशन के लिए बात पूछना चाहूंगा कि मन्त्री महोदय ने जो अभी कहा कि मैं मजदूरों को बहकाता हूं, यह उन्होंने किस आधार पर कहा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप उनकी स्ट्राइक में शामिल होते हैं, उनमें भाषण देते हैं और समझौता नहीं होने देते....

श्री मुरलीधर व्यास : यह तो हमारा कर्त्तव्य है तो फिर यह कहने की जरूरत क्या है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप सरकार का रुख गलत कैसे बताते हैं ?....

श्री भैरोंसिंह : इस प्रकार से सरकार मजदूरों का शोषण करवाती है और मालिकों का पक्ष लेती है और मजदूरों का शोषण होता है....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मजदूरों का शोषण तो आप करवाते हैं....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह : मैं यह कह सकता हूं कि आज मजदूरों का पक्ष नहीं लिया जाकर मालिकों का पक्ष लिया जाता है और इससे सरकार की मजदूर विरोधी नीति साबित हो जाती है।

श्री अध्यक्ष . ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आप इस तरह से पोलीटिकल स्ट्राइक करवाते हैं।

श्री भैरोंसिंह : सरकार नवयुग प्रेस का पक्ष ले रही है और सरकारी अधिकारियों के दबाव से पक्ष ले रही है और मजदूरों की कोई बात नहीं सुनी जा रही है।....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज !! श्री पी० के० चौधरी

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह कैसी बात है कि सरकार की तरफ से यह कहा जाता है कि जब तक वह काम पर नहीं आयेंगे उनको पगार नहीं मिलेगी यह तो....

(घन्टी)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! श्री पी० के० चौधरी

श्री हीराभाई : अध्यक्ष महोदय, यह तो प्रेस पर चढ़ी हुई पगार है और उसको लेने का मजदूरों को पूरा अधिकार है....

श्री होतीलाल (भरतपुर) : यह चढ़ी हुई पगार कैसी होती है ?

श्री अध्यक्ष : चढ़ी हुई पगार।

श्री हीराभाई : अध्यक्ष महोदय, यह पगार तो....

श्री अध्यक्ष : देखिये, अब कोई बहस नहीं होगी। स्टेटमेंट मन्त्री महोदय ने दे दिया।

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, एक बात मन्त्री महोदय से और पूछना चाहता हूँ कि बालबेयरिंग कम्पनी में यूनियन के रिकॉग्निशन के सम्बन्ध में अभी तक सरकार ने निर्णय क्यों नहीं लिया....

श्री अध्यक्ष : अब कोई बहस नहीं होगी, स्टेटमेंट दिया जा चुका है। मैं आपको पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि इस प्रकार सदन की कार्यवाही में बाधा न डाला करें।

श्री पी० के० चौधरी

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद्....

स्थगन प्रस्ताव सम्बन्धी वादविवाद

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक एड्जोर्नमेंट मोशन और है उसके बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। सरदारशहर में शहीदों के स्मारक को पुलिस ने हटा दिया...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज !! I would not permit any discussion.

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, आखिर इसका कारण तो मालूम हो।

श्री अध्यक्ष : आपको कह दिया गया है, माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप बैठ जाइये, यह बिलकुल गलत चीज है।

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, इसमें सरकार को कम से कम....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें, order please! I warn the Hon'ble Member to please sit down.

श्री मुरलीधर व्यास : आखिर मालूम तो हो जाये कि पुलिस ऐसी कार्यवाही क्यों करती है, और उसको क्यों गिराया गया ? शहीदों का स्मारक था उसमें कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं थी....

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइये कृपया।

श्री मुरलीधर व्यास : पर अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य को आज्ञा देता हूँ कि वह सदन को छोड़कर चले जायें।

श्री मुरलीधर व्यास : माननीय अध्यक्ष, इस प्रकार से कोई बात नहीं सुनी जाये और व्यवस्था दे दी जाये....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया बाहर चले जाये, I suspend you for the whole day.

सार्जेन्ट एट आर्म्स, कृपया इनको बाहर ले जायें।

श्री मुरलीधर व्यास : कोई बात भी तो सुनी जाये। आखिर शहीदों के स्मारक को इस तरह से हटा दिया जाये....

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइये।

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं इसको बहुत महत्व का प्रश्न समझता हूँ कि सरदारशहर के अन्दर....

श्री अध्यक्ष : सार्जेन्ट एट आर्म्स, कृपया माननीय सदस्य को बाहर ले जाइये।

श्री मुरलीधर व्यास : शहीदों के स्मारक पर जरूर कुछ न कुछ होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : मैं भी आपको नम्रता से आज्ञा देता हूं कि आप बाहर चले जायें।

श्री मुरलीधर व्यास : इसके ऊपर सरकार की ओर से अवश्य कोई न कोई कार्यवाही होनी चाहिए....

श्री अध्यक्ष : कार्यवाही आप नहीं कर रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह कहना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर! आर्डर!! आप कृपया शांतिपूर्वक बाहर चले जाइये। I would not permit this lawlessness in this House.

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, हम जानकारी चाहते हैं....

श्री अध्यक्ष : आपको आज्ञा मिल चुकी है। आप भी शहीद बनना चाहते हैं तो बन जाइये।

श्री मुरलीधर व्यास : इस प्रकार से आप शहीदों के स्मारक के बारे में यहां प्रश्न नहीं उठाने देते......

(सरकारी पक्ष द्वारा करतलध्वनि)

श्री अध्यक्ष : आप कृपया शांतिपूर्वक बाहर चले जाइये।

सार्जेन्ट एट आर्म्स ! माननीय सदस्य को बाहर ले जाइये।

(श्री मुरलीधर व्यास सार्जेन्ट एट आर्म्स द्वारा सदन से बाहर ले जाये गये)

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर गरीब लोग मांग करते हैं तो उनके साथ ऐसा....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ! ऑर्डर प्लीज !! श्री पी० के० चौधरी।

श्री हीराभाई : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से आप सुनवाई नहीं करेंगे, यह तो अन्याय है।

श्री अध्यक्ष : आप कृपया शांतिपूर्वक बैठ जायें।

श्री हीराभाई : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार सदस्यों को यहां बोलने का मौका नहीं....

श्री अध्यक्ष : आप भी माननीय सदस्य के साथ बाहर जाना चाहते हैं तो शांतिपूर्वक पधार जायें।

श्री हीराभाई : हम तो यहां जाने के लिए नहीं विधान सभा में बैठने के लिए आए हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सदन छोड़ कर बाहर चले जायें। आपको मामला मालूम नहीं है और आप फिजूल सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचा रहे हैं।

श्री हीराभाई : माननीय अध्यक्ष महोदय, आखिर हमें बोलने का पूरा हक है...

श्री अध्यक्ष : सार्जेन्ट एट आर्म्स ! माननीय सदस्य को कृपया बाहर ले जायें।

श्री हीराभाई : अध्यक्ष महोदय, जिन आदमियों की रिपोर्ट पुलिस वालों ने नहीं ली ..

श्री अध्यक्ष : आप कृपया सदन छोड़ कर बाहर चले जायें। आप सदन की कार्यवाही में बाधा न डालें।

श्री हीराभाई : अध्यक्ष महोदय, यह परम्परा तो आपने अच्छी डाल रखी है !....

श्री अध्यक्ष : आप कृपया सदन की कार्यवाही में बाधा न डालें।

श्री हीराभाई : अध्यक्ष महोदय,....,

श्री अध्यक्ष : सार्जेन्ट एट आर्म्स ! माननीय सदस्य को बाहर ले जायें।

(श्री हीराभाई को सार्जेन्ट एट आर्म्स द्वारा सदन से बाहर ले जाया गया)

श्री मोगजी भाई (बांसवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं इसका घोर विरोध करता हूं। जो परम्परा है वह गलत है और मैं इसके विरोध में बाहर जाता हूं।

(श्री मोगजीभाई सदन छोड़कर बाहर चले गए)

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९५९ के अन्तर्गत बनाए गए नियमों में संशोधन

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद् विधेयक, १९५९ के तहत जो रूल्स बनाये गये हैं उनमें संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : इसके बाद में एक प्रस्ताव और है। श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन (लूनकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा जो अमेन्डमेंट है वह इस प्रकार है क्या इसे पढ़ने की आवश्यकता है?

(नियमों के लिये कृपया संक्षिप्त-विवरण देखिये)

श्री अध्यक्ष : इसके लिए बहस की दूसरी तारीख निश्चित करेंगे।

श्री पी० के० चौधरी : नेक्स्ट सेशन में ?

श्री अध्यक्ष : जी हां।

NOTICE OF AMENDMENTS

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : (Division No. 121) to move :—

1. This House resolves that in pursuance of subsection (2) of section 79 of the Rajasthan Panchayat Samitis and Zila Parishads Act, 1959, the following amendments be made in Rajasthan Panchayat Samities (Election of Members of Standing Committees) Rules, 1959, laid on the Table on the 1st. December, 1959, namely :—

"(i) In Rule 9, sub-rule (3), add the following words at the end : "in accordance with the principle of proportional representation by means of single transferable vote."

(ii) In Rule 10, sub-rule (3) may be replaced by the following :

(3) An elector in giving his vote—

(a) Shall place on his ballot paper the figure 1 in the space opposite the name of the candidate for whom he votes;

(b) may, in addition, place on his ballot paper the figure 2 or the figure 2 and 3, or the figures 2, 3 and 4 and so on in the spaces opposite the names of other candidates in the order of his preferences."

2. This House resolves that in pursuance of sub-section (.) of section 79 of the Rajasthan Panchayat Samis and Zilaa Pari shads Act, 1959, the

Page No.45

(श्री पी० के० चौधरी)

following amendments be made in Rajasthan Panchayat Samitis and Zila Parishads (Financial, Accounts and Budget) Rules, 1959, laid on the Table on the 1st December, 1959 namely :—

"(1) In Rule 40, delete the words and the——instructions." occurring at the end.

(ii) In Rule 45, delete the word "adjust... ... it or" and also delete the word "other."

3. This House resolves that in pursuance of sub- section (2) of section 79 of the Rajasthan Panchayat Samitis and Zila Parishads Act 1959, the following amendments be made in Rajasthan Panchayat Samitis and Zila Parishads (Conduct of Business) Rule, 1959, laid on the Table on the 1st December, 1959, namely:—

"In Rule 4, sub-rule 1, the word "six" may be replaced by the word "ten."

(ii) In Rule 4, sub-rule (2), the words "shorter... ... sub-rule (1),, be replaced by the words "three clear days' notice."

(iii) In Rule 9, insert the word 'not' between the words 'shall' and 'be' and replace the words 'shall withdraw' by the words 'may witness the proceedings of the meeting.'

(iv) In Rule 14, delete the words 'second or'.

(v) In Rule 21, sub-rule (5), replace the words 'three-fourth' by the words 'one-tenth'. "

4. This House resolves that in pursuance of sub-section (2) of section 79 of the Rajasthan Panchayat Samitis and Zila Parishads Act, 1959, the following amendments be made in Rajasthan panchaya tSamitis Pradhan and Up-Pradhan and the Zila Parishads Pramukhs and Up-Pramukhas (Election Petition) Rule, 1959, laid on the Table on the 1st Decembor, 1959, namely :-

'In Rule 7, delete parts (b) and (e) of the proviso.'

श्री भीमसेन (लूनकरणसर) : (Division No. 19) to move:-

1. This House resolves that the following amendments be made in the Rajasthan Panchayat Samitis (Election of Chairman of Standing Committee) Rules, 1959, laid on the Table on the 1st December, 1959, namely:-

(I) In Rule 4, sub-rule (1), add the following after words "Seven clear days" "or such shorter period as the Pradhan may deem fit"

(ii) In rule 4, sub-rule (3) after the word "residence", add the following:-

"or by handing over a membr present at the Panchayat Samiti office."

2. This House resolves that the following amendments be made in the Rajasthan Panchayat Samities (Election of Standing Commitiee) Rules, 1959, laid on the table on the 1st December, 1959, vi z:-

(श्री भीमसेन)

"1. In Rule 6, sub-ruls (2), delete Parts (a) and (b).]

१२. ३९ म० प०

विधायी कार्य

राजस्थान ग्रामदान विधेयक, १९५९

श्री अध्यक्ष : लेजिस्लेटिव बिज़नेस।

माननीय मंत्री महोदय कृपया उत्तर दें।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, कल जो ग्रामदान विधेयक पर सदन के अन्दर विचार हुआ.......

डा० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : सुनाई नहीं दिया।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अब जोर से बोलूंगा। खास तौर से जयपुर से आई हुई माननीय सदस्या ने इस पर एक संशोधन प्रस्ताव पेश किया कि इस बिल को फिर से उसी सलेक्ट कमेटी को या दूसरी सलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाये ताकि वह दुबारा देख कर अपनी रिपोर्ट पेश करें। उनको कुछ दिक्कतें इस बिल के अन्दर ऐसी महसूस हुई हैं कि जिससे वह समझती हैं कि यह बिल अभी अपूर्ण है और इसमें कमियां रह गई हैं और उनके बारे में कुछ सुझाव भी अमेन्डमेन्ट के तौर पर दिये हैं। इसके साथ ही साथ श्रीमाधोपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने जो बातें कहीं इस बिल के विरोध में वे तो ग्रामदान की भावनाओं से ही आज से नहीं बल्कि हमेशा से ही विरोध करते हैं और यहां तक उन्होंने कहा कि यह चीन का कम्यून है और कहा कि यह एलीमेन्ट ऑफ फोर्स है और जबर्दस्ती से ग्रामदान लेने की प्रथा शुरू हो जायेगी और भी कई तरह की बातें कहीं।

तो मैं आपको एक अर्ज करना चाहता हूं कि जिस उद्देश्य को लेकर इस बिल को सदन में पेश किया गया है उस पर तो कुछ माननीय सदस्यों ने पूरा प्रकाश डाला है। वास्तव में विनोबाजी ने अपने देश में एक नई विचारधारा दी है ग्रामदान की। अपने यहां पहले भूदान एक्ट लाया गया। भूदान बोर्ड बना हुआ है और भूदान बोर्ड को राजस्थान के अन्दर लाखों एकड़ भूमि मिली है और लोगों ने इस बात को अपनाया है भूदान की प्रथा को। तो जहां तक ग्रामदान का मैं समझता हूं कि कल माननीय सदस्यों को बताया गया था कि राजस्थान में २५०, ३००, ३५० बहुत से छोटे-बड़े गांवों का ग्रामदान अलग अलग जगह हुआ जब कि विनोबाजी की यात्रा हुई तब और उसके बाद में जब ग्रामदान हो गया है और लोगों ने अपनी खुशी से जमीन दी तो फिर उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं करें तो एक गलत बात होगी। क्योंकि जब ग्रामदान हो गया है। जमीन लोगों ने ग्रामदान में भेट कर दी है तो उसके लिए कुछ न कुछ कानूनी व्यवस्था करनी पड़ेगी और इस बात की आवश्यकता है, क्योंकि जब आपने अपनी जमीन अपनी खुशी से,

रजामन्दी से दान कर दी है इस काम के लिए कि उसका रिडिस्ट्रिब्यूशन हो जाय उस विलेज के अन्दर और रीडिस्ट्रिब्यूशन भी बिल्कुल इक्विटेबल रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाय ताकि हरेक व्यक्ति को, हरेक तबके को जमीन मिल सके और दूसरे लोग जो जमीन देते हैं उसके लिए जब तक कानूनी व्यवस्था नहीं करेंगे उस वक्त तक सारा एक कन्फ्यूजन सा पैदा हो जायेगा। इसलिए इस बात की आवश्यकता है, कानून बनाने की।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

अब जहां तक श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य की विचाराधारा है, वे तो ग्रामदान की मूलभूत बात के खिलाफ हैं। जितने भी जहां देश के अन्दर प्रगतिशील कदम होते हैं, सहकारिता की खेती की बात करते हैं या और कोई भूमि सुधार की बात करते हैं तो उनका हमेशा विरोध करते हैं। इस सदन में या इस सदन के बाहर वे और उनकी पार्टी को समर्थन करते हुए नहीं देखते हैं। उनके विरोध को ग्रामदान के लिए या भूदान के लिए मैं एक राजनैतिक विरोध मानता हूं। इसलिए मानता हूं कि देश में विनोबाजी पद यात्रा करते हैं तो जो प्रतिक्रियावादी तत्व हैं या ऐसे तत्व हैं जिनको मैं कहूं कि इस तरह की भावना पैदा करते हैं जिसको प्रतिक्रियावादी कहते हैं, तो वे लोग विरोध करते हैं। विनोबाजी पदयात्रा करें, सहकारिता की खेती करें या और कोई लैण्ड रिफार्म्स की बात करें उसका विरोध करते हैं, किसानों के हित की बात बता कर। लेकिन वास्तव में वे किसानों का हित नहीं सोचते हैं, असल में उसके अतिरिक्त और ही कुछ है। उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहूंगा सिवाय इसके कि यह नई विचारधारा देश को दी। उसकी तारीफ है, सराहना है। इसके अन्दर मूलभूत बात है कि जमीन की जहां सीलिंग निकाली है, जहां कोऑपरेटिव फॉर्मिंग की बात कर रहे हैं वहां कानून एक ऐसा कर रहे हैं कि एक आदमी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से जो कुछ भी सरप्लस लैण्ड है उसको सरेन्डर करता है। ग्रामदान की भावना ऐसी है, उसे इस बात का आशय है कि गांव स्वावलम्बी बने। जहां हमने डीसेन्ट्रेलाइज़ेशन किया है, उसके साथ में ग्राम पंचायतें और पंचायत समितियां कायम की हैं, उनके साथ में इसको देखा जाय तो गांव को स्वावलम्बी बनाने की भावना है। इस ग्रामदान के पीछे देखें कि जहां ग्राम पंचायतें हैं वहां ग्राम सभा और उसकी एग्जीक्युटिव कमेटी उनकी जगह ले लेगी। ज़मीन जितनी है उसका पूल होकर कम्युन्स या कल्टीवाइज़ेशन नहीं हो रहा है, बल्कि उसमें साफ है कि उनकी एक्ज़ीक्यूटिव कमेटी वह रीडिस्ट्रिब्यूशन जमीन का करेगी, हरएक व्यक्तियों को प्रत्येक परिवार की आवश्यकताओं को देखते हुए। इससे भूमिहीन किसानों का मसला हल हो जायेगा सीलिंग लगाने का कानून बनाया है तो वह ग्रामदान के विलेज पर शायद लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि यहां पर रीडिस्टि्यूशन हो जायगा। जो असमानता ज़मीन की है वह असमानता नहीं रहेगी तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि इस बात का अच्छा विचार देश को और कोई नहीं दे सकता था जो कि विनोबा जी ने दिया है। और उसका जो विरोध करें तो मैंने जैसा अर्ज किया वह केवल राजनैतिक विरोध है। इसमें सहकारिता का नया रूप है। तो लोग मिल-जुल कर एक व्यक्तिगत संपत्ति रखने की जो भावना है वह खत्म होकर सारे गांव के लोग अपने को एक कुटुम्ब का सदस्य समझने लगेंगे तो कितना बड़ा समाज का सुधार हो सकेगा। यह सोचने की बात है।

जहां तक श्री माधोपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने कानूनी मसला उठाया है, मैंने कल भी कहा था और फिर आज सदन को बता देना चाहता हूँ कि दर असल में सेक्शन ३ के अन्दर यह कहा जाता है वह ओवर राइडिंग के प्रिन्सिपल पर रखा गया

Page No.48

(श्री दामोदरलाल व्यास)

है । उससे मतलब यह कभी भी नहीं है कि टिनेन्सी एक्ट के अन्दर जो प्रोविज़न है सब टिनेन्ट को उसको खातेदारी के अधिकार हो जायेंगें । सेक्शन १९ है वह भी खत्म हो जायेगा । मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि उनको जो डर था कि जितनी भी डिस्प्यूटेड लैण्ड्स खातेदारों की हैं अगर वह ट्रान्सफर हो जाती है भूदान या ग्रामदान में तो फिर जिन लोगों के राइट्स पैदा हो गये हैं वह टिनेन्सी एक्ट में वे राइट् खत्म हो जायेंगे । यह बात बिल्कुल गलत है । जो आदमी रेकार्डेड टिनेन्ट हैं १५ अक्टूबर स. १९५७ से वह टिनेन्सी एक्ट के अमेंडेड लॉ के तहत विदा-उट एप्लीकेशन अपने आप खातेदार काश्तकार हो जाता है । इसलिये वह डर नहीं रहता है । इसमें मान लिया जाय कि कुछ कहीं, पर डिस्प्यूट हो सकता है इसमें सबटेनेन्ट के डिस्प्यूट भी हो सकते हैं । खातेदार भी उस लैण्ड पर क्लेम करें और सबटिनेन्ट भी क्लेम करें । ऐसे डिस्प्यूटेड लैण्ड को किसी ने ट्रान्सफर कर दिया ग्रामदान के भेंट कर दिया तो किसी के हक में फैसला नहीं होता है तो जो मुकदमे का फैसला होगा तो उस मुकदमे का फैसला हो जायेगा । जिसका क्लेम नहीं होगा और उसने ग्रामदान में भेंट कर दी है उसका हक नहीं होगा अदालत से तो वह ग्रामदान गलत माना जायेगा और उसका डोनेशन गलत माना जायेगा, और जिसका अधिकार अदालत से घोषित हो जायगा वही उस लैण्ड का अधिकारी होगा । इसमें कोई दो राय नहीं है । न कोई कानूनी पेचीदगी है । सीधी सी बात है । रेकार्डेड टिनेन्ट है वह अपनी जमीन भूदान में दे देता है तो मुकदमे के अन्दर ग्रामदान वाली ग्रामसभा या एक्जीक्युटिव कमेटी है वह उस जगह को ले लेगी मुकदमें और उसकी जगह जो कुछ फैसला होगा उसके अनुसार वह पार्टी हो जायेगी । इसलिये जिस नाम से राइट्स टिनेन्सी एक्ट में एक हो गये हैं उसके राइट्स खत्म होने का प्रश्न नहीं है ।

अब जो दूसरे अमेन्डमेंट पेश किये गये हैं जो माननीय सदस्या जयपुर से आई हैं उन्होंने सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए बातें बतलाई, जो कुछ सुझाव दिये हैं वह उन्होंने अमेंडमेंट्स के रूप में पेश किये है यहां नई बात नहीं कही गई है। मैं समझता हूं कि अमेंडमेंट्स को जब हम क्लाज बाई क्लाज लेगें तब विचार होगा । जो दलीलें दी कि ये ये कमियां रह गई हैं इसलिये सिलेक्ट-कमेटी में भेजा जाये । वे कमियां उन्होने सदन के समक्ष रख दी हैं । उन पर विचार कर सकते हैं । एक छोटा सा बिल है और कुछ क्लाजेज में कमियां बतलाई हैं वे मैं समझता हूं शायद खुद अमेंडमेंट्स का जबाब सुनने के बाद कन्विन्स हो जायेंगी कि दर असल में उनका विचार सही नहीं हैं, और इसके वास्ते उनको लेने की आवश्यकता नहीं है ।

इसी तरह से फुलेरा से आनेवाले माननीय सदस्य ने इसको पब्लिक ओपीनियन के लिये सर्क्युलेट करने के लिये कहा है । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कल मैंने माननीय सदस्य को बताया था कि यह बिल इतना आवश्यक है, इतना जरूरी है कि इसको जल्दी से जल्दी पास करना चाहिये । पब्लिक ओपीनियन के लिये वे कहते हैं । इसके लिये विनोबाजी ने सारे हिन्दुस्तान की पदयात्रा की और इसका उनको कितना

Page No.49

(श्री दामोदरलाल व्यास)

रेस्पोन्स मिला है उससे ही इस बात की पब्लिक ओपीनियन मालूम हो सकती है । अब पब्लिक ओपीनियन क्या चाहिये जब कि उनको इस प्रकार से प्रत्युत्तर मिला । कौन सा सेक्शन ऐसा हो सकता है उस सेक्शन के अलावा जिसके लोग मैंने आपसे कहा कि राजनैतिक आधार पर इस प्रकार के जितने भी कदम जो प्रगति के लिये उठाये हैं उनका विरोध करते हैं; बाकी देश के अन्दर हर सेक्शन ने, हर पोलिटिकल पार्टी ने इस भूदान को और ग्रामदान को अपनाया है । देश के बड़े बड़े नेता इस बात को ठीक मानते हैं । इसमें पब्लिक ओपीनियन चाहने की कोई आवश्यकता नहीं है । इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि इन दोनों अमेंडमेंट्स को स्वीकार नहीं करता हूं । मैं समझता हूं कि दोनोंर माननीय सदस्य इनको वापिस ले लेंगें ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजा जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहती हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव डा० चन्द्रकला ने इसको प्रवर समिति में भेजने-का प्रस्तुत किया है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

डा० **चन्द्रकला** : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेती हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री पी. के. चौधरी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(विराम)

राजस्थान ग्रामदान विधेयक, १९५९
(खण्डश: विचार विमर्श)
क्लाज २

श्री भोगीलाल पंड्या (आसपुर) : in part (n) :

(i) In sub-part (1) insert the words and comma "Falla, Wada" between the word "pura" and "or"

(ii) In sub-part (ii), substitute the word "fifteen" for the word "twenty."

माननीय अध्यक्ष जी, गांव का अर्थ राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, १९५६ की धारा ३ के खन्ड (V) में यथा परिभाषित गांव से है और इसके अनुसार ऐसे गांवों से भी है जिनसे पट्टी, ढाणी वगैरह भी सम्मिलित हैं । राजस्थान के दक्षिणी भाग में जहां ग्रामदान हुए हैं, जहां अनुसूचित जातियों की अधिक संख्या है वहां फला, वाड़ा के नाम से पट्टी (Hemlet) को कहा जाता है । इसलिये मेरा संशोधन है फला और वाड़ा को पूरा और "या" के बीच में जोड़ दिया जाय, यह मेरा छोटा सा संशोधन है । माननीय राजस्व मन्त्रीजी से निवेदन है कि इसे जोड़ दिया जाय, सम्मिलित करने की कृपा करें ।

श्री गोकुलचन्द जाटव (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के सम्बन्ध में

(श्री गोकुलचन्द जाटव)

मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरह से ढाणी, पट्टी, पुरा आदि की बात कही गई है उसी तरह से अलवर में मेवाती एरिया है जहां पर 'बास' कहा जाता है जैसे अलीपुर बास आदि। इसलिये 'बास' शब्द भी जोड़ा जाना चाहिये। जिस तरह से पुरा जोड़ने की बात कही गई है उसी तरह से इसे भी जोड़ना चाहिये। साथ ही हरिजनों को अलग जमीन दी जाकर अलग बस्ती बसाई जाती है उनको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिये।

श्री भोगीलाल पंड्या (आसपुर) : ये भी जोड़ दिये जांय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वैसे इसमें अदरवाइज़ रखा है, उसमें सभी आ जाते हैं। फिर भी 'बास' और जोड़ दिया जाय तो कोई ऐतराज नहीं है।

एक माननीय सदस्य : 'अदरवाइज' से साफ नहीं होगा।

डॉ. चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : [In sub-part (ii) of Part (n) "twenty" शब्द के स्थान पर "fifteen" शब्द प्रतिस्थापित किया जाय।] माननीय अध्यक्ष, धारा २ के २ के सब-पार्ट (एन)२के पार्ट में मेरा संशोधन यह है कि जहां इस प्रकार का वाक्य है कि २० या इससे अधिक रेहायसी घरों या ड्वेलिंग हाउसेज़ के घरों को ग्रामदानी ग्राम डिक्लेयर किया जा सकता है, इसमें मेरा संशोधन इतना ही है कि २० के बजाय १५ रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष: यह तो पहले ही पास हो चुका है। आपका दूसरा संशोधन था उस पर बोलिये।

श्री भोगीलाल पंड्या (आसपुर) : दूसरा मेरा था वैसा ही है।

डा० चन्द्रकला : मैं उसका समर्थन करती हुई कहना चाहती हूं कि हमारे लैंड रेवेन्यू एक्ट, १६५६ में जो परिभाषा गांव की रखी है उसके अनुसार कई एक ऐसे गांव हैं जो ४,५ या १० घरों की बस्तीवाले भी गांव मान लिये गये हैं। जब इतने छोटे गांव को गांव मानते हैं तो यहां पर २० घरों की आबादी का सवाल रखना ठीक नहीं है। दूसरी और व्यावहारिक बात देखते हैं तो अभी तक जो ग्रामदानी ग्राम मिले हुए हैं वे छोटे छोटे हैं, जो २३५ गांव ग्रामदानी हैं उनकी आबादी २० से कम है इसलिये उन गांवों का क्या होगा? जहां हमने ग्रामदानी गांवों को अलग रजिस्टर करने की बात कही है उसमें २० या इससे ज्यादा के बदले १५ या उससे ज्यादा रख दिया जाय तो यह सुविधाजनक होगा। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, गांव की डेफिनशन पापुलेशन के हिसाब से क्लाज ५ में दी गई है। इस डेफिनिशन को उसी सेक्शन में ले लिया जाय तो ठीक होगा।

"Provided that no part of the village shall be registered as separate village, if the population of such part is less than 300".

अब वहां पर १५ घर हो गये तो ३०० की पापुलेशन नहीं होगी तो वह गांव नहीं माना जायेगा। इस विलेज को डिफाइन करना है तो मैं समझता हूं पापुलेशन का बेसिस जो रखा है वह बहुत ज्यादा रखा है। एक घर में ५ सदस्य मानते हैं तो १५ घरों की पापुलेशन ७५ आदमियों की होगी। इस

(श्री शंकरलाल)

डेफिनेशन को क्लाज ५ में रखा है उसमें यह रख दिया जाय कि १५ घर होंगे और कम से कम १०० या ७५ की पापुलेशन होगी। क्योंकि यदि १ घर में ५ व्यक्ति होते हैं तो ७५ ही की आबादी होती है । इसलिये यह लीगेली डिफेक्टिव है ।

श्री भोगीलाल पंड्या (आसपुर): उस क्लाजको विलोपित करने का संशोधन रखा है ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : मैंने क्लाज ८ में संशोधन रखा था उसको ड्राप कर दिया गया उसका कारण यह बताया था....

श्री अध्यक्ष : कहां है आपका संशोधन ?

श्री दयाकृष्ण विजय : क्लाज २ (जी) में है ग्राम सभा....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : That amendment is not before the House.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I want to speak on this Sir. मेरा अमेन्डमेंट नहीं है, मैं आपका विरोध करता हूं ।

श्री दयाकृष्ण विजय : अध्यक्ष महोदय, पहले मैं २ मिनट में खत्म कर दूं।

श्री अध्यक्ष : Yes.

श्री दयाकृष्ण विजय : इसमें 'ग्राम सभा' की परिभाषा (८) में दी है । हमारे यहां सीलिंग कानून और पंचायत समिति व जिला परिषद् कानून बन चुका है । पंचायतों के मातहत गांवों का प्रशासन चलेगा और पंचायतें नियन्त्रण करती हैं, यदि उनसे अधिकार लेकर उनका हिस्सा जैसा कि इसमें लिखा है ग्राम सभाओं को दे देंगे तो गांवों में आपस में लड़ाई रहेगी। कलेक्टर को दरख्वास्त देकर अलग करा दिया जायगा। ग्रामदानी बाकी रहेंगे वे अलग हो जायेंगे। लेकिन एक ही ग्राम में पंचायत का जुरिस्डिक्शन रहेगा और ग्राम सभा का भी रहेगा । यदि एक आदमी का मकान एक के अन्तर्गत आता है और उसकी जमीन दूसरे के अन्तर्गत आती है तो पंचायत के जुरिस्डिक्शन का डिविजन करा सकते हैं, लेकिन इससे कठिनाई पैदा हो जायगी। लेकिन यदि आप ग्राम सभा के स्थान पर कृषक सभा रखते हैं और सारे गांव का काम जो लैंड से सम्बन्धित है और भूमि के विषय में सारी बातें होती हैं उनको कृषक सभा के नीचे रखिये, काश्तकारों का काम अलग रखेंगे तो किसी को मतभेद नहीं हो सकता। लेकिन पंचायत का जुरिस्डिक्शन रहा और उसके बीच में रहने वाले दूसरे लोग हैं जैसे खाती, कुम्हार, ब्राह्मण, वैश्य आदि जो खेती नहीं करते हैं उन पर जुरिस्डिक्शन रहेगा पंचायत का तो इस प्रकार की मिली जुली बात चल नहीं सकती । यदि आप चाहते हैं कि इनमें संगठन बना रहे तो ग्राम सभा हटा कर कृषक सभा बनाइये। यदि उनको सेवा समिति के आधार पर बीज, खाद, भूमि का भी अधिकार दिया जाय तो भी मैं विरोध नहीं करूंगा यद्यपि व्यक्तिगत रूप से मेरा विरोध हो सकता है। इस समय तो आप बहुमत के आधार पर पास कर देंगे लेकिन आगे जाकर झगड़ा पड़ सकता है इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 'ग्राम सभा' के बजाय 'कृषक सभा' रखिये। क्योंकि जितने

१. म० म०

(श्री दयाकृष्ण विजय)

लोग आपके ग्रामदानी हैं और जो कृषक हैं, वे सब मिल कर पंचायत में जुरिस्डिक्शन रखेंगे, पंचायत समिति में जायेंगे, जिला परिषद् में जायेंगे । आपके पंचायत एक्ट की हर बात में आ सकते हैं । आप एक हजार की, दो हजार की पंचायत बनाना चाहते हैं, उस पंचायत को बनाने वाले, उस गांव वाले उस गांव का प्रबन्ध करेंगे, दूसरा कोई प्रबंध करने वाला नहीं है । जब गांव वाले सारा काम करते हैं तो ग्राम सभा और पंचायत में झगड़ा होगा क्योंकि एक किसान का घर इधर है और एक किसान का घर उधर है, दोनों ग्रामदानी हैं, इसका खेत इस तरफ रहेगा, उसका खेत उस तरफ रहेगा, इस तरह की बात रखना, मैं समझता हूं, दोनों को अलग अलग रख कर एक झगड़ा बढ़ा देना चाहते हैं । इसलिए आप ग्राम सभा के बजाय कृषक सभा रखिये, उसका जो अधिकार है वह दीजिये, उसके आधार पर वे अपना काम मिल कर करें । जो पंचायत का जुरिस्डिक्शन है, उसे नहीं बढ़ाना चाहिए । वैसे वे पंचायत के अन्दर में रहें, लेकिन जो विकास का कार्य है, वे सारे गांव के लोग मिल कर करेंगे तो अच्छा रहेगा । इसलिए मैं सुझाव देता हूं कि 'ग्राम सभा' की जगह 'कृषक सभा' रखिये । जो कृषक सभा बनायें, जो विलेजेज का प्रबन्ध भूमि का है, जो भूमि से सम्बन्धित है, वह कार्य करेंगे, दूसरा और कोई काम नहीं लेने वाले हैं । जब भूमि से सम्बन्धित किसान होंगे, कृषक सभा होगी, तो कृषक सभा कर देने से कोई अन्तर नहीं होगा बल्कि गांवों में यूनिटी हो जायगी, एक सुन्दर वातावरण पैदा होगा । गांवों में विषाक्त वातावरण नहीं बनेगा, पंचायत और ग्राम सभा के जुरिस्डिक्शन में लड़ाई नहीं होगी । इसलिए मेरा सुझाव है कि 'ग्राम सभा' की जगह 'कृषक सभा' कर दिया जायगा, तो इसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है ।

श्री पी० के० चौधरी : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अभी क्लाज पर बहुत अमेंडमेंट हैं । आप बोले, संक्षेप में ।

श्री पी० के० चौधरी : अमेंडमेंट ज्यादा नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष : अमेंडमेंट काफी हैं । एक क्लाज पर थोड़ा थोड़ा विचार करें तो भी काफी समय लगेगा । समय को ध्यान में रख कर बहस में भाग ले ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, यह जो मुहम्मद तुग्लक का कानून है, इस कानून का...

श्री शंकरलाल (रायपुर) : स्पष्टीकरण कर रहे हैं ।

श्री पी० के० चौधरी : यह मोहम्मद तुग्लक....

डॉ० चन्द्रकला : (किशनपोल बाजार, जयपुर) : यह मोहम्मद तुग्लक का कौन सा कानून है ।

श्री पी० के० चौधरी : मैं बता दूंगा । इतिहास को जो लोग पढ़ते हैं, वे जानते हैं कि मोहम्मद तुग्लक ने क्या क्या कानून बनाये ।

Page No.53

श्री अध्यक्ष : पूरा इतिहास मत बताने लगें आप।

(हंसी)

श्री पी० के० चौधरी : इस कानून में जो विलेज़ की डेफीनेशन है, इस विलेज की डेफीनेशन और इस बिल में जो विलेज़ का प्रोवीजन है, उसमें काफी कान्ट्रोडिक्शन है। मैं जानना चाहता हूँ कि इस तरह की डेफिनेशन देकर क्या नक्शा हिन्दुस्तान का बनाना चाहते है? मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ जो विलेज की डेफीनेशन दी है "village" means a village as defined in clause (v) of Section 3 of the Rajasthan Land Revencue Act, 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956) and includes :-

(i) a part of such village whether called a hamlet, thok, patti, dhani, pura or otherwise, and

(ii) a group of twenty or more contiguous dwelling houses in a village which the State Government may, by notification in the Official Gazette, declare. to be village. अब क्लॉज ५ की तरफ में आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ—Registration of part of a village as a separte village:-वहां पर यह दिया गया है—"Provided that no part of a village shall be registered as a separate village if the population of such part is than three hundred" यानी वहां पर, जो सेपरेट विलेज को रजिस्टर करने का क्लॉज है, उसमें कहा है, ए पार्ट आफ विलेज' जिसकी ३००से कम पोपुलेशन होगी, वह विलेज नहीं माना येगा। लेकिन डेफीनेशन को इस तरह तोड़-मरोड़ करके रखते है, मैं समझता हूँ कि क्लाज ५ में जो आइडिया दिया है कि एक गांव या पार्ट आफ विलेज, जिसकी पोपुलेशन ३०० से ज्यादा नहीं होगी इस क्लाज में यह प्रोवाइड करते हैं तो डेफीनेशन ऐसी बनती है कि ५० आदमियों के विलेज को विलेज डिक्लेयर कर सकते हैं। वहां कहा है कि १५ मकान हो, १५ डवेलिंग हो, यह किस प्रकार की ड्वेलिंग होगी, इसकी कोई डेफीनेशन नहीं है। This dwelling may be one room tenement. एक कमरे का मकान है वह ड्वेलिंग है, एक लाइन में इस तरह के १५ ड्वेलिंग हैं, इस सदन का जो एरिया है, उसके ३ एरिया में १५ ड्वेलिंग आ सकते है, इस डेफीनेशन के माफिक उस १५ ड्वेलिंग में ६० आदमी हैं। तो इस डेफीनेशन के मुताबिक उसको विलेज डिक्लेयर कर सकते हैं। हमने एक तरफ वहां पर लोगों को बताने के लिए कि विलेज की यूनिट है उसको हमने यार्डस्टिक माना हैं इस यार्डस्टिक के माफिक पार्ट आफ विलेज को आप विलेज डिक्लेयर करना चाहते है, उसकी पापुलेशन ३०० रहेगी। इसमें जो डेफीनेशन है उसके मुताबिक, मैं कहना चाहता हूँ कि ५०,६० आदमियों का विलेज बना देंगे। यह विलेज का नक्शा क्या होगा, एक लाइन में जो लेबरर्स चाल हैं, उसमें १५ ड्वेलिंग आ सकती है। एक कमरे का एक ड्वेलिंग होता है। ड्वेलिंग की डेफीनेशन में नहीं दिया हुआ है dwelling means any sheltered place जहां लोग रहते हैं वहां एक कमरा एक ड्वेलिंग बन जायगा और १५ ड्वेलिंग एक विलेज बन जायेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि अब कैसे नक्शा हिन्दुस्तान का बना रहे हैं? इस ग्रामदान एक्ट के आने के बाद, राजस्थान में जितने गांव हैं; उनकी संख्या हन्डरेड टाइम्स हो जायेगी।

Page No.54

(श्री पी० के० चौधरी)

मैं समझता हूँ जो रिकग्नाइज्ड विलेज है, जिसको गवर्नमेंट के रेकार्ड में विलेज रिकग्नाइज़ किया गया है उसको मान कर चलना चाहिये न कि हमें गांव की डेफीनेशन में रिवोल्यूशन लाना चाहिये। आज भूदान का नारा है, जगत्दान का नारा भी देते हैं, भूदान से जगत्दान में पहुंचते हैं, वहां दूसरी ओर ओटोमाइज़ करना चाहते हैं। आप जानते हैं हिन्दुस्तान में सेपरेटिस्ट की फीलिंग रहती है। एक एरिया के लोग दूसरे एरिया के लोगों के लिए ऐसी फीलिंग रखते है। मैं समझता हूँ कि इस तरह के छोटे-छोटे गांव बना कर इस फीलिंग को तैयार करेंगे, सेपरेटिस्ट की जो फीलिंग हैं; टेन्डेन्सीज हैं, जिनको रखना चाहते हैं It will be an impetus to the separatist tendency amongst People. एक तो यह बात आती है, दूसरी बात कुछ इम्प्रेक्टीकेबल आती है। क्या मखौल बनाना चाहते हैं, १५ ड्वेलिंग है, १५ छोटे छोटे कमरे, उसको गांव का नाम देना चाहते हैं ? अब यह टेन्डेन्सी हो जाय जिस आदमी को समाज में नीचा समझते हैं....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : Sir, this is more or less a repetition of what the Honble, Member has already said, I would request that he may confine his arguments to the subject and not to repeat his arguments I have been counting and this is the fourth time that the Honble Member has said the same thing.

श्री पी० के० चौधरी : But it should go into your head,

श्री दामोदरलाल व्यास : It has gone into my head and it has gone into the head of every Honble Member. I want that it should now go out of your head.

श्री अध्यक्ष : If you push it toor much, you might push it out of his ears also. I think you have made yourself very clear. Mr. Chaudhary.

श्री दामोदरलाल व्यास : Fou times he has been repeating the very same thing, Sir.

एक माननीय सदस्य : I think Mohammad Tughlak has influenced his mind very much,

श्री पी० के० चौधरी : He is piloting this Bill.

श्री अध्यक्ष : Discussion on amendments should be very specific and businesslike.

श्री दामोदरलाल व्यास : This point one Hon'ble Member has already discussed. As a matter of fact. He has given nothing new.

डॉ० चन्द्रकला : थर्ड रीडिंग में बता दें !

श्री पी० के० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आप समझते हैं कि उसमें कन्ट्रोडिक्शन है। पार्ट ६ ऑफ बिल है it is against the spirit of the Bill which you have proposed in clause 5. प्रोविज़ो में कहा है,

Page No.55

(श्री पी० के० चौधरी)

३०० से कम का सेपरेट विलेज नहीं होगा उसे डिक्लेयर करेंगे ....सेपरेट विलेज अब बता रहे हैं एक विलेज में १५ ड्वेलिंग होंगे, १५ कमरे वाले तो a row of houses may be declared a village. यह डेफीनेशन हो जाती हैं। मैं समझता हूँ कि क्लाज़ ५ रिडन्डेन्ट है, तो क्या रखा जाय। यह क्लाज़ ५ डिलीट कर दिया जाय........

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, जहां तक फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य का सम्बन्ध है, उनका भाषण तो हमने उस वक्त भी सुना था जब पब्लिक ओपीनियन के लिये इस बिल को सर्कुलेट करने के लिए उन्होंने कहा था। उनको कोई बात इसमें नजर ही नहीं आती, उनकी विचारधारा इससे मेल नहीं खाती....

श्री पी० के० चौधरी : और रीएक्शनरी है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं मोहम्मद तुगलक वाली बात नहीं कहूँगा, उनको कन्ट्रोडिक्शन नजर आता है उसके लिये मैं मोहम्मद तुगलक वाली बात कहूँगा यह मुझसे वे उम्मीद न करें।

श्री पी० के० चौधरी : You are in his shoes.

श्री दामोदरलाल व्यास : सेक्शन ५ में रेस्ट्रिक्शन दिये हैं...

'Provided that the population should not be less than three hundred. वर्ना यह मंशा नहीं है कि १५-१५ हट्स में या जहां दो दो आदमी रहते हों और उसको विलेज मान लेंगे। आगे देख लीजिये इसमें लिखा है" The State Government may by notification'... १५ गांव मिलकर ग्रामदान दे देंवे तो उसको मान लें। रेस्ट्रिक्शन रखा है कि ३०० की आबादी नहीं होगी तब तक ग्रामदान के लिये विलेज नहीं मानेंगे। क्लाज ५ है : "This is as a matter of fact restriction on the fragmentation" फ्रैग्मेन्टेशन नहीं हो जाय, इसके लिये रेस्ट्रिक्शन है। जहां तक क्लाज दो है किसी ने यह अमेंडमेंट नहीं दिया कि इसको डिलीट कर देना चाहिये, जहां तक क्लाज़ २ है I will take this point latter.

जयपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने और डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, उनकी भावना ठीक है ...

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : आप ओरेली स्वीकार कर सकते हैं ....

If the Hon'ble Minister-in-charge is prepared to accept the oral amendment then I move that this part may be deleted.

श्री दामोदरलाल व्यास : Don't do that...

श्री पी० के० चौधरी : You have offerred it.

श्री दामोदरलाल व्यास : This is not your suggestion. This is not so. There is no difficulty in this. It is a matter of thinking. Better don't think with Mohammad Tuglak's mind. So far as the amendment of Hon'ble

(श्री दामोदरलाल व्यास)

Member from Dungarpur is concerned that amendment is of corurse I appreciate, in spirit that is alright but if you will look to the definition, you will see that it is not necessary to insert these words. Otherwise, you once allow these words inserted then another Hon'ble Member from Alwar will suggest some other words. Therefore the definition itself says that it is alright. It can accdommodated any name whatever is given to a village or a part of the village. The definition as given in the Bill is "Village" means a village as defined in Clause (v) of section 3 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthen Act 15 of 1956) and includes a part of such village whether called a hamlet, thok, patti,dhani,pura or otherwise."This word otherwise it means that any word whethe patti dhani pura or otherwise will include. It will be applied to any village which is a hamlet. In Dungarpur they might call it 'Phala' or 'Wada'. In Jdodhpur they might call it by some other name. Therefore it means any hamlet by whatever nomenclature they may call.

श्री अध्यक्ष : स्वीकार करने में हर्ज भी नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : There is absolutely no harm. If the Hon'ble Member insists, I have no objection, I will not oppose. But if he is satis fied that this word is alright. then...

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : Dungarpur leads in Gramdan.

श्री दामोदरलाल व्यास : That is different.

श्री भोगीलाल पण्ड्या (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए प्रेस नहीं करता पर वहां १३१ ग्रामों का ग्रामदान हुआ है। वहां यह समस्या आई इसलिये यह संशोधन रखा है। 'अदरवाइज' के स्पष्टीकरण में ये शब्द और जोड़ दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : कहीं अगर ऐसी समस्या है कि फालावाड़ा में एक एक झोंपड़ी का है तो मैं कतई मन्जूर नहीं करूंगा। एक झोपड़ी किसी टेकरी पर मोल की है उसको ग्राम मान लिया जाय, मैं इसे कभी स्वीकार नहीं करूंगा। I will be first to oppose it.

These are the words which I don't understand myself. So these words 'Phala' and Wada must be explained first to the House. I don't want to Insert the words of which I am not sure.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : On a point of order, Sir. There is no quorum in the House.

श्री दामोदरलाल व्यास : You are there.

(गणपूरक घंटी के पश्चात् पुन:)

श्री भोगीलाल पण्ड्या : वैसे फाला में २०० मकान हैं पर कोई फाला ऐसा नहीं है कि जहां २० से कम हों....

डॉ० चन्द्रकला : बाकी शब्द हैं उनमें २० घर हैं....

एक माननीय सदस्य : कोरम नहीं है, फिर बोलियेगा।

(गणपूरक घंटी के पश्चात पुनः)

(विराम)

श्री भोगीलाल पण्ड्या : मैं निवेदन कर रहा था कि फाला २०० घर का होता है और २० से तो कम कोई है ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : What is Nagla ?

श्री पी० के० चोधरी : 'नगला' अलवर का शब्द है।

श्री दामोदरलाल व्यास : I will request both the Hon'ble Members that I will not accept their amendments because this word 'otherwise' is quite suffcient to include every Hamlet. This word is quite comprehensive.

डॉ० चन्द्रकला : दूसरा अमेंडमेंट है।

श्री भोगीलाल पण्ड्या : मैं तो वापिस ले लूंगा, पर वहां एक दिक्कत आई इसीलिए यह संशोधन रखा है, आपसे निवेदन भी कर दिया था।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं समझना चाहता हूं कि क्या कठिनाई आयेगी, हेमलेट में नहीं आते हैं क्या ? हेमलेट अंग्रेजी का शब्द है, इसमें ये सब आ जाते हैं।

श्री पी० के० चौधरो : इसमें अलवर का नगला और मालपुरे का पगला भी नहीं आते।

श्री भोगीलाल पण्ड्या : कठिनाई आती है इसीलिए तो रखा है।

श्री अध्यक्ष : आप स्वीकार करना नहीं चाहते तो वे वापिस लेना चाहते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं समझता नहीं माननीय सदस्य को कठिनाई क्या है ? 'Hamlet,' it is an English word and it includes every thing.

श्री पी०के०चौधरी : Nagla should also be included. Nagla of Alwar and Pagla of Malpura...

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं निवेदन करूं। यह है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हैमलेट, 'अदरवाइज' वर्ड है, 'नगला' आ गया है, 'बास' आ गया है।

डा० चन्द्रकला : तो इन दो शब्दों को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जो दूसरे सुझाव दें, उनके लिए आंखें बन्द कर लूं ? लैंड रेकॉर्ड में जो शब्द हैं उन्हीं को लिया है। मेरे शब्द नहीं हैं।

डॉ० चन्द्रकला : प्रचलित शब्द हैं, दो शब्द मान लें तो क्या हर्ज है ?

श्री पी० के० चौधरी : 'हेमलेट' शब्द रखा है तो उनके साथ दूसरे शब्द भी ले लें तो क्या नुकसान है ?

श्री अध्यक्ष : लैण्ड रेकॉर्ड के साथ जो शब्द हैं उनको ही लिया है।

श्री दामोदरलाल व्यास: लैंड रेकार्ड के अन्दर ये शब्द 'थोक, पट्टा, पुरा बास' शब्द हैं। विलेज को डिफाइन किया है उसमें ये शब्द हैं। These are the words in the Land Records. As a matter of fact, these are there. These words which the Hon'ble Member wants to insert are, I am

Page No.58

(श्री अध्यक्ष)

Sorry, new words, I don't understand them.

तो उनका कहना है कि २० घरों का है तो वहां तो 'अदरवाइज' शब्द में इस्तेमाल हो जायेंगे। जयपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा है कि यह लिखा है, वह लिखा है, तो ये मेरे शब्द नहीं हैं।

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) : मजरा, फाला, वाड़ा वगैरह शब्द हेमलेट से क्लीयर तो नहीं होते, इसलिये इन शब्दों को एड कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : लैंड रेकार्ड में ये ही शब्द प्रचलित हैं, जो इसमें दिये हैं।

श्री भोगीलाल पण्ड्या : माननीय राजस्व मंत्री नहीं लेना चाहते तो वापिस लेने की कोशिश करूंगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : As a matter of fact, I don't want to displease the Hon'ble Member. I have expressed my own difficulty, but if he means only by places of Bhils living on tekris etc. I cannot accept that word.

श्री भोगीलाल पण्ड्या : इसको तो बच्चा बच्चा जानता है।

श्री सोहनलाल भटनागर: That is not.

श्री दामोदरलाल व्यास : If that is not, I can accept.

श्री अध्यक्ष : १५ और २० के बारे में क्या कहना है।

श्री दामोदरलाल व्यास : I am sorry Sir, I am giving my own amendment. यहां २० पर आपत्ति हो रही है। माननीय सदस्य का कहना है कि २० के बजाय १५ रखे जाने चाहिये। माननीय सदस्य ने कहा है कि विलेज का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं होना चाहिये कि एक जगह एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट का हो और दूसरा पंचायत का हो। That will not be proper and, therefore I, with your permission, request for the deletion of this sub-clause (2).

श्री पी० के० चौधरी : मेरा अमेंडमेंट है।

श्री दामोदरलाल व्यास : It is not your amendment. Your amendment was that of Muhammad Tuglak. You see.

श्री अध्यक्ष : पहले आपके (राजस्वमंत्री) अमेंडमेंट पर वोट ले लें।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन (२न) के भाग (२) को विलोपित करने के लिये रखा गया है उसे स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भोगीलाल पंड्या ने 'फाला, वाडा' का रखा है उसे स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया

Page No.59

(राजस्व मंत्री के संशोधन की स्वीकृति के परिणामस्वरूप डॉ० चन्द्रकला का संशोधन प्रस्ताव निरर्थक हो गया)

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज़ २ स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज २, संशोधित रूप में विधेयक अंग बना।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ (ए) स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २ (ए) स्वीकार किया गया।

(विराम)

क्लॉज़ ३, श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

डा० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : मैं इस सम्बन्ध में जरा क्लेरीफिकेशन चाहती हूँ। जो ग्रामदान पहले हो चुका है उसकी क्या स्थिति रहेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): उसकी वही स्थिति रहेगी जो क्लॉज़ ७ में दी गई है।

डा० चन्द्रकला : उसका मतलब क्या है ? आप समझा दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं पढ़ कर सुना देता हूँ।

डा० चन्द्रकला : उनको फिर वही सारी कार्यवाही करनी होगी।

श्री अध्यक्ष : सेवन्थ क्लॉज़ है।

श्री दामोदरलाल व्यास : Sub-clause 7 runs as, "Any declaration donating land by way of gramdan made before the commencement of this Act may be filed by any person before the prescribed authority and the provision of sub-sections (2), (3), (4), (5) and (6) shall then mutatis mutandis apply to such declaration."

The intention is very clear and the Hon'ble Member has understood most correctly.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३ स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़। ४।

डा० चन्द्रकला : [किशनपोल बाजार, जयपुर) उप-खंड (१) के भाग (c) को विलोपित किया जाय] माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ ४ में किसी भी ग्रामदान गांव की घोषणा के सम्बन्ध में है। इसमें तीन बातें बताई गई हैं।

(१) यह है कि ५० प्रतिशत से कम ग्रामदान की जमीन होगी उसको ग्रामदान नहीं माना जावेगा।

(२) दूसरा यह कि ८० पर्सेन्ट लोग ग्रामदान करेंगे उनको माना जावेगा। इन दोनों बातों पर मुझे विशेष नहीं कहना है। लेकिन तीसरी बात है उसमें यह बताया गया है कि ८० पर्सेन्ट prescribed form or manner में ग्रामदान के लिये घोषणा कर देंगे

(डा० चन्द्रकला)

तब उस ग्राम को ग्रामदान माना जावेगा। आपने यहां पर जो भावना को देखते हुए यह रखा है कि ८० प्रतिशत व्यक्ति ग्रामदान समुदाय में भाग लेने की अपनी इच्छा निर्धारित फार्म से तथा तरीके से घोषित कर दी हो तो उसे ग्रामदान घोषित कर दिया जावेगा आपकी यह भावना बहुत अच्छी है। इस पर किसी का जोर-जबरदस्ती का प्रश्न नहीं है। मगर मैं यह पूछना चाहती हूँ कि गांव के ८० प्रतिशत लोग ही क्यों, सेन्ट पर्सेन्ट लोग क्यों नहीं ? मैं यह निवेदन करूंगी कि भावना को देखते हुए जब तक वहां के शत प्रतिशत लोगों की राय न हो तब तक उसे ग्रामदान घोषित नहीं करना चाहिये। आपने यहां पर ८० प्रतिशत का रखा है। मैं यह कहूंगी कि अगर आप सेन्ट पर्सेन्ट रख देते तो कोई एतराज नहीं था। मगर यहां पर आपने ८० प्रतिशत रखा है। भावनाएं ठीक हैं मगर कानून कानून की दृष्टि से चलता है और भावना उसके पीछे पीछे है। भावना धरी रह जाती है और कानून आगे आ जाता है। इसलिये अगर इसको व्यावहारिक दृष्टि से देखा जावे तो यह ठीक नहीं है। आजकल हम कैसे भी प्रयोग को करना चाहते हैं, चाहे अच्छे से अच्छा हो या बुरे से बुरा हो, किसी भी गांव वालों को या वहां के लोगों को उनके हित की अधिक से अधिक बातों को समझाने में समय लगता है....

श्री दामोदरलाल व्यास : खास तौर से महिलाओं को।

डा० चन्द्रकला : महिलाओं को ले लीजिये। गांव में बच्चों और दूसरे लोगों को ले लीजिये। मैंने कहा कि समझाने में समय लगता है। औरतें कम पढ़ी-लिखी होती हैं, इसलिये उनको समझाने की जरूरत है और मैं तो यह कहूंगी कि आपका ग्रामदान ही नहीं जितने भी प्रयोग हैं जब तक उनको महिलाएं नहीं अपनाती हैं तब तक वे सब आपके प्रयोग और दान-वान सब धरे ही रह जाते हैं। वे तभी सफल होने वाले हैं जब महिलाएं उनको अपनाएंगी। मेरा मतलब यह है कि इस कानून में धारा रखी है Prescribed manner and prescribed form, जब ८० प्रतिशत लोग अपनी राय देंगे तब उसको ग्रामदान घोषित करेंगे, इसको हटा दिया जावे। पहली बात है वह यह है कि ८० प्रतिशत का सवाल ही नहीं रहता है और जो एतराज श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया वह भी निराधार है। क्योंकि आखिर लोगों को कहने का मौका तो मिल सकता है कि आपने ८० पर्सेन्ट रखा है और २० पर्सेन्ट लोग इससे राजी नहीं हैं। आप इस ८० प्रतिशत की बात को उठाते हैं। आप इसका लेखा क्यों लिखते हैं वह तो ८० प्रतिशत न होकर सेन्ट पर्सेन्ट होना चाहिये। आप ८० प्रतिशत से लिखित घोषणा ले लें और २० प्रतिशत से बात भी न करें, इससे आपका ग्रामदान आदान हो जाता है। यह आपकी भावनाओं से मेल नहीं खाता है और व्यावहारिक कठिनाई भी आ जाती है। इसमें कई लोगों को कहने की गुंजाइश नहीं आनी चाहिये। जैसे राजस्वमंत्री ने बताया कि यह कानून इसलिये लाने की आवश्यकता पड़ी कि २३५ ग्राम दान हो चुके हैं और उनको कानूनी स्थिति देनी है और वही गांव के लोग ८० प्रतिशत लोगों को यह करने वाले हैं, तो बेचारे भूदान के कार्यकर्ता हैं उनको वापिस जाकर वहां पर

(डा० चन्द्रकला)

कार्य करने के लिये लगना होगा और वे फार्म ले जाकर ८० परसेन्ट लोगों के दस्तखत कराने होंगे और ग्रामदान ग्राम आप बनावेंगे तो व्यावहारिक दृष्टि और भावना की दृष्टि से और जिस दृष्टि से ग्रामदान को बनाने चले हैं वह उचित नहीं होगा। इसलिये ऊपर के दो हिस्से रखे हैं, उसी से मतलब पूरा हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : There is one more amendment of Shri P. K. Chaudhary?

श्री शंकरलाल : Yes, Sir, there is one more.

श्री दामोदरलाल व्यास : As a matter of fact, I don't accept that. On the same amendment he may speak.

(श्री भोगीलाल के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री दामोदरलाल व्यास : I don't accept that Sir. मैं मन्जूर नहीं कर रहा हूँ।

श्री पी० के० चौधरी : I have got an amendment, Sir. "In clause 4, sub clause 1, part (a), the word 'fifty' be replaced by the word 'ninty" अध्यक्ष महोदय, मेरा अमेंडमेंट इस प्रकार है:

"the word 'fifty' be replaced by the word 'ninty'.

श्री अध्यक्ष : For 1 (a)?

श्री पी० के० चौधरी : १. (ए) "the extent of lands, in respect of which declarations filed under section 3 have been confirmed is not less than fifty percent of the total extent of lands under private ownership in that village;" इसमें यह प्रोविजन रखा है कि ५० प्रतिशत जमीन के मालिक हैं वे ग्रामदान कर देते हैं तो सारा ग्राम ग्रामदान में माना जायेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): इसमें तो ५० प्रतिशत जमीन ही है। मालिक तो दूसरे नम्बर में आते हैं।

श्री पी० के० चौधरी : ५० परसेन्ट ग्राम ग्रामदान में आ जाय तो सारा ग्राम ग्रामदान में आ गया है, ऐसा माना जावेगा। उसमें मैंने ९० प्रतिशत रखा है। ९० परसेन्ट हो जाय तब ही उसको सारा ग्रामदान मानना चाहिये। मेरे आर्ग्युमेन्ट देने से पहले मेरे पूर्व वक्ता ने वक्तव्य दिया उसको लूंगा। उन्होंने जो सर्वोदय की भावना रखी है, सर्वोदय का नक्शा रखा है, सर्वोदय की भावना यह है कि एक व्यक्ति पर भी कोअर्शन न हो। व्यवहार में भी यह समझते हैं कि ८० प्रतिशत खत्म कर दें। ५० प्रतिशत आ जाता है तो ८० प्रतिशत स्वाभाविक है। ५० परसेन्ट ही दे दें तो पूरा ग्राम ग्रामदान में आ जाता है और पूरे ग्राम पर कब्जा हो जाता है। यह व्यवहार में नक्शा दिया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : Part (a) should be read with part (b) and (c); they are not independent. They are interrelated. Don't interpret in a Muhammad Tuglak,s way. Better interpret in a better way.

श्री पी० के० चौधरी : मैं इन्टरप्रेट बराबर कर रहा हूं। सर्वोदय की भावना

(श्री पी० के० चौधरी)

यह है कि किसी एक व्यक्ति पर भी कोअॉर्डर्शन न हो। लेकिन कानून में सारा का सारा कोअार्शन रहता है। सर्वोदय की भावना यह नहीं कि किसी को एक्सप्रोप्रियेट किया जाय किसी पर भी कानून को थोपा जाय। भावना यह है कि it belies all the principles of Sarvodaya. सर्वोदय में व्यक्ति की भावना को माना गया है। लेकिन अब उस पर कानून के जरिये से सर्वोदय लाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि यह जो आइडिया है ग्रामदान के जरिये एक तरह का कम्यून स्थापित करने का, यह आइडिया ठीक हो सकता है लेकिन आज समाज ग्रहण करने के लिये तैयार नहीं है। समाज में अभी तक यह समझ नहीं आयी है कि वह इस आइडिया को स्वीकार कर सके। माननीय मंत्री महोदय मोहम्मद तुगलक की बात कह रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : This is your own word. I have borrowed it from you.

श्री पी० के० चौधरी : You are very much enamoured of it because you are in his shoes today.

श्री दामोदरलाल व्यास : No......

श्री पी० के० चौधरी : you cannot forget him.

अध्यक्ष महोदय, आपको यह बताना चाहूंगा कि आज यह पेपर करेन्सी है, पहले गोल्ड करेन्सी थी, पेपर करेन्सी आज इश्यू करते हैं तो उसकी इक्वीलिटी में पहले गोल्ड रखना चाहिये था, लेकिन आजकल २० पर्सेन्ट गोल्ड रिजर्व रखते हैं सौ रुपये के पीछे। २०) रुपये का सोना हो तो १००) का नोट इश्यू कर सकते हैं। मोहम्मद तुगलक ने भी पेपर करेन्सी इश्यू की थी तो वह फेल हो गया।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : तांबे का किया था।

श्री पी० के० चौधरी : पेपर का भी किया था। He was a very progressive man. प्रोग्रेसिव था, बुद्धिशाली था, लेकिन समय से आगे चला गया। पेपर करेन्सी आज इश्यू होनी चाहिये थी उसने उस जमाने में इश्यू कर दिया। यह जो बिल है, इसमें जो प्रोविजन्स हैं इसलिये मोहम्मद-तुगलक की बात याद आती है। हो सकता है कि यह अच्छी चीज़ हो, लेकिन हिन्दुस्तान आज इस परिस्थिति में है या नहीं कि इस बिल में जो ग्रामदान कराया गया है वह ग्राम दान करे और ग्राम सभा करे।

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूँ कि यह जो ग्रामदान की व्यवस्था करने जा रहे हैं, हमारे जो लैंड रिफार्म्स हैं, लैंड रिफार्म्स के बाद लैंड के एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल आता है कि किस तरह से लैंड का मैनेजमेंट होना चाहिये। यह नकशा उसके बाद आता है। सबसे पहले टिनेन्सी वगैरह करते हैं, ओनरशिप पर रेस्ट्रिक्शन डालते हैं नैक्स्ट स्टेज आती है कि किस तरह से लैंड मैनेजमेंट चाहते हैं, उसका ढांचा बनाते हैं। यह ढांचा बनता है उसमें और आज चीन में कम्यून और कलेक्टिव फार्मिंग चल रहे हैं, उसमें और इसमें कोई डिफरेन्स नहीं रहता है।

Page No.63

(श्री पी० के० चौधरी)

मेरी समझ में नहीं आता है कि बगैर सोचे समझे हुए कलेक्टिव फार्मिंग से और कम्यून्स से क्या नतीजा निकाल रहे हैं, वह न समझ कर उसका नाम ग्रामदान ग्राम सभा कर दिया। जैसा माननीय सदस्या ने कहा ८० पर्सेन्ट कर दें, विथ्आउट नोइंग, अंगूठा लगा कर जमीन ले ली जावेगी ग्रामदान में। माननीय सदस्या का अनुभव बताता है, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वहां अंगूठा लगवा कर ग्रामदान हो जावेगा और आगे जाकर यह अटक जावेगा। ऐसे ग्रामदान हो जाते हैं तो ऐसी हालत में इसका मिस्यूज होने की ज्यादा सम्भावना रहती है। ५० पर्सेन्ट ग्रामदान हो गया और सारे ग्राम पर आगे जाकर ग्रामदान का नाम देना, यह मैं उचित नहीं समझता हूं। मैं समझता हूं कि यह चीज सर्वोदय की भावना के भी विरुद्ध है। मेरी समझ में नहीं आता है कि इसको सर्वोदय कैसे कह सकते हैं ? मान लीजिये कि प्राइवेट प्रोपर्टी के प्रिन्सपल्स को छोड़ दिया तो एक तरफ डिक्टेटरशिप आ जायगी और आप डिक्टेटरशिप को चाहते हैं, कुछ लोग भावना के पीछे फेनेटिकल बनते हैं, आजू-बाजू देखते नहीं, दिमाग में एक थयोरी आ गई और उसके माफिक नक्शा बनाना चाहते हैं। मेरा अमेन्डमेंट इसलिए इसमें है कि ग्रामदान तब ही डिक्लेयर कर सकते हैं जब कि सर्वोदय की भावना की तरह सेन्ट पर्सेन्ट जमीन आ जाय। इससे पहले सर्वोदय तक नहीं पहुंचते हैं। इसलिए मैंने यह रखा है कि प्रतिशत होना चाहिये। सर्वोदय में तो सेन्ट पर्सेन्ट होना चाहिये। इसमें आपने ५० पर्सेन्ट रखा है। इसलिये अमेंडमेंट होना चाहिये कि ९० पर्सेन्ट कम काम होना चाहिये नहीं तो यह इनजस्ट रहेगा और इस तरह से कानून बना कर देश में एक प्रकार का कन्फ्युजन पैदा करेंगे और सर्वोदय के नाम पर देश का सर्वनाश करेंगे।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, क्लाज ४ में मेरे तीन संशोधन हैं, सब-क्लाज ए, बी, सी में :

[(1) Replace the word "fifty" by the word "ninty" in part (a)

(2) Replace the word "eighty" by the word "ninty" in part (b)

(3) Replace the word "eighty" by the word "ninety" in part (c)]

मेरी अपनी यह मान्यता है कि इस प्रकार से जो विलेज बनाये जा रहे हैं ग्रामदान के नाम पर जो कम्यून्स चालू करते हैं, वह साम्यवादी देशों के अन्दर जो कम्यून्स हैं उनसे कोई भिन्न तरीका नहीं है। बल्कि यह भी इसमें लिखा है कि ५० प्रतिशत जमीन देने वाले व्यक्ति मिला कर, इस प्रकार ५० पर्सेन्ट भूमि जिन लोगों ने दी है और ५० पर्सेन्ट और लोगों की रह गई है उस पर जबरदस्ती कन्ट्रोल करें, नियमन करें, ग्राम सभा का कानून लागू कर दीवानी और फौजदारी भी उनमें लागू करें, यह एक ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आती है क्योंकि ५० प्रतिशत जमीन देने वाले व्यक्ति थोड़े भी हो सकते हैं। इसलिए मात्रा बढ़नी चाहिये यदि किसी का नियन्त्रण करना चाहते हैं। ग्रामदान का मतलब है कि जिन लोगों के पास अधिक जमीन है और जो लोग भूमिहीन हैं उनकी समस्या को हल करने के लिये एक तरीका हमने किया था। आज जो यह तरीका जिन्होंने निकाला है वे

(श्री दयाकृष्ण विजय)

लोग खुद इस चक्कर में फंस गये हैं, उनकी इस भावना में साम्यवादी विचारधारा नजर आती है उसका प्रभाव उन पर ज्यादा है, ऐसा नजर आता है । उससे क्या हुआ कि वास्तविकता जो थी उसको अलग छोड़कर वास्तविकता से परे चले गये हैं जिसका नाम सर्वोदय दिया गया है । भूदान बोर्ड और यज्ञ आदि कई अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग किया गया । ऐसा जान पड़ता है इस तरह से इनकी बुद्धि एक तरह से गलत रास्ते पर जा रही है । जिस रास्ते को व्यवहार में लाना चाहिये था वह था प्राइवेट एन्टरप्राइज का रास्ता । व्यक्तिगत कृषि और श्रम को हमें प्रमुखता देनी थी । जिस व्यक्ति के मुंह से सर्वोदय विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ उसकी भी यही विचारधारा थी । आज उन्हीं के नाम से यह नई विचारधारा देते हैं इसमें मालिकाना हक न रहे, यह विचारधारा कैसी है; यह समझ में नहीं आती; ये तो दो परस्पर विरोधी विचारधाराएं मालूम देती हैं ।

आज हम इस धारा के अन्तर्गत यह करने जा रहे हैं कि जहां से पचास प्रतिशत जमीन ग्रामदान के रूप में मिल गई उसके अलावा जो बाकी की पचास प्रतिशत जमीन है उस पर भी उसी विचारधारा के लोगों का नियन्त्रण रहेगा, इसकी जगह मेरा यह संशोधन है जहा पचास प्रतिशत की संख्या हमने रखी है वहां ६० की संख्या की जानी चाहिये। इसमें दस प्रतिशत लोग ऐसे हो सकते हैं जो अलग से हो सकते हैं; दस पर्सेन्ट पर आप यदि किसी प्रकार का आदेश लागू करते हैं तो वह माना भी जा सकता है । आप इस तरह से पचास प्रतिशत लोगों पर जबरदस्ती कन्ट्रोल करना चाहते हैं जो किसी भी जनतन्त्रात्मक दिशा में संभव नहीं है । आज जहां हमने सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया है, ग्राम पंचायतों का निर्माण किया है, अभी तो उन पंचायतों को कार्य करने ही नहीं दिया गया, आप उनकी जगह ग्राम सभा स्थापित कर उनको एक प्रकार से समाप्त करने जा रहे हैं । जब तक आप पंचायतों को सुदृढ़ नहीं बनायेंगे, उनके प्रयोग को नहीं देखेंगे तो जो नया प्रयोग हम शुरू करने जा रहे हैं वह समझ में आने वाली चीज नहीं है ।

अभी तक हमारा जो नारा रहा है वह कल्याणकारी राज्य का था, उसके बाद समाजवादी समाज का नारा दिया और उसके बाद समजावादी ढांचे की आवाज आने लगी और अब सर्वोदय के नाम पर ग्राम सभा की आवाज लग रही है । आज तक हम किसी एक नतीजे पर तो पहुंचे नहीं, नये नये नारे देते जा रहे हैं, इससे तो यह पता चलता है कि हमारे सामने कोई निश्चित दिशा नहीं है । हमें पता नहीं हम इस दौड़ में कहां से कहां चले जायेंगे । हमारी सरकार मिश्रित अर्थ व्यवस्था को मानती है । वह चाहती है कि छोटे धन्धे भी चलें और बड़े बड़े उद्योग भी चलें । कहां किसकी उपयोगिता कितनी है, यह कोई विचार नहीं करता । उसी प्रकार यहां पचास प्रतिशत के नाम पर इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगा दिया जाय, नियन्त्रण रख दिया जाय तो यह उनके साथ अन्याय होगा । इसका क्लाज 'बी' जो है उसके अन्दर नम्बर आफ पर्सन्स हैं, उसके स्थान पर ६० व्यक्ति करने चाहिये । दस पर्सेन्ट लोगों के विषय में विचार किया जा सकता है । इसमें हम बहुमत को ही नहा

(श्री दयाकृष्ण विजय)

बल्कि सर्वसम्मति से जो निर्णय हो, उसको तरजीह देनी चाहिये। विनोबाजी का भी यही कहना है कि इसमें जो भी निर्णय हों वे सर्वसम्मत होने चाहिये। उन्होंने कई जगह तो यह कहा कि बहुमत का निर्णय मूर्खों का निर्णय होता है। श्री जयप्रकाशनारायण ने तो यहां तक इस बहुमत पर कहा है, दो घन्टे तक इस बहुमत पर बोलते रहे, बहुमत के राज्य को वे भी मूर्खों का राज्य मानते हैं। इस विषय में यदि हम बहुमत को मानते हैं तो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। मेरा तो यह निवेदन है कि हमें इन मामलों में बहुमत का निर्णय नहीं, बल्कि यूनेनीमस निर्णय को मान्यता देनी चाहिये। आज आप जिस नीति से काम ले रहे हैं उससे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि आप गांव को अलग अलग कर देना चाहते हैं, जिससे एक घर तो पंचायत में रहे और दूसरा ग्राम सभा के अन्तर्गत; इस तरह से आप चाहते हैं, वे आपस में झगड़ते रहें, आपस में जूतमपाल होती रहे और आपका राज सलामत रहे....

डा० बहादुरसिंह (धौलपुर) : तो आप क्या चाहते हैं ?

श्री दयाकृष्ण विजय : मेरा यह निवेदन है कि यूनेनीमस डिसीजन होना चाहिये, युनेनीमस नहीं, तो ६० प्रतिशत लोगों द्वारा डिसीजन होना चाहिये; यही मेरा कहना है।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामदान बिल के खण्ड ४ पर जो संशोधन फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा उसका मैं समर्थन करता हूं। इस ग्रामदान की जो मूलभूत रीति है जैसा कि आजकल सुनते आये हैं सर्वोदय करने के लिये, गरीबी को दूर करने के लिये, ग्रामदान देकर के आर्थिक दृष्टिकोण से, आर्थिक सुधार की ओर हम बढ़ाना चाहते हैं, सब का समान रूप से उदय हो, यही इसकी रीति-नीति है। पिछले दिनों में बहुत से ग्रामदान हुये हैं और उस तरह से राजस्थान में भी काफी ग्रामदान हुये हैं। मेरा अनुभव प्रेक्टिकल रूप में इसके साथ रहा है। इसमें जो समस्या आयी, है उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। मेरे सामने एक प्रकार की समस्या आयी जिस प्रकार का प्रेक्टिकल नतीजा हुआ उसको देखते हुए मेरी यह राय है कि जब तक गांव वालों की युनेनीमस कोई राय न हो तब तक ग्रामदान का जो सवाल है उसमें सुधार नहीं हो सकता और न उसमें शक्ति ही आ सकती है। कम से कम यदि हम किसी पर कुछ राय लादना चाहते हैं तो कम से कम ६० प्रतिशत लोगों की राय जब उसके लिये हो तभी वह की जानी चाहिये। उन ६० प्रतिशत की राय का १० पर्सेन्ट पर बोझा पड़ना किसी मायने में वास्तविक हो सकता है। जैसे शारदा एक्ट हमने पास किया; वह लागू है लेकिन उसका असर हम देखते हैं तीन वर्ष की कन्या की शादी होती है, मजिस्ट्रेट उसमें उपस्थित होते हैं, पुलिस अधिकारी होते हैं लेकिन कोई किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करता। ऐसी स्थिति के अन्दर हम आर्थिक दृष्टिकोण से कोई कानून द्वारा किसी पर कुछ नीति थोपते हैं तो उसका भी वही असर होने वाला है इससे तो हम संविधान में जो प्रत्येक को मौलिक अधिकार मिले हुए हैं उसको भी हम तोड़ रहे हैं। हमने टिनेन्सी एक्ट पास किया, सीलिंग कानून लागू किया लेकिन इस तरह से काश्तकारों को जो अधिकार दिया है उसको हम छीनते जा रहे हैं।

(श्री मोतीलाल चौधरी)

यह ठीक है कि इस ग्रामदान का उद्देश्य सर्वोदय की भावना, सर्वोदय की फिलासफी को फैलाना है लेकिन वह हम लोगों का दिल बदल कर उनसे प्रेम से उनकी सम्पत्ति ले सकते हैं और लेना चाहिये। कानून के जरिये हम किसी पर इस प्रकार की पालिसी को थोपते हैं तो वह कभी कामयाब होने वाली नहीं है। मान लीजिये, एक गांव में पचास प्रतिशत लोग जमीन देना चाहते हैं और दूसरे पचास प्रतिशत नहीं देना चाहते, वहां आप कानून का आधार लेकर वह पचास प्रतिशत जमीन भी उनसे छीन रहे हैं। जिस प्रकार के अधिकार आपने आज से तीन साल पहले दिये थे कल ही आपने सीलिंग का कानून पास किया उसके अनुसार कुछ अधिकार दिये लेकिन इसके द्वारा खातेदारी राइट्स जो हमने टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत प्रदान किये थे, जागीरदारियां समाप्त कीं, वे भी हमने इस आधार पर कि उत्पादन बढ़ेगा और उससे गरीबी हटेगी। अब हम सर्वोदय का दृष्टिकोण अपना रहे हैं, इससे तो यह प्रतीत होता है, पहले जो कुछ हमने किया गलत किया। आज हमें यह देखना है कि इस प्रकार के कानून से हम किस प्रकार कितने लोगों पर दबाव डालने जा रहे हैं और हम पहले बनाये हुए कानून के प्रति कितने पर्सेन्ट श्रद्धा रख रहे हैं।

मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ एक किसी गांव का ग्रामदान हुआ और उस गांव से पचास प्रतिशत ग्रामदान के रूप में जमीन आ जाती है वैसी हालत में जब कि हम सीलिंग कायम करने जा रहे हैं तो वहां पचास प्रतिशत आदमियों के पास वहां की पचास प्रतिशत जमीन नहीं हो सकती। इस तरह से मान लीजिये जिस भूमि को पचास प्रतिशत आदमी दान देते हैं, बाद में ८० प्रतिशत लोग उसके मालिक होते हैं तो क्या स्थिति होगी? दूसरी पांच हजार एकड़ जमीन होती है, पचास प्रतिशत से मान लीजिये। अब ढाई हजार को दान करना चाहते हैं और ढाई को नहीं करना चाहते तो उस बाकी की २॥ हजार एकड़ की जमीन में किस तरह से डेवलप किया जा सकेगा?

अब कहा गया कि गांव के अन्दर अगर कोई बेकार है तो उसको एम्प्लायमेन्ट देने के लिये ग्रामदान लाना है। अब मान लीजिये कि जो पचास प्रतिशत दान की है वह ऐसी भूमि दान कर दी जो खालडा वगैरह में मगरे में पड़ी है और बेकार है। मेरे गांव के पास दांतरा गांव है, ९० पर्सेन्ट जमीन ऐसी है। बहुत थोड़ी जमीन ऐसी है जिसमें भी १० मन से अधिक पैदा नहीं होता। अगर उसको बांटने जावें तो ठीक है, बेकार पड़ी रहने से तो आमदनी करने जा रहे हैं, अच्छा है, होना चाहिये। दूसरी तरफ हम क्या करने जा रहे हैं? बड़ी चीज़ का नुकसान करने जा रहे हैं। आज इन्डि-विजुअल को ज्यों ही जमीन पर मालिकाना हक मिला और डिपार्टमेन्ट ने थोडा सा भी उनको प्रोत्साहन दिया, अच्छा बीज दिया, औजार दिये, खाद दिया तो उन्होंने उसमें १०० पर्सेन्ट प्रोडक्शन बढ़ाया है। पर उसी एरिया को जहां हमने ग्रामदान में दिया है वहां प्रोडक्शन निश्चित रूप से गिरा है। रेगिस्तान के गांव हैं वहां की जानकारी मुझे है, वहां प्रोडक्शन निश्चित रूप से गिरा है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : आपका मतलब यह है कि ग्रामदान होना नहीं चाहिये ?

श्री मोतीलाल : मैं कह रहा हूं वह सुन लीजिये। इसका भी रास्ता है। जब तक ९० पर्सेन्ट लोग अपनी राय न दें तब तक यह ग्रामदान थोप न दीजिये। अगर यह हुआ तो मैं सबसे पहला आदमी होऊंगा कि अपनी संपूर्ण भूमिदान करने को तैयार हूं, मैं इसके निश्चित रूप से पक्ष में हूं। इस दृष्टि से मैं अपना सम्पूर्ण जीवनदान भी करने को तैयार हूं। (हंसी) पर विधान ने जो अधिकार उनको दिये हैं उनको छीनना नहीं चाहता। कानूनी दृष्टि से उनकी जमीन पर सत्ता रहेगी तो बैंक भी उनको लोन देगा, उनका विश्वास जयेगा, वह अपनी जमीन समझ कर उसको डेवलप करेगा। इस विश्वास को थोड़ी ठेस इस सीलिंग के कानून से लगी हैं। जिसके पास इससे अधिक जमीन थी या है वह उसको लाटानी होगी, चाहे उस पर उसने कितना ही डेवलपमेन्ट क्यों न कर लिया हो। इससे किसान का विश्वास डिगेगा कि इसी तरह आगे न जाने कब सरकार क्या करे और मेरे पास जो जमीन आज है उस पर भी कहीं झगड़ा न खड़ा हो जाय। तो कानूनी दृष्टि से स्टेबिलिटी नहीं होने से किसान उस पर इन्वेस्टमेन्ट नहीं करेगा। मैं महसूस कर रहा हूं इसको। इसका परिणाम भी यह होगा कि कोई किसान अपनी भूमि का डवेलपमेन्ट नहीं करेगा। इस मौजूदा खण्ड से जिस गांव में पचास पर्सेन्ट हो गया उसको भी जो बाकी पचास में है, डर बना रहेगा, दबाव की स्थिति रहेगी। सबको मालूम है कि अभी हमने नागपुर में रिजोल्यूशन पास किया था सहकारी खेती का उसका कितना विरोध हुआ। कारण क्या था ? राजनैतिक दृष्टि से लोग उसका विरोध कर रहे हैं, हालांकि स्थिति ऐसी कुछ नहीं है कि उनका स्वत्व छीना जा रहा हो। पर इस पचास पर्सेन्ट में उनकी ओर भी शिकायत होगी। तो मेरा निवेदन यह है कि जो भी सर्वोदय की भावना रखने वाला यह भावना लेकर चले कि दुनियां का हृदय परिवर्तन करके दान ले सकें तो लें, तो यह अच्छा होगा। कानून से दबाव देकर लेने का परिणाम अच्छा नहीं होगा। कोई प्रोडक्शन नहीं करेगा, गड़बड़ी होगी। फिर एडमिनिस्ट्रेशन भी ऐसा है कि आपकी भावना को सही रूप में चलने देगा नहीं। इसलिये यह जो क्लॉज है इसमें रखना चाहिये कि ९० पर्सेन्ट जमीन न आवे तब तक उसे ग्रामदान में न लिया जावे। फिर अगर मेरा यह सुझाव आप नहीं मानें तो फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो ७५ पर्सेन्ट की बात रक्खी वह ले लीजिये।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): जयपुर से और फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्यों ने जो संशोधन प्रस्ताव रक्खे हैं मैं उन दोनों का विरोध करता हूँ। जयपुर से आने वालों ने रक्खा है कि सब-क्लाज 'सी' डिलीट कर दिया जावे। नागौर से आने वालों ने बताया कि ठीक तरह समझते नहीं।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : बात यह है कि मैं किसान हूं। इसलिये सही रूप सामने रखता हूं।

श्री ः श्रीभानसिंह (बयाना) : But not well suited.

श्री मोतीलाल चौधरी : Well suited and well done. Well experienced and well practical experience I am doing.

श्री श्रीभानसिंह : And foreign return also.

(हंसी)

श्री सोहनलाल भटनागर : यह कहा कि पचास प्रतिशत के ग्रामदान में आ जाने से बाकी पचास प्रतिशत पर भी दबाव पड़ता है। मैं निवेदन करूं कि क्लाज ६ को देखने से स्पष्ट है, कि It clearly shows.

'Not withstanding to the contrary contained in any other law for the time being in force, with effect from the date from which a village is declared to be a Gramdan village by notification under Sub Section (1) of section 4-

All rights, title and interest of persons whose declarations have been confirmed under section 3 in or over the lands covered by such declarations shall cease and shall stand transferred to and vest in the Gram Sabha established for the Gramdan village."

तो इस तरह केवल इन्हीं लोगों के इन्टरेस्ट ट्रान्सफर होंगे जो ग्रामदान को डिक्लेयर करेंगे। तो मेरे ख्याल से इस स्पष्टीकरण के बाद कोई बात नहीं रहती डर की या दबाव की।

दूसरी चीज........

२ म. प.

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अगर इसे डिलीट करने की बात को मान लेते हैं तो इन सब क्लोज तीन से जो अधिकार ग्रामदान के लिए डिक्लेयर करने का हम देते हैं उस अधिकार से वे वंचित हो जावेंगे। तो उपाध्यक्ष, महोदय, ग्रामदान में केवल हम जमीन डोनेट करने वालों को ही अधिकार नहीं दे रहे हैं।

इसके साथ ही ग्रामदान में आई जमीन की ही व्यवस्था उनको नहीं करनी है वरन् सरकारी जमीन जो भी वहां होगी उसका भी प्रबन्ध उनको करना है और जो लोग बेकार हैं उनको भी लगाना है, इसलिए यह व्यवस्था रखनी जरूरी है।

आगे फुलेरा से आने वालों ने ६० प्रतिशत की बात कही। यह कभी मुमकिन नहीं होने का है। इसमें फिर हमने यह भी कहा है कि इसमें केवल उन्हीं की जमीन व्यवस्थित होगी कि जो डोनेट करेंगे। अब बाकी पचास प्रतिशत पर इनका प्रभाव पड़ेगा तो वे भी गांव के रहने वाले हैं, उन पर कम्बाइन्ड इफेक्ट तो होगा- यह होगा-ज्यादा से ज्यादा होने वाला है। वैसे ही आदमी आगे आवेंगे और वैसा ही काम होगा। इस दृष्टिकोण से जो व्यवस्था इसमें है वही ठीक है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो खण्ड ४ है उसका तो मैं समर्थन करता हूँ और उसके ऊपर जो संशोधन आये हैं उनका विरोध करता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, सवाल सामने यह है कि ग्रामदान में कौन से गांव घोषित किये जायें, यह इस खण्ड में दिया गया है और इस खण्ड में यह अंकित किया गया है कि किसी गांव में ५० पर्सेन्ट आदमी जो कि भूमि के मालिक हैं अगर वे अपनी भूमि ग्रामदान के अन्दर

(डा॰ बहादुरसिंह)

दे देते हैं तो वह गांव ग्रामदान में आ जायेगा और इस तरह से उस गांव के यदि ८० प्रतिशत निवासी यह घोषणा कर दें कि हम ८० प्रतिशत बालिग लोग यह घोषणा करते हैं कि हम ग्रामदान में जाना चाहते हैं तो वह ग्राम दान में घोषित कर दिया जायेगा। अब माननीय सदस्य ने संशोधन रखा और वह इस प्रकार का है कि वह या तो अहिंसक क्रान्ति है, उसको पीछे ढकेलना चाहते हैं या यों चाहते हैं कि जो ग्रामदान हो रहा है वह नहीं होने पावे और इस काम में राड़े अटकाये जायें। यह प्रजातन्त्र का तरीका है कि जब बहुमत होगा तो समझ में नहीं आता कि बहुमत का आधार हमारे सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि अगर ५१ पर्सेन्ट एक गाव के अन्दर एक तरफ हो जाये तो निश्चित रूप से वह बात मान लेनी चाहिये। यही प्रजातन्त्र का आज उसूल है। परन्तु यह भी व्यवस्था की गई है कि ८० प्रतिशत बालिग अगर यह घोषणा कर दें कि हम ग्रामदान में आना चाहते हैं तो वह गांव ग्रामदान में आयेगा। ऐसी स्थिति में यह सबसे उचित तरीका है कि वहां ग्रामदान की घोषणा कर दी जाये और वहां के लोग सर्वोदय तरीके पर अपने ग्राम के शासन की व्यवस्था करें। तो फिर समझ में नहीं आता कि इस संशोधन के रखने का क्या तात्पर्य है? इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रवर समिति ने अपने प्रतिवेदन में अंकित किया है वह उचित है। इस पर काफी सोच विचार कर यह निर्णय किया गया था कि किसी गांव के ८० प्रतिशत बालिग लोग निर्णय करें तो उसको ग्रामदान घोषित कर दिया जायेगा। उस गांव में ६० प्रतिशत लोग भी जमीन वाले हो सकते हैं और दूसरे लोग भी हो सकते हैं और हो सकता है ऐसे लोग भी हों कि जिनके पास जमीन न हो और बालिग हों, फिर भी यदि ८० प्रतिशत बालिग लोग चाहते हैं तो वह गांव ग्रामदान में चला जायेगा और सर्वोदय तरीके पर हमारे गांव की व्यवस्था हो तो ऐसी दशा में किसी प्रकार का संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है और जो क्लाज है उसे स्वीकार किया जाना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लाज ४ में जो संशोधन पेश किये गये हैं, दो माननीय सदस्यों ने और अन्य माननीय सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किये हैं, उन संशोधनों के बारे में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्यों के दिमाग में थोड़ी सी गलतफहमी है उसको मैं दूर कर देना चाहता हूं। वैसे सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने समझाया है। कुछ गलतफहमी यह हो रही है कि अगर ५० पर्सेन्ट जमीन डोनेट हो गई ग्रामदान में तो वह समझते हैं कि बाकी जितनी भी जमीन होगी वह भी कम्पल्सरीली डोनेट हो जायेगी। यह दरअसल में बात गलत है। असल में एक गांव में जितनी भी जमीन ग्रामदान में आयेगी वही जमीन डोनेट मानी जायेगी, दूसरी नहीं....

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): मैं थोड़ी सी बात पूछना चाहता हूं। विधेयक का १७ वां क्लाज है उसमें लिखा है:

"A Gram Sabha shall be entitled to recover land revenue and other cesses rates and taxes due in respect of lands

(श्री दयाकृष्ण विजय)

which are situated in the gramdan village and which have not been donated"

एक माननीय सदस्य : उससे क्या हो जायेगा ?

श्री दयाकृष्ण विजय : लैंड रेवेन्यू ग्रामसभा कलेक्ट करेगी ।

श्री दामोदरलाल व्यास : I am just coming to it.

अब एक माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न उठाया कि जमीन तो डोनेट नहीं मानी जायेगी लेकिन क्लाज १७ की तरफ उन्होंने ध्यान आकर्षित कराते हुए कहा कि ग्रामसभा को लैन्ड रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार होगा । साथ ही वह लैण्ड रेवेन्यू उससे भी कलेक्ट करेगी जिसने कि जमीन डोनेट नहीं की है । तो मैं कहना चाहता हूं कि इसके अन्दर फर्क क्या पड़ता है ? आज कोई भी एजेन्सी सरकार मुकर्रर करती है लैण्ड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिये या पंचायतों के ऊपर जिम्मेदारी डालते हैं या दूसरी एजेन्सी कोई मुकर्रर करते हैं । लैण्ड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए पटवारी है, नम्बरदार है; यह सब गवर्नमेंट की एजेन्सी है तो इसके अन्दर फर्क क्या पड़ता है कि लैण्ड रेवेन्यू ग्रामसभा कलेक्ट करे । जिसकी जमीन डोनेट नहीं की गई है उससे लैण्ड रेवेन्यु अगर ग्रामसभा कलेक्ट करती है तो क्या फर्क पड़ता है, उसको तो देना ही है या किसी और को देना है, बहरहाल लैण्ड रेवेन्यू तो देना ही होगा । ग्रामसभा को लैण्ड रेवेन्य देने से केनड प्रोप्राइटरी राइट्स पर क्या असर पड़ गया ? इसलिये इसके अन्दर गलतफहमी का सवाल पैदा नहीं होता । अलबत्ता एक बात जयपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने पेश की और डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य का प्रस्ताव है कि क्लॉज (सी) को डिलीट कर दिया जाये । मैं इसके पक्ष में नहीं हूं और इसकी वजह यह है कि जब हम ग्रामदान के सिद्धान्त को मानते हैं और इस बात को मानते हैं कि ग्रामों के अन्दर एक नई समाजवादी व्यवस्था होनी चाहिये तो उसके लिये कम से कम बिलकुल कम्पलीट यूनेनिमिटी न हो तो नियरर यूनेनिमिटी को हमें देखना पड़ेगा । जब हम नई व्यवस्था करने जा रहे हैं तो ग्रामसभा का काम केवल लैण्ड का डिस्ट्रिब्यूशन ही नहीं है बल्कि आप बिल को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि सारी की सारी पॉवर्स ग्रामसभाएं वैस्ट करेंगी । तो इस बात की आवश्यकता है कि गांव में जो दूसरे रहने वाले हैं चाहे वह जमीन के काश्तकार हों या न हों, चाहे गैरकाश्तकार ही सही; जैसे कि पंचायतों को जुडिशियल पावर्स ट्रान्सफर होंगी जब कि डीसेन्ट्रलाइजेशन होगा और उनका वर्क एग्जीक्यूट हुआ तो यह सारा कार्य फिर ग्रामसभा के द्वारा होगा । तो इसके अन्दर वहां का हर एक रहने वाला व्यक्ति इन्टरेस्टेड होगा तो इसकी बहुत आवश्यकता है कि यूनेनिमसली डिसीजन नहीं ला सके तो नियरर टू युनेनिमिटी उसकी रखनी पड़ेगी कि अमुक पर्सेन्टेज तक व्यक्ति उसमें सहमत होने चाहिये । क्योंकि एक नई व्यवस्था कायम की जाये और वे लोग जो कि ग्रामदान में शरीक नहीं हैं और उन पर कोई व्यवस्था लागू की जाये तो सारी बातों को सोच-समझ

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कर ही करना पड़ेगा। इसलिए इसे डिलीट करने की राय मेरी बिलकुल नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं इसमें संशोधन करना चाहता हूं कि जो क्लॉज (ए) है उसमें फुलेरा से आये हुए माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है कि उसे ९० पर्सेन्ट कर दिया जाये, पर मैं समझता हूँ कि ९० पर्सेन्ट रखने से मुश्किल हो जायेगी क्योंकि आखिर हमें ग्रामदान की भावना को प्रोत्साहन देना है और उसके लिए लोगों को एजुकेट करना है और सरकार चाहती है कि लोग ग्रामदान की तरफ जायें, उसका कारण मैंने पहले बताया था कि हम समाजवादी समाज की रचना के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जो सीलिंग का कानून पास हो चुका है उसके द्वारा डिस्ट्रिब्यूशन होगा according to the number of families. जो लैण्डलैस को रीहेबिलीटेट करने की बात है और उनको बसाने की बात है वे सारी की सारी पावर्स और जिम्मेदारी ग्रामसभा के ऊपर चली जायेंगी और इससे हमारी बहुत सी दिक्कतें दूर हो जायेंगी। इसलिए यह ९० पर्सेन्ट रखना तो ऐसा होगा कि कहीं ग्रामदान ही न हो और जो विचारधारा विनोबाजी ने दी है उसको प्रोत्साहन न मिले। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस ९० पर्सेंट के बजाय ७५ पर्सेन्ट रख दें और जैसा बिल में ८० पर्सेन्ट दिया है उसको भी छोड़िये, ७५ पर्सेन्ट अगर एक तरफ मत दे देंगे तो वह गांव ग्रामदान में शामिल कर दिया जायेगा औरजो (ए) में ५० पर्सेन्ट दिया है उसको ५१ पर्सेन्ट कर दिया जाये, ताकि मैजोनेरिटी ऑफ दी लैंन्ड उसके अन्दर आ जायेगी। [Substitute 'fifty one percent for 'fifty percent]' सेकिन्ड (बी) वैसा का वैसा रखना चाहता हूँ और (सी) के लिए...

श्री उपाध्यक्ष : 51 percent is your amendment.

श्री दामोदरलाल व्यास : Yes, (सी) जो है उसमें माननीय सदस्यों की बहस के बाद इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि ८० पर्सेन्ट भी नहीं, ९० पर्सेन्ट भी नहीं, तो ७५ पर्सेन्ट रख दिया जाये। [In part (c) substitute Seventy five for "eighty"] मैं तो डेमोक्रेसी में दोनों पक्षों की भावना की कद्र करना चाहता हूँ। ३/४ ऑफ दी पीपुल की राय डिक्लेरेशन के अन्दर शामिल हो जायेगी तो ग्रामदान के अन्दर यह नहीं किया जायेगा कि आर्बिट्रेरीली किसी के ऊपर जबरदस्ती की जाये। इसलिये मैं चाहता हूँ कि (ए) के अन्दर जो ५० पर्सेन्ट है उसको ५१ पर्सेन्ट कर दिया जाये और जो क्लाज (सी) में ८० पर्सेन्ट है उसको ७५ पर्सेंट कर दिया जाये।

डा० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : मैं सदन से अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहती हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव क्लाज़ ४ के अन्दर डा० चन्द्रकला ने प्रस्तुत किया है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति दी गई।

डा० चन्द्रकला : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री पी० के चौधरी ने क्लाज़ ४ में प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

श्री दयाकृष्ण विजय।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : मैं वापिस नहीं लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : Not withdrawing?

श्री दयाकृष्ण विजय : Yes, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लाज ४ के अन्तर्गत श्री दयाकृष्ण विजय ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

प्रश्न यह है कि....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): My amendment, Sir?

श्री उपाध्यक्ष : I am putting it.

प्रश्न यह है कि क्लाज़ ४ के अन्तर्गत जो संशोधन श्री दामोदरलाल व्यास ने क्लाज ४ (ए) में ५० पर्सेन्ट के बजाय ५१ पर्सेन्ट और क्लाज ४ (सी) में ५० पर्सेन्ट के बजाय ७५ पर्सेन्ट का दिया है, वे स्वीकार किये जाये।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि क्लाज ४ को संशोधित रूप से, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लाज ४ संशोधित रूप में विधेयक के अंग बना।

(विराम)

क्लाज ५।

श्री भोगीलाल पंड्या (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं संशोधन प्रस्ताव नहीं रखना चाहता हूँ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक के खण्ड ५ के अन्तर्गत मेरा एक संशोधन है [Sub-clause (2) के proviso में शब्द "three hundred" के स्थान पर शब्द "one hundred" रखे जायं] और वह इसके प्रोवीज़न में लिखा हुआ है। इस खण्ड में यह बताया गया है कि किसी गांव के एक हिस्से का अलग गांव के रूप में रजिस्ट्रेशन कब किया जायगा? यह बताते हुए बताया है कि जब ३०० से अधिक आबादी के लोग मिलकर यह कहेंगे कि गांव से अलग होकर और अलग अपना ग्रामदानी गांव बनाना चाहते हैं और बनाकर ग्रामदान के आधार पर रहना चाहते हैं। तो वैसे तो अभी सदन ने खण्ड २ में जहां गांव की परिभाषा स्वीकार की है वहां १५,२० के झगड़े को हटा दिया है, क्योंकि वह खंड ही विलोपित कर दिया गया है। इसलिए यदि वह खण्ड होती तो स्पष्ट था कि १०० की आबादी का सवाल जो था वह परस्पर विरोधी है। उन बातों को हम सब जानते हैं कि गांव बहुत छोटा भी होता है, और यह जरूरी नहीं होता है कि उनकी आबादी ३०० या उससे अधिक ही

(डा० चन्द्रकला)

हो, और अभी हम यह भी देख चुके हैं, जहां क्लाज़ चार अभी पारित किया है कि गांव के ५१ प्रतिशत लोग मिलकर कहते हैं कि हम अपनी जमीन का दान देकर ग्रामदान करना चाहते हैं और ग्रामदान के आधार पर हम अपने गांव का निर्माण करना चाहते हैं तो उसको हम वाजिब मान लेंगे। तो क्या कारण है कि एक बड़ा गांव है और उस गांव के लोग मिलकर वह भले ही ३०० से कम भी हो तो उसको यह सुविधा नहीं मिले। यह हमारी समझ में नहीं आता है। जब क्लाज चार मान लिया और जिसमें ५१ पर्सेन्ट की बात को स्वीकार कर लिया तो सवाल केवल इतना ही है कि जिस बात को स्वीकार किया है, उसके रजिस्ट्रेशन के मामले को स्वीकार कर लिया तो केवल कानूनी रूप देने की बात है, क्योंकि एक गांव के लोग हैं वे गांव के लोग इकट्ठे होकर यह चाहते हैं, मान लें कि ५१ पर्सेन्ट को रखा है वह मिलकर चाहते हैं कि अलग से उनकी ग्राम सभा बनाई जाय, अलग संगठन बनाया जाय तो वह उस तरह से काम कर लेंगे। ५१ पर्सेन्ट स्वीकार कर ली, उसके साथ में दूसरी शर्त कर देते हैं कि ऐसे लोगों की आबादी ३०० से कम नहीं होनी चाहिये। तो ५१ पर्सेन्ट यदि ३००से कम होंगे तो उनकी बात नहीं मानी जायगी। उनका गांव अलग रजिस्टर्ड नहीं होगा। गांव दोनों में है। उसमें एक बात होगी कि ५१ पर्सेन्ट में एक तरफ से माना कि ग्रामदान में जोर-जबरदस्ती नहीं है। सबकी सुविधा से होगा, सब की सलाह से, सहमति से सारा काम होने वाला है। वहां पर किसी तरह का बाब नहीं है, किसी को कोई बाधा नहीं होने वाला है। जब एक बात आप स्वीकार करते हैं क्लाज ४ में और उसी बात में आगे चल कर इस बात को स्वीकार करते हैं तो समझ में नहीं आता है।

दूसरा, प्लानिंग कमीशन में २५० की आबादी को माना है। उन्होंने बताया है, उन्होंने कल्पना की है कि हर गांव में एक स्कूल होगा। २५० की आबादी का एक गांव हो सकता है वहां प्राइमरी स्कूल हो सकती है, तो मेरी समझ नहीं आता है कि राजस्व मंत्री महोदय इस बात पर क्यों अड़े हुये हैं कि जो ३०० की आबादी का गांव होगा उसका ही रजिस्ट्रेशन ग्रामदान के रूप में हो सकता है अन्यथा नहीं हो सकता है ? क्या वे यह महसूस नहीं करते हैं कि क्लाउड ४ के बाद यह बात ठीक नहीं होगी और इसमें उन लोगों की भावना पूरी होने का मौका नहीं मिलेगा जो कि ग्रामदान करते हैं। जब कि ५१ पर्सेन्ट की बात मान ली तब तो ३०० की बात निश्चित रूप से असंगत ही रहेगी। इसलिये मेरा यह संशोधन था कि ३०० के बदले १०० कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : मैं इसका विरोध कर रहा हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं इसको डिलीट ही कर रहा हूँ। [संशोधन omit the clause] आपका विरोध मान लिया गया; आपका ही अमेंडमेंट मान लिया गया। आप समझ लें कि आपका ही माना गया है। आपका मतलब पूरा हो जाना चाहिये। मैं पूरी क्लाज को डिलीट कर देता हूं।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाली माननीय सदस्या हैं वे जिस विचारधारा को लेकर प्रोविजो को डिलीट कराना चाहती हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। क्लॉज ३ के पार्ट (एन) के पार्ट (२) में रहता तो इसको अवश्य रखता और कभी भी उनके सुझाव को मन्जूर नहीं करता और ३०० की आबादी का जो रखा, क्योंकि क्लॉज ३ के पार्ट (एन) की सब क्लॉज (२) को डिलीट कर दिया है, उस सूरत के अन्दर किसी गांव के अन्दर चुनकर कन्टीनुअस मकानात हैं उन लोगों के अलग विलेज बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। यह क्लाज ५ उसी बात को लेकर रखा गया था उस पार्ट में रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता है। उसका प्रोसीजर रखा गया है और रजिस्ट्रेशन के लिये लिखा है कि ३०० की आबादी से ज्यादा होना चाहिये। क्योंकि रेवेन्यू विलेज में ढाणी को इन्क्लूड कर दिया है, they are included in Revenue Village. If they are not included they are separate villages. लैन्ड रेवेन्यू एक्ट में जो विलेज डिफाइन्ड है, लैण्ड रेवेन्यू में जो विलेज मान लिया है तो पार्ट ऑफ विलेज के रजिस्ट्रेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसलिये मैं आपकी आज्ञा से अर्ज करूंगा कि पूरे क्लाज़ ५ को डिलीट कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लाज ५ को डिलीट किया जाय।

(स्वीकृति)

क्लाज ५ को विलोपित की गई।

क्लाज ६ नो अमेंडमेन्ट्स।

प्रश्न यह है कि क्लाज ६ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लाज ६ विधेयक का अङ्ग बना।

(विराम)

क्लाज ७, श्री दयाकृष्ण विजय।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): क्लाज ७ पर मेरा अमेंडमेंट है कि इसके पार्ट (३) को डिलीट कर दिया जाय।

मैं जब इस क्लाज को देखता हूँ तब ऐसा लगता है कि इसमें जो पावर्स दिये हैं कि यदि कोइ व्यक्ति इसके अन्दर एक दफा अपनी जमीन को डोनेट कर देता है तो उसको राइट्स नही होंगे कि वह वापिस उस जमीन को ले सके। जब उसने डोनेट कर दिया है तो उस पर इस प्रकार का राइट लगाने का प्रश्न ही खड़ा नही होता। जब एक ने डोनेट किया है तो उसका मतलब यह है कि उसने अपना राइट खत्म कर दिया। जब डोनेट कर दी, बाद में ग्राम सभा बन गई तो फिर उसे रिकवर करने का प्रश्न खड़ा होता ही नहीं। इसमें इस प्रकार रखना कि वह जमीन वापिस लेगा या नहीं, अनावश्यक है। इसको हटा दिया जाय तो उससे कोई हर्ज नहीं होगा। आप कोई भी मिसाल बतावें कि कोई दान करता है या किसी ने एक को कम्बल दान दी, क्या वह यह कहेगा कि वापिस कर दो....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): There are so many cases in Gramdan itself, there are so many. Your leader was citing so may cases.

Page No.75

श्री दयाकृष्ण विजय : वे कहते थे कि लोगों को गलत तरीके से कर दिया। लेकिन जिन लोगों ने डोनेट कर दिया वे वापिस नहीं मांग सकते इसलिये इस प्रोविजन की जरूरत नहीं है क्योंकि डोनेशन का अर्थ ही ऐसा है कि वापिस नहीं लेना। कोई बता दे कि डोनेट की हुई चीज वापिस देनी पड़ी हो तो उदाहरण बता दीजिये, तब तो मैं स्वीकार करूंगा वर्ना आवश्यकता नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ माननीय सदस्य यह बता रहे हैं कानून बना रहे हैं उसमें लूप-होल छोड़ देंगे तो गड़बड़ की गुंजाइश रहेगी ग्रामदान कानून में लूप होल छोड़ देते हैं तो कोई झगड़ा खड़ा कर सके, लेकिन यह सर्वोदय की भावना के विपरीत होगा। इसलिये मैं समझता हूँ कि जो भावना बिल में है उसी के अनुसार विचार करें तो अच्छा होगा, वर्ना जिसने दान दे दिया उसको वापिस लेने का अधिकार दें तो यह उचित नहीं होगा। मैं भी यह कहता हूँ कि वापिस लेने का अधिकार नहीं दे रहे हैं। कहने को तो सभी यह कहते हैं कि दिया हुआ धन वापिस नहीं लिया जाता, लेकिन किसी, के बहकावे में आकर कोई आदमी गलत रास्ते पर जाता है तो उसको रोकने के लिये यह प्रोविजन रखा है। सारे समाज में नयी व्यवस्था कर रहे हैं, उसमें दिक्कत नहीं आवे इसलिये इसको रखना जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है के जो संशोधन क्लाज ७ में श्री दयाकृष्ण विजय ने रखा है उसे स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ७ स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज ७ विधेयक का अङ्ग बना।

(विराम)

क्लाजेज ८ से १२

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाजेज ८, ९, १०, १० ए, ११ और १२ स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज ८ से १२ तक विधेयक के अङ्ग बने।

(विराम)

क्लॉज १३

डॉ० चन्द्रकला : माननीय उपाध्यक्ष, क्लाज १३ ग्रामसभा के अध्यक्ष, मंत्री और दूसरे पदाधिकारियों के चुनाव के सम्बन्ध में है और जो मूल विधेयक था उसमें लिखा था कि ग्राम सभा द्वारा ही ये सब हटाये जायेंगे। उसके बाद संशोधन करके यह जोड़ दिया गया कि जहां तक सेक्रेटरी और अन्य पदाधिकारियों को हटाने का सवाल है उनको ग्राम सभा ही हटा सकेगी। लेकिन प्रेसीडेन्ट के बारे में स्पष्ट नहीं है कि उसको ग्राम सभा ही हटा सकेगी। इससे साफ जाहिर होता है कि ग्राम सभा के अतिरिक्त सरकार, कलेक्टर या और कोई अधिकारी हटा सकता है। इसलिये मैंने यह जोड़ने का संशोधन रखा है कि अध्यक्ष भी ग्राम सभा के द्वारा ही हटाया जाय क्योंकि ग्राम सभा ही प्रेसीडेन्ट चुनेगी और हटायेगी और कार्यकर्ताओं की सहायता से काम चलेगा। लेकिन किसी वजह से प्रेसीडेन्ट ठीक तरह से काम नहीं करता है तो उसको हटाना पड़ेगा, लेकिन उसको हटावे ग्राम सभा ही। अविश्वास का प्रस्ताव

(डा० चन्द्रकला)

लाकर या दूसरी तरह से भी हटा सकती है। लेकिन इसमें साफ नहीं है कभी यह परिस्थिति आ सकती है कि अध्यक्ष ठीक काम नहीं कर सकता है या उसने गबन कर लिया है तो उसको हटाना जरूरी है। सरकार चाहेगी तो हटा सकेगी। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है कि उसको ग्राम सभा ही हटावे। यह कोई कानूनी बात नहीं है; जैसे ग्राम पंचायत बनाई है वैसी बात इसमें नहीं है। स्वयं राजस्व मंत्रीजी ने बताया था कि ग्रामदान के अन्तर्गत भावना है उसी के अन्तर्गत दान होगा, उसी भावना से प्रभावित होंगे तभी दान होगा। इसमें आपसी सद्भावना से काम चलेगा, नियम और कानून से अधिक काम नहीं चलेगा। इसमें यदि सरकार या कलेक्टर के हस्तक्षेप की गुंजाइश रखें तो हो सकता है कि ग्राम सभा के काम में रुकावट आवे और कुछ गड़बड़ी हो। इसलिए इसको हटाना आवश्यक है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहती हूँ कि अध्यक्ष को हटाने की कार्यवाही ग्राम सभा ही करे और दूसरी तरह से हटाने की कार्यवाही नहीं होनी चाहिये; यह स्पष्ट नहीं है। आगे भी रेगुलेशन और जोड़ा है, उसका मतलब यह है कि नियम-उपनियम बनायेंगे उसमें भी ध्यान रखें कि अध्यक्ष ग्राम सभा द्वारा ही हटाया जाय। भले ही कलेक्टर, सरकार या दूसरे अधिकारियों को इस बात की जरूरत महसूस हो कि अध्यक्ष ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है तो वे ग्राम सभा को लिखें, ग्राम सभा के महत्व को समझें, नहीं तो ग्राम सभा धरी रह जाय और उसके अध्यक्ष को हटा दें। यह मुझे ठीक नहीं लगता है, इसलिए मैंने यह संशोधन रखा है। [Sub-Clause (1) में शब्द "Office" और शब्द "for" के बीच में शब्द "by the Gram Sabha" प्रतिस्थापित किये जायं और इसके अन्त में "by regulations" शब्द जोड़ दिए जाय] मैं आशा करती हूँ कि रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को इसमें आपत्ति नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज १४ को भी साथ ही ले लीजिए, इस पर भी आप अपना संशोधन मूव कर दीजिए।

डा० चन्द्रकला : उपाध्यक्ष महोदय, क्लाज १४ में मेरा संशोधन है। [इस एंड में से शब्द "or a majority" विलोपित किये जायं] वह ग्रामसभा की कार्यवाही किस तरह से चलेगी इस बारे में है। इस विधान में यह लिखा हुआ है कि ग्राम सभा की कार्यवाही सबसम्मत या सर्वसम्मत के नजदीक, नीयर युनेनिमिटी या मैजोरिटी से चलेगी। पहली बात समझ में नहीं आयेगी, या तो युनेनिमिटी होगी या नीयर युनेनिमिटी होगी या मैजोरिटी होगी। मैं सर्वोदय की बात को समझाने का प्रयत्न करूंगी। विनोबाजी भी मानते हैं कि सर्वोदय समाज में मैजोरिटी का सवाल नहीं होगा, वहां तो सर्वसम्मत निर्णय होंगे....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): विनोबाजी की बात कहां से ले आये ? विनोबाजी ने कहां कहा है कि एक ही आदमी सहमत नहीं हुआ तो मान्य नहीं होगा ?

डा० चन्द्रकला : मैंने विनोबाजी से अच्छी तरह से बात की है और सर्वोदय को समझा भी है। उन्होंने बताया है, लिखित नोट भी है, उनका कहना है और वे कहते भी हैं कि सर्वोदय में सर्वसम्मत निर्णय होंगे।

(डा० चन्द्रकला)

मैजोरिटी का निर्णय नहीं होगा। एक माननीय सदस्य ने जयप्रकाशजी के भाषण की बात कही, वह क्यों कहते हैं कि हम यों ही कहते हैं....

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने वह पूछा था कि आपने कब पढ़ा कि सर्वसम्मति से निर्णय होगा, यह आपने कैसे जाना ?

डा० चन्द्रकला : मैं बता सकती हूं कि विनोबाजी की बात को कहां, किस तरह पढ़ा, सोचा और समझा। मैंने सर्वोदय को समझने की पूरी कोशिश की है, एक एक बात पर अच्छी तरह से बात की है, मैंने गोकुलभाईजी से भी पूछा था।

श्री उपाध्यक्ष : बाहर के किसी विशेष व्यक्ति से डिबेट का सम्बन्ध नहीं है, इसलिये इसी प्रश्न पर बात हो।

डा० चन्द्रकला : आजकल का जो विधान है उसके अनुसार मैजोरिटी और अल्पमत दोनों ही रिप्रेजेन्ट करते हैं। मैं मामूली उदाहरण देकर बताती हूं कि आज कल लोग चुनकर आते हैं। एक लाख की आबादी है, एक रिप्रेजेन्टेटिव विधान सभा के लिए चुना जाता है। एक लाख की आबादी में वोट देने वाले ५० हजार होते हैं, उनमें अगर पांच-छः लोग खड़े हो जायं तो किसी को तीन चार हजार मत मिल जाते हैं ...

डा० बहादुरसिंह (धौलपुर) : आप अपनी बात कर रही हैं।

डा० **चन्द्रकला** : आप किसी की बात समझ लीजिये, मैं विधान और विधान का तरीका बता रही हूं। मैं तो एक उदाहरण बता रही हूं, चाहे आप मुझसे समझ लीजिये, चाहे किसी से समझ लीजिये, लेकिन मैजोरिटी शब्द से अन्त में जाकर कितनी आबादी की राय जाहिर होती है, यह समझा रही हूं। मैं वह बताना चाहती हूं कि वह मैजोरिटी की राय न होकर बहुत थोड़े लोगों की राय रह जाती है। इस प्रकार की मैजोरिटी को मान लिया जाय कि यह मैजोरिटी गांव की मैजोरिटी है। मैं समझती हूं कि यह साफ हो जाय कि मैजोरिटी पूरी ग्राम सभा की होगी, उस ग्राम की होगी जिसमें २००, ३०० या ४०० की आबादी है, या मेम्बर्स हैं। वैसे तो ग्रामदान वाले बहुत छोटे छोटे गांव हैं। मैं यह कई दफा कह चुकी हूं कि कई गांवों की आबादी १०० हो सकती है। इनमें से ५० मत देने वाले होंगे और ५० छोटे होंगे, उसमें मैजोरिटी की बात करते हैं। ग्राम सभा के जो सदस्य होंगे, वे सब एडल्ट होंगे, २१ साल की उम्र के व्यक्ति हैं, वे ग्राम सभा के सदस्य होंगे। अब मान लीजिये कि २० व्यक्ति उपस्थित हैं, उनमें से ११ ने एक फैसला कर दिया, वह मान लिया जायगा कि यह यूनेनीमस राय है। ११ व्यक्तियों ने बैठ कर १०० आदमियों के लिए फैसला कर लिया है, वह बहुमत की राय होगी। मैं माननीय राजस्व मन्त्रीजी से सहमत नहीं हूं, इसमें मैजोरिटी शब्द रखते हैं, उसका मतलब क्या होता है, यह साफ होना चाहिए; majority of the members of the Gram Sabha. ग्राम सभा में १०० मेम्बर्स हैं, उनमें से यदि ५० मेम्बर उपस्थित होकर कहते हैं तब तो टीक है। वहां उपस्थित हो जाते हैं ११ आदमी और उनमें से ६ कह देते हैं तो उनका निर्णय सब पर लागू हो जायगा क्या? यूनेनीमस कहते हैं तब तो सवाल पैदा नहीं

Page No.78

(डा० चन्द्रकला]

होता है क्योंकि मैजोरिटी और युनेनीमस में फर्क होता है। इसलिए मैंने संशोधन रखा है। मैं सोचती हूं कि अगर इसको अभी स्वीकार नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आगे रूल्स रेगूलेशन्स में इसे स्पष्ट करना पड़ेगा। मैजोरिटी किसकी? उपस्थित लोगों की मैजोरिटी, ग्राम सभा के मेम्बरों की मैजोरिटी, या जितनी आबादी है गांव की उन लोगों मैजोरिटी; इसलिए जो युनेनीमस और नीयर युनेनीमस शब्द और मैजोरिटी शब्द रखा गया है, यह ठीक नहीं लगेगा, इसलिए मैंने संशोधन रखा है कि जो 'और ए मैजोरिटी' शब्द हैं, इनको हटा देना चाहिए।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लाज में माननीय सदस्या ने जो दो संशोधन रखे हैं, मैं उनको स्वीकार नहीं करता हूं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जहां सर्वोदय की भावना के ऊपर हम ग्रामदान बिल को पेश करके इसे कानून बना रहे हैं वहां व्यावहारिकता नहीं भूलनी चाहिए। एक तरफ यह कहा जाय कि मैजोरिटी शब्द हटा दिया जाय, इसलिए हटा देना चाहिए क्योंकि सर्वोदय की भावना युनेनिमिटी के लिए है। मैं समझता हूं कि यह मुमकिन नहीं है। हम ऐसा कानून बना दें जो प्रेक्टीकेबल न हो तो फिर लाभ क्या होगा? आपने कहा कि विनोबाजी से सीखा है कि अगर एक आदमी भी असहमत है तो डिसीजन को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। माननीय विनोबाजी की यह भावना हो सकती है और वे ऐसा कह सकते हैं क्योंकि सर्वोदय की भावना है, वह उच्च आदर्श की चीज है। लेकिन जहां हम कानून बनाने जा रहे हैं, उसके अन्दर उच्च आदर्श को ध्यान में रखते हुए व्यावहारिकता को ध्यान में रखना चाहिए। अगर ग्राम सभा में एक भी आदमी विरोध में खड़ा हो जाय और कहे कि यह काम न हो तो उसको न करें, इसका मतलब यह होगा कि ग्राम सभा बना कर यह आड़ लगा दी कि ग्राम सभा बना तो दी, लेकिन व्यावहारिक तौर पर उसके डिसीजन्स इम्प्लीमेंट नहीं होंगे....

डा० चन्द्रकला : उसको समझा लें।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री): समझाने की बात डेमोक्रेसी में सम्भव नहीं है। डेमोक्रेसी में डिसीजन्स मैजोरिटी पर होते हैं। इस भावना को ध्यान में रखते हुए, सर्वोदय की भावना को ध्यान में रखते हुए कि सब फैसले युनेनीमस हों, हमने इस कानून में युनेनीमस शब्द रखा है। सर्वोदय की भावना है कि जहां तक हो सके, डिसीजन युनेनीमस होने चाहिए, अगर युनेनिमिटी नहीं है तो नियर युनेनीमिटी होनी चाहिए, वह इसलिए रखा है कि अगर पूरी युनेनीमिटी नहीं हो तो उसके नियरेस्ट से ९५ पर्सेन्ट, ९० पर्सेन्ट समथिंग लाइक से डिसीजन किये जायं। जहां ऐसा इश्यू हो जिसमें कि विलेज शार्पली डिवाइडेड हो, न यूनेनीमिटी हो, न नीयर यूनेनीमिटी हो, इसका मतलब यह होगा कि विकास के जितने काम हैं, प्रगति के जितने काम हैं, वे सब होल्ड अप रह जायेंगे। मैं इसके उच्च आदर्श को स्वीकार करता हूं लेकिन ऐसे आदर्श को कानून में नहीं रखना चाहता, जिससे इस कानून को बनाने के बाद ग्राम सभा की स्थापना करना बेकार हो जाय। इसलिए मैं बहुत अदब के

(श्री दामोदरलाल व्यास)

साथ कहना चाहता हूं कि मैं उनके इस सुझाव से सहमत नहीं हूं।

दूसरी बात यह है कि उन्होंने प्रेसीडेन्ट, ग्राम सभा का प्रेसीडेन्ट है, उसको हटाने पर बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को पावर्स नहीं होनी चाहिए, ग्राम सभा को पावर्स होनी चाहिए। आप किसी कन्ट्री, डेमोक्रेटिक कन्ट्री में देख लीजिये, जितनी लोकल बाडीज होंगी, उनका जो एग्जीक्यूटिव हेड है, आफिसर है, उसके सम्बन्ध में गवर्नमेंट के पास पावर होनी चाहिए कि मिस कन्डक्ट के लिए किसी व्यक्ति को रिमूव कर दिया जाय। ठीक है, आम तौर पर रिमूव करने से पहले ग्राम सभा की भावना को जानने का सरकार का फर्ज जरूर होगा लेकिन यह कहना कि गवर्नमेंट अपने पास पावर्स न रखे, बहरहाल, एक सरकारी व्यवस्था खड़ी करने जा रहे हैं, उसके अन्दर बहुत सी पावर्स डेलीगेट करने जा रहे हैं, उनके पास में बहुत से फन्ड्स होंगे, आपने देखा होगा कि पंचायतें टैक्स लगा सकती हैं, वे टैक्सेज वसूल करेंगी, सरकारी लैंड रेवेन्यू वगैरह वसूल करेंगी, उसकी जिम्मेदारी चेयरमैन पर होगी। उसके लिए चाहते हैं कि मिस कन्डक्ट के लिए रिमूव नहीं कर सके। मैं मानता हूं कि यह सर्वोदय की भावना नहीं है, यह नहीं चाहते है कि मिस कन्डक्ट के लिए कार्यवाही न की जाय। इसके साथ मैं भी कहूंगा कि ग्रामदानी होंगे, उनके लिए मैजोरिटी को मोनोपोली करने के लिए तिकड़मबाजी करना मुश्किल नहीं होगा। इसलिए गवर्नमेंट के पास पावर्स नहीं हों, यह कहना, मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। मैं कहता हूं कि यह पावर होनी चाहिए। हर डेमोक्रेसी में यह पावर होनी चाहिए, मिस कन्डक्ट के लिए रिमूव करने के लिए पावर्स होनी चाहिए। इसलिए माननीय सदस्या ने जो दो संशोधन पेश किये हैं, मैं उनको स्वीकार नहीं करता हूं।

डा० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड १३ व १४ पर डा० चन्द्रकला ने जो दो संशोधन प्रस्ताव पेश किये हैं उनको वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

डा० चन्द्रकला : मैं अपने संशोधन प्रस्ताव वापिस लेती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड १३ व १४ स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

क्लाजेज १३ व १४ स्वीकार किये गये।

श्री उपाध्यक्ष : क्लाज १५। श्री दयाकृष्ण विजय।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो क्लाज १५ है, उसमें मेरे दो संशोधन हैं। एक संशोधन है पार्ट ए में और दूसरा संशोधन पार्ट (जी० जी०) के अन्दर। मैं अपने संशोधन पर कुछ निवेदन करूं, उससे पहले मैं यह चाहता हूं कि जब हमने क्लाज ५ डिलीट किया है,

(श्री दयाकृष्ण विजय)

तो क्लाज ५ जब निलम्बित हो जाती है, तो उसके पश्चात् जो ग्राम सभा बनेगी, वह ग्राम सभा उस सारे गांव की मिल कर बनेगी। इसलिए सबसे पहले बात तो यह सामने आ जाती है कि आया जो राजस्थान ग्राम पंचायत एक्ट है वह इस प्रकार के विलेजेज पर लागू होगा या नहीं होगा। अगर ग्राम पंचायत एक्ट उन पर लागू नहीं होता है तब तो इस प्रकार जो ग्राम सभायें बनेंगी, उनको सब प्रकार के काम करने का अधिकार होगा। यदि हम समझते हैं कि इस प्रकार की ग्राम सभायें केवल भूमि वाले लोगों की बना रहे हैं, जिन्होंने भूमि दी है, जिस भूमि पर जिन लोगों को बसाया गया है, इन लोगों की आपस में मिल कर सभा बनाई गई है, वह गांव के ऊपर नियन्त्रण करेगी क्योंकि हमने सेपरेट गांव की थ्योरी निकाल दी है, अब तो पूरे गांव की थ्योरी हमारे सामने है, पूरे गांव को लेकर कन्ट्रोल करते हैं। इस प्रकार के जो लोग होंगे, उनकी पंचायत समिति बनती है, तो उससे उनका क्या संबंध रहता है? यह एक बुनियादी और मूलभूत प्रश्न बनता है जिस पर विचार करना चाहिये। मैं यह चाहता हूं कि (माननीय मंत्रीजी की ओर संकेत कर) यदि वे पधार जायं तो अच्छा हो....

श्री उपाध्यक्ष : वे हैं, आप आरम्भ रखिये।

एक माननीय सदस्य : कोरम भी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : कोरम भी नहीं है। कोरम बुलवा लिया जाय।

(गणपूरक घन्टी के पश्चात् पुनः)

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं निवेदन कर रहा था कि यदि ग्राम पंचायतों के पार्ट्स ग्राम सभाओं को हैं तो जी. जी. में कोई मेरी आपत्ति नहीं रहेगी और यदि यह मानते हैं कि ग्राम पंचायत अलग रहेंगी और ग्राम सभा अलग रहेगी तो मेरी आपत्ति है, ग्राम के सब लोगों की मिल कर ग्राम पंचायत बनेगी और खंड ८ में है कि ग्राम सभा का कन्स्ट्रक्शन उन्हीं लोगों से होगा जिनकी जमीनें हैं। मैंने तो उस समय भी सुझाव दिया था कि यदि इस ग्राम सभा की बजाय कृषक सभा कर दिया जाता और किसानों से सम्बन्धित कार्य इसके जिम्मे रखे जाते तो ठीक रहता। ग्राम पंचायतें रहतीं तो ग्राम के विकास का काम, टैक्सेज लगाना, टैक्सेज वसूल करना आदि काम कर सकती थी पर किसानों का काम व्यक्ति करता है। हम चाहते थे कि समूह इस कार्य को करे तो वह समूह मिल कर किसान बनता है। समूह को कार्य देते हैं तो वह किसानों को कार्य देना चाहिये था। मैं यह निवेदन कर चुका था। केवल किसानों की ग्राम सभा बनायें और सारे गांव वालों का प्रबन्ध इनको सौंपे तो यह उचित नहीं होगा। या तो आप कहिये कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का समन्वय होगा। दोनों यदि एक नहीं हैं तो जो केवल किसानों को मिला कर ही ग्राम सभा बनने वाली है जिसमें दूसरे गांव वालों का प्रतिनिधित्व बिलकुल नहीं है, तो उन लोगों का क्या होगा? क्या इस डेमोक्रेसी में उनको वोट देने का हक नहीं है? तो ऐसी दशा में कृषक सभा बनाते और इस सभा के सुपुर्द कृषि सम्बन्धी सारे कार्य रख देते तो ठीक रहता। पर ग्राम का नियन्त्रण करना, टैक्स लगाना, टैक्स वसूल करना,

(श्री दयाकृष्ण विजय)

ग्राम का सुधार करना, ये सब के सब काम केवल किसानों से बनी ग्राम सभा के सुपुर्द करना चाहते हैं तो यह कैसे चलेगा ?

(ए) में रखा है कि जमीनें किसको दे सकते हैं। ग्राम दान से प्राप्त हुई जमीनें सामुहिक जमीनें हैं, भूमिहीनों को देकर समान बनाया है, आपने क्लाज लगाया है कि व्यक्तिशः देंगे। दे दीजिये पर जिस प्रकार पहले इन्टरमीजियरीज जमींदार रखे हुए थे उस तरह ग्राम सभा को जमींदारों की तरह मत रखिये। ग्राम सभा चाहेगी.... "The Gram Sabha may (a) arrange for the cultivation of lands...on such terms and conditions including the levy of any rent, fee or other charges as it may deem fit;"

आखिर सेटलमेंट डिपार्टमेंट क्या काम करता है ? सेटलमेंट में जमीनों की किस्म के आधार पर, सोइल के डिविजन पर रखा है कि यह बारानी है, यह चाही अव्वल है, यह चाही दोयम, सोयम है, ये सारी श्रेणियां वहां पर रखी हैं। फिर जमींदारों की तरह ग्राम सभा को इन्टरमीजियरीज के रूप में रखते हैं तो यह उचित नहीं होगा। जमीनें ग्राम सभा की रहेंगी, पर खेती के नाते जो उस जमीन को जोतता है, उसका उस जमीन पर मालिक का हक होता है कि वह चाहे उतना मुनाफा ले, इस चीज का हमने विरोध किया है। मैं इस प्रश्न को यहां नहीं लाना चाहता। ग्राम सभा को यह अधिकार दिया, वह तो भू स्वामी का अधिकार है। ग्राम सभा का तो अधिकार है कि सेटलमेंट रेट के माफिक लैंड रेवेन्यू ले। ग्राम सभा को जो जमीनें दी हुई हैं उनका लाभ, मनचाहा लाभ लेने का ग्राम सभा को कोई हक नहीं है।

जैसे विनोबाजी कहते हैं कि जमीन किसी की नहीं, जमीन तो ईश्वर की है। तो यदि ग्राम सभा उस जमीन का मुनाफा लेने लग जायेगी तो फिर हमने जमींदारी को और जागीरदारी को क्यों खत्म किया ? ग्राम सभा मन चाहे भाव से किसी को जमीनें काश्त करने के लिये दे, यह भी गलत है। जो रेट्स सेटलमेंट डिपार्टमेंट द्वारा नियत की हुई हैं, उसी तरह की रेट्स वसूल करने का अधिकार ग्राम सभाओं को रहना चाहिये। ग्राम सभा की इच्छा पर यह रख दिया है तो ग्राम सभाएं गरीबों का शोषण करेंगी, यह तरीका नहीं है इन्सानियत का। जिस बुनियाद को लेकर इस सारे बिल को बना रहे हैं वह मूल बुनियाद ही इस प्रकार का अधिकार ग्राम सभाओं को देने से खत्म हो जाती है। सेटलमेंट रेट से लैंड रेवेन्यू लेने का अधिकार दे दीजिये पर इस तरह से ग्राम सभा की मर्जी पर कृपा पर छोड़ना उचित नहीं है, इससे तो आखिर उस काश्तकार की वही हालत रहेगी जो जमींदारों के समय में थी।

यदि सरकार न्याय करना चाहती है तो सब लोगों के लिये समान नियम बना हुआ है, वही नियम सब पर समान रूप से लागू होना चाहिये, यह नहीं कि ग्राम सभा मन चाहे नियम बनाती है रहे और मन चाहा मुनाफा लेती रहे। इसलिये ए० है उसमें मैंने रखा है :

"In part (a) replace the words 'including the levy of any rent, fee or other charges 'as it may deem fit' by the words as are settled by the Settlement Department'.

Page No.82

(श्री दयाकृष्ण विजय)

2. Delete the words "or non-agricultural occuring in part (g g)."

सेटलमेंट द्वारा जो मुकर्रर है वही वसूल करना चाहिये । इसी प्रकार जी० है, मैंने पहले अर्ज किया, ग्राम सभा उन्हीं की बनेगी जिनके पास जमीनें आई हैं और जिनके पास जमीनें आई हैं वे लोग ३०० है तो ३०० आदमियों की आबादी ही तो उस गांव से अलग हुई है । खेती के अलावा दूसरा धंधा करने वाले लोगों का इन्तजाम भी ये लोग करें यह उचित नहीं होगा । इस ग्राम सभा की क्लाज ८ है वह मेल नहीं खाती, इस लिये आपको ग्राम सभा की बजाय इसे कृषक सभा करना पड़ेगा । नान एग्रीकल्चर पर्पजेज हैं ग्राम सभा के पास वह न रख कर केवल एग्रीकल्चर पर्पजेज ही रखिये । जिस तरह सेवा सहकारी समिति काम करती है उसी तरह से काम करे, सर्विस कोआपरेटिव सोसाइटी की तरह काम करती रहे । पर मन चाहा लगान लेने का अधिकार दे दिया जाय, नान एग्रीकल्चर पर्पजेज का काम करने का भी अधिकार दे दिया जाय, यह उचित नहीं होगा । "नान एग्रीकल्चर पर्पजेज" ये शब्द इसमें से हटा दिये जाने चाहियें ।

इस प्रकार मेरे ये दो संशोधन हैं और मैं आशा करता हूं कि मेरे दोनों संशोधन की गम्भीरता को माननीय राजस्व मन्त्रीजी महसूस करेंगे ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सदस्य ने जो संशोधन पेश किये हैं और जिस प्रकार का इन्टरप्रेटेशन पेश किया है, वह सही नहीं है । जो टिनेन्सी एक्ट के एन्हेन्समेंट के अबेटमेंट के प्रोविजन्स हैं, वे इससे ओवरराइड नहीं होते ।

क्लॉज ३ का मतलब यह नहीं है कि जितने भी टिनेन्सी एक्ट के रूल्स हैं वे ओवर राइड हो जायेंगे । आपने बताया कि वे लगान भी मनमाने तरीके से वसूल करेंगे लेकिन आपने यह नहीं बताया कि यह कैसे होगा ? इसका मतलब यह नहीं कि जो टर्म ऑफ टिनेन्सी एक्ट के है वे सब खत्म हो जावेंगे । ग्रामदान को स्वीकार करने का मतलब यह नहीं कि टिनेन्सी लॉ सब खत्म हो जावेगा और कोई नया कानून बन जावेगा । मगर यह बात ठीक नहीं है । जहां पैसे और चार्जेज लगते हों आपको आपत्ति हो सकती है लेकिन जहां तक अबेटमेंट टिनेन्सी एक्ट की तहत में टर्म और कन्डीशन की बात है इसमें कोई शक नहीं है । मैं आपको बिल्कुल ठीक कह रहा हूं । यह आपके खयाल हो सकते हैं. आप अपने खयालों को अपने पास ही रखिये । मैं खुद ही समझता हूं मेरे खयाल मेरे पास हैं । लेकिन जहां चार्जेज और फी का प्रश्न है ग्रामदान को देना उचित नहीं होगा । आपने रखा है सेटलमेंट का माननीय सदस्य को यह नहीं मालूम कि कहीं सेटलमेंट तय करता है और कहीं पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट सेट करता है। मैंने इसमें एक भी बात नहीं छोड़ी है और न छोड़ना चाहता हूं । अगर जरा सी बात भी रह गई हो तो मैं उसको छोड़ना पसन्द नहीं करूंगा । लेकिन किसानों को लगान भी ग्रामदान वसूली में बढ़ा दिया जावे तो मेरे खयाल से ग्रामदान बजाय किसानों को आराम पहुंचने के नुकसान ही पहुंचाएगा और नुकसान पहुंचाने वाला होगा । अगर माननीय सदस्य को किसी प्रकार का शक हुआ है तो

Page No.83

(श्री दामोदरलाल व्यास)

मैं उनकी राय की कदर करता हूं, लेकिन यह हैपीली वर्डेड नहीं। मैं चाहूंगा कि चार्जेज वगैरह है उनको निकाल दिया जावे और इसको इस तरह से रखे दिया जावे (In part-(a) substitute the words not exceeding the rent rates sanctioned or such land' for the words fee or other charges on such terms and conditions including levy of any rent' इसके बाद में "fee or other charges" delete कर दिया जावे और इस रेन्ट के आगे "not exceeding rent rates sanctiontd for such lands' this should be added. I think that will settle all doubts. The clause will then run like this:-

"(a) arrange for the cultivation of lands vested in it either by itself or by allotting them to the residents of the Gramdan village, Either individually or jointly, on such terms and conditions including the levy of any rent not exceeding the rent rates sanctioned for such lands as it may deem fit;"

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : एक और है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं उसकी भावना को नहीं समझ सका कि एग्रीकल्चरल और नान एग्रीकल्चरल नहीं होंगे। यह तो सारे समाज पर व्यवस्था लागू होगी, उनको इन्तज़ाम वे खुद करेंगे। यह तो सब पर होगा।

श्री दयाकृष्ण विजय : Why the difference between Gram Panchayat and Gram Sabha ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप इस कानून को पढ़ लें और पंचायत एक्ट को भी पढ़ा लें। मैं आपको इनकी एक एक बात कहां तक बताऊं। आप खुद पढ़ लें। एक गांव में दो प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन रखा जावे, यह हमारा विचार नहीं है। या तो ग्रामदान ही हो या ग्राम पंचायत ही हो। जहां ग्रामदान होगा तो ग्राम पंचायत नहीं रहेगी और जहां ग्राम पंचायत होगी वहां पर ग्रामदान नहीं रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष You, withdrawing the amendment ?

श्री दयाकृष्ण विजय : मेरी मंशा पूरी तरह से सेटिसफाई हो गई है। इसलिये मैं अपना अमेंन्डमेंट विथड्रा करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : The whole amendment including that to part (gg) !
प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ १५ पर श्री दयाकृष्ण विजय ने रखे हैं उनको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज १५ पर जो संशोधन श्री दामोदरलाल व्यास ने रखा है उसे स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाज़ १५, संशोधित रूप, से स्वीकार किया जावे।

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

क्लाज़ १५, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बना।

प्रश्न यह है कि क्लाजेज़ १६, १७, १८ और १९ स्वीकार किये जावें ?

(स्वीकृत)

क्लाजेज़ १६, १७, १८ और १९ विधेयक के अंग बने।

श्री उपाध्यक्ष : क्लाज़ २०। श्री दयाकृष्ण विजय

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लाज़ २० में मेरा संशोधन इस प्रकार है :"Replace the words 'during the period of two consecutive years,' by the words 'in that particular year. मैं चाहता हूं कि दो वर्ष से जो जमीन बेकार पड़ी रहेगी उसको जमीन से बेदखल किया जावेगा। इसके बजाय अगर वह एक साल काश्त नहीं करता है तो उससे जमीन छुड़ा देनी चाहिये। अगर दो वर्ष तक जमीन बेकार पड़ी रहे तो इस प्रकार उसके पड़ी रहने से कन्ट्रोल के समय में क्या फायदा होगा ? जैसा आपका ख्याल है कि पैदावार बढ़े तो जब जमीन दो वर्ष तक बेकार पड़ी रहेगी तो किस प्रकार से पैदावार बढ़ेगी, इसलिये दो वर्ष तक वह जमीन क्यों बेकार पड़ी रहे ? अगर कोई उसको एक वर्ष भी काम में नहीं ला सकता तो दूसरे वर्ष भी नहीं ला सकता। अगर वह एक साल तक उस पर पैदावार नहीं उपजा सकता तो दूसरे को दीजिये। जो लोग जमीन को बेकार पड़ी रखना चाहते है उनको जमीन न देने से क्या फायदा यदि एक साल में उसने कोई पैदावार नहीं की है तो उसको उस जमीन से हटा देना चाहिये। दो वर्ष का आप इन्तजार करें और तीसरे साल आप उससे जमीन लें, तो यह ठीक नहीं है। जमीन बराबर दो साल पड़ी रहेगी तो पैदावार का नुकसान होगा। इसलिये उस जमीन को राइट मैन को दी जानी चाहिये। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि दूसरे को जमीन दी जानी चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि अगर इसको मंजूर किया जावेगा तो किसानों को काफी हार्डशिप हो सकती है। किसानों के सामने कई मजबूरियां होती हैं और अगर कोई किसान एक साल के लिये किसी मजबूरी से काश्त नहीं कर सकता तो वह दूसरे साल कर सकता है। इसलिये वहां इजेक्टमेंट का प्रश्न रहता है तो हमें बहुत सी बातों और सिद्धान्तों को ध्यान में रखना चाहिए। एक ही साल में अगर वह खेती नहीं करे तो उसकी जमीन को दूसरों को देने की बात रखते हैं तो किसानों के लिए बहुत मुश्किल हो जावेगी। किसान की हार्डशिप को देखते हुए हमने दो साल का समय रखा है जो रहना बहुत जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज २० पर जो संशोधन श्री दयाकृष्ण विजय ने रखा है, स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २० स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

क्लॉज २० विधेयक का अंग बना।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाजेज २१ से २५ तक स्वीकार किये जावें।

(स्वीकृत)

क्लाजेज २१ से २५ स्वीकार किये गये।

क्लाज २६। श्री दामोदरलाल व्यास।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अमेन्डमेंट इस प्रकार है। "After the words 'any other property" insert the words 'not being lands vested in the Gram Sabha.'

बहुत साधारण सी बात है कि जो ज़मीन ग्राम सभा में वेस्ट की जावे उसको कोई मोरगेज करने का या लोन का पावर नहीं होना चाहिये "Subject to such rules as may be made in this behalf, the Gram Sabha shall have power to borrow moneys on the security of the Gram Nidhi or anyother property "इसमें एड करना चाहता हूँ "not being lands vested in the Gram Sabha', कल को गवर्नमेंट की लैन्ड है और उसको गावों में गवर्नमेंट वेस्ट कर दे, ग्राम सभा में इसको अगर कल को लोन रेज करने का प्रोविजन दे तो उचित नहीं होगा।

३ म० प०

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि क्लाज २६ पर जो संशोधन श्री दामोदरलाल व्यास ने प्रस्तुत किया है उसको स्वाकार किया जाय?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाज २६ को संशोधित रूप से स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

क्लाज २६ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाजेज २७ और २८ स्वीकार किये जांय?

(स्वीकृत)

क्लाजेज २७ और २८ विधेयक के अंग बने।

(विराम)

क्लाज २९

(विराम)

Not moving?

(विराम)

डा० बहादुरसिंह।

डा० बहादुरसिंह (धौलपुर): मेरा छोटा सा संशोधन है। [Substitute the words and figures '14 days' for the words and figures 30 days] वे स्वीकार कर रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): नहीं, बिल्कुल नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : Moving ?

डा० बहादुरसिंह : छोटा सा है और स्वीकार कीजिये। समिति ने सिफारिश की है कि रूल्स को १४ दिन के अन्दर....

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं इसको मंजूर कर लूंगा क्योंकि माननीय सदस्य ज्यादा इसरार कर रहे है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ २६ पर डा० बहादुरसिंह ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाज २६ को, संशोधित रूप से, स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २६, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ३० स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३० विधेयक का अंग बना।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १, प्रिएम्बल इत्यादि स्वीकार किये जांय

(स्वीकृति)

क्लॉज़ १ प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक के अंग बने।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान ग्रामदान बिल, १६५६ को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि ग्राम दान बिल, १६५६ को पारित किया जाय।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय....I will speak on it,Sir.

श्री उपाध्यक्ष: I regret Mr. Chaudhari that it has been put to vote now. You did not stand after he moved his motion.

श्री पी० के० चौधरी: The moment he got down, I stood,, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : No, I gave a pause and then I took the draft after that and then...

श्री पी० के० चौधरी : I don't think even a minute has passed. Within half a minute I stood up. I think it would be depriving the House of their right of debate.

श्री उपाध्यक्ष: There is no question of depriving the House of the right of debate. I took a pause and then I rose from the chair. You should have risen as soon as he moved his motion.

श्री पी० के० चौधरी: I got up, Sir, as soon as he moved his motion.

श्री उपाध्यक्ष: Even now when the Chair is on its legs the Hon'ble Member is not looking to the decorum of the House. The Rules say that when the chair is on its legs...

श्री पी० के० चौधरी: on a point of order, Sir.

श्री उपाध्यक्ष: Point of order, when the chair is on its legs ?

श्री पी०के०चौधरी : But when the chair is standing continuously...

श्री उपाध्यक्ष: I regret Mr. Chaudhary. I was giveing you the chance to speak. I expect from you that you would respect the chair.

श्री पी. के. चौधरी : I am respecting......

श्री उपाध्यक्ष : I am resuming the seat. I was just pointing out that the Chair was not wrong.

श्री पी. के. चौधरी : Point of order, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : But I am allowing yout fo speak. I think your point of order is relating to this only I am allowing you.

श्री पी. के. चौधरी : Thank you, Sir.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : We shall also thank you if......

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): Have you followed his point or not ?

श्री पी. के. चौधरी : It is not necessary to follow his point.

श्रीउपाध्यक्ष : But I may point out that this will not be treated as a precedent. When the Chair has put the question and the question is being responded no member should rise and demand a right to address. Although I am relaxing it at this stage, but let it not be treated as a precedent for the future.

श्री पी. के. चौधरी : Thank you very much. उपाध्यक्ष महोदय, इस ग्रामदान बिल का हमने क्लॉजवाइज डिस्कशन कर लिया है और बिल एज ए होल पारित करने भी जा रहे हैं। जब इस बिल को एक्ज़ीक्यूट करेंगे, चाहे भूदान समिति की तरफ से एक्ज़ीक्युशन हो, चाहे गवर्नमेन्ट की तरफ से इसका एक्ज़ीक्युशन हो, एक बात पर मैं एम्फेसिस करना चाहता हूँ कि इस बिल के जरिये जो ग्राम सभा हम कायम करने जा रहे हैं और जिस तरीके का एक समाज हम कायम करने जा रहे हैं और इस बिल में जो प्रोविजन है मैं समझता हूं वह सर्वोदय की भावना के खिलाफ है क्योंकि उसमें कोअर्शन की काफी संभावना है और इस बिल को देखने से मालूम होता है कि इस बिल के जो अस्पेक्ट्स हैं जो इस बिल के साथ पूरे सहमत होते हैं या जो रखते हैं, they

(श्री पी० के० चौधरी)

are trying to be more Marxists than Marx himself. यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि इस बिल में हमने प्रोविजन रखा है कि ५० पर्सेन्ट लैन्डेड प्रोपर्टी ओनर्स जो ग्रामदान कर देते हैं तो उनकी राय बाकी ५० परसेंन्ट पर लागू करते हैं। ८० परसेंन्ट पोपुलेशन कोई राय दे देती है, उनकी राय को बाकी रिमेनिंग २० परसेन्ट पर लागू करना चाहते हैं। More Marxists than Marx himself कहा है। दास केपिटल ओथर मार्क्सएन्ड एन्जिल्स हैं। लेनिन ने उसको कम्प-लीट किया। जो बात उन्होंने कही है उसकी तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा विरोध यह है कि बिल में कम्पशन का कानून प्रोविजन कर दिया है। ५० परसेंट लैंड भूमि दान में मिल जाती है बाकी ५० परसेंट पर कम्पल्शन होगा इसी तरह ८० परसेंन्ट मिल जाती है तो बाकी २० परसेंन्ट पापुलेशन पर इस कानून का कम्पल्शन होगा। उसको अमल में लावेंगे तो कोशिश यह रहेगी कि सेंट परसेंन्ट होगी और तब ही अमल करेंगे बाकी नहीं करेंगे। कम्पल्शन पर एन्जिल्स ने जो कहा है उस पर मैं आपको बताना चाहता हूं।

Engles, the author of Das Kapital, ने कहा, उसको बताना चाहता हूं:—

"We stand decisively on the side of the small peasants. We will do everything possible to make his luck more durable, to facilitate his transition to co-operatives if he decides to take th:s p If he cannot bring himself to this decision, we will give him plenty of time to ponder on his own holdings.'

यानी एन्जिल्स ने जिसने दास केपिटल की किताब लिखी है, who coined the phrase, एक्सप्रोप्रियेट दी एक्सप्रोप्रियेटर्स। एन्जिल्स कहता है "We will give him plenty of time to ponder on his own holdings."

होल्डिंग्स उसके पास रहेंगी, उसको पोन्डर करने का मौका देंगे, but here we are using compulsion on the 50 percent of the peasantry.

दूसरी बात लेनिन ने कही है। लेनिन ने यह कहा था "The representatives of the Soviet Union must not resort to slightest compulsion in the creation of coperative association.'

आज हम एक कोओपरेटिव एसोसियेशन यहां पर बनाने जा रहे हैं and it is not the question of slightest compulsion, but we are using 100 percent compulsion on the 50 percent of the land owners. तो मैं इसलिए कह रहा था, कोटेशन इसलिए दे रहा था, सर्वोदय के नेता हैं....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : I feel that the House should not be disturbed.

श्री पी. के. चौधरी : सर्वोदय के नेता हैं और भूदान के निर्माता हैं उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि कम्युनिज्म का जो सबसे बड़ा जन्मदाता है

(श्री पी० के० चौधरी)

Father of communism, Engels, the chief architect of communism, and creater of Soviet Union जिसने कम्युनिज्म को साकार का रूप इस दुनियां में दिया है लेनिन के कम्पलशन के लिए कहा है उसका कोटेशन इसलिए दिया कि सर्वोदय में इस बात को माना जाता है कि कम्पलशन यूज नहीं करेंगे ।

लेकिन हम देख रहे हैं कि इस बिल के जरिये पूरा पूरा कम्पलशन होने जा रहा है हालांकि इस बिल में जहां तक प्रोवीजन है कानून का, जहां तक प्रावधान है इसमें यह एटीट्यूड रहना चाहिये कि स्लाइटेस्ट भी कम्पलशन यूज नहीं किया जाय । यदि इसके द्वारा कम्पलशन होता है तो जहां कहीं भी इस प्रकार का कम्पलशन रहा है वहां वह फेल्योर ही रहा है क्योंकि ह्युमैन स्पिरिट को किसी भी कानून द्वारा दबाया नहीं जा सकता । आप कानून के जरिये जेल के सीखचों में डाल सकते हैं, the human spirit is irresistible. आप कम्पलशन लायेंगे, तो आप ह्युमन स्पिरिट को दबा नहीं सकते । इसकी मिसालें हमारे सामने हैं । जब सोवियत यूनियन का फार्मेशन हुआ उसके बाद वहां बिग पीजेन्ट्री का खात्मा कर दिया गया, in the year 1924 Lenin had to accept that N. E. P. हम आज देखते हैं कि जब कोऑपरेटिव फार्मिंग का प्रयोग हुआ, ईस्टर्न यूरोप में कोआपरेटिव फार्मिंग फेल हुआ है । सोवियत यूनियन में कोऑपरेटिव फार्मिंग जिसे कलेक्टिव फार्मिंग कहते हैं बनाये थे. They have loosened the central control on it. जो सवाल कम्युनाइजेशन का हमारे सामने है उसके अन्दर इक्वीटेबल डिस्ट्रब्यूशन आफ लैण्ड है, उसके बाद नैक्स्ट सवाल है इन्क्रीज इन फूड प्रोडक्शन । मैं समझता हूँ कि इस बिल में जो हम प्रावधान करने जा रहे हैं उसको जुडिशियसली यूज नहीं करेंगे और कम्पलशन की तौर पर करेंगे तो मेरा यह निश्चित मत है कि प्रोडक्शन का स्केल घटेगा । There will be a set back in production incentive. इसकी ताजा मिसाल हमारे सामने है जो कि रिसेन्ट मिसाल है । उपाध्यक्ष महोदय, चाइना ने पहले जो लैन्ड रिफार्म किये उसके अनुसार रीडिस्ट्रिब्यूशन ऑफ लैन्ड किया, उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव फार्म्स बनाये उसी तरह से सोवियत मोडल के कलेक्टिव फॉर्मिंग के तौर पर, लेकिन उनका प्रोडक्शन नहीं बढ़ा तो उन्होंने ग्रेट लीप का प्रोग्राम रखा जो सारी दुनियां में मशहूर है । ग्रेट लीप प्रोग्राम के तौर पर वे चाहते थे कि हमारा एग्रीकल्चर प्रोग्राम एटीन टाइम्स बढ़ जाय, इंगलैन्ड से हमारा प्रोडक्शन डबल हो जाय । इसी बात को ध्यान में रखते हुए १९५८ में उन्होंने ग्रेट लीप प्रोग्राम तय किया उसमें एक आइटम कलेक्टिव फार्मिंग का भी था, लेकिन फिर भी उनका प्रोडक्शन नहीं बढ़ा फिर कम्यून्स बनाये, सारे कम्यून्स हो गये जिसका रूप हम हमारे यहां ग्राम सभा को दे रहे हैं । यह कम्यून का डायलेटेड फार्म है । जिस प्रकार चाइना ने कम्यून बनाकर वहां यह दावा किया कि हम हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इतना बढ़ा देंगे कि वह पचास प्रतिशत बढ़ जायेगा लेकिन उसका नतीजा जो हुआ वह जग जाहिर है । स्टील का प्रोडक्शन वे चाहते थे कि हमारा इंगलैंड से डबल हो जायेगा वह नहीं हो पाया इस तरह से उनका बिग लीप प्रोग्राम फेल रहा । Now they have accepted it that their Big Leap has failed. इसी प्रकार जब यह

(श्री पी० के० चौधरी)

प्रोग्राम फेल रहा तो रशिया के वाइस प्रीमियर मिकोय यू० एस० ए० आये इन्हीं मिकोय ने चाइनीज कम्यून को होट हेड्स कहा था, कहीं उसी तरह के ये ग्रामदान जो हम कर रहे हैं उनका भी वही हाल न हो ।

And here 'bald heads' are bringing this legislation of Gramdan and it will also meet with the same fate.

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, यह जो ग्राम सभा है वह उस तरह की है । सोवियत रशिया में जब गार्डन सिटी का एक्सपेरिमेन्ट किया था जो ख्रुश्चेव ने ही किया था कलेक्टिव फार्मिंग से बहुत प्रोडक्शन नहीं आता है वहां पर देखा गया कि कलेक्टिव फार्मिंग होने की वजह से लोग टाइम नहीं दे रहे थे । उन्होंने देखा, लोग किचन गार्डन से काफी प्रोडक्शन बढ़ा है । सोवियत रशिया ने देखा कि कलेक्टिव फार्मिंग में आठ घन्टा काम करने के बाद भी आउट पुट ठीक नहीं रहता तो कीचन गार्डन प्रोवाइड किये गये वहां पर एक घन्टा काम कर लेने से ही काफी प्रोडक्शन बढ़ता हुआ नजर आया । ख्रुश्चेव ने सोचा कि यह तो गलत हो रहा है । किचन गार्डन का खात्मा करना चाहिये तो उन्होंने एक फार्म में मकान बना दिये ताकि किचन गार्डन का प्रोडक्शन कम हो जाय ।

बेरिया को जो हटाया गया आफ्टर स्टेलिन, वह इस कारण था कि उसका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फेल हो गया था । उसका गार्जियन सिटीज का प्रोडक्शन फेल हो गया था । वे ईस्टर्न पीजेन्ट्री नहीं रखते कम्युनाइज्ड करने के बाद आया यह पोसीबल होगा कि इन्सेन्टिव रख सकेंगे या नहीं ? आज हम केवल स्लोगन के पीछे चल रहे हैं, उसी के पीछे makers of this country are running after slogans. जब हमारे प्रधान मन्त्री चाइना में च्यांगकाई शेक से मिल कर आये वहां उन्होंने कोआपरेटिव फार्मिंग को देखा उसी के अनुसार उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इन्डिया में लिख दिया "We must have something of that in India." But now those co-operatives have taken Chiang Kai Shek to Formosa. मुझे शक होता है कि जहां हम एक स्लोगन के पीछे चल रहे हैं कहीं हमारी भी च्यांग काई शेक जैसी हालत न हो जाय । यह ग्राम सभा जो हमने चाइना में कम्यून की हालत देखी, it might not lead us to the Andaman islands. Ultimately we may not have to shift to Andaman islands as Chiang Kai Shek had to go to Formosa.

इन सारी बातों को याद रख कर कम्पलशन का जो प्रावधान रखा है उसके लिये मेरा यह निवेदन है कि उसको जुडिशियसली यूज करना चाहिये और मैं इसको सचमुच सराहनीय मानूंगा कि किसी भी मामले में, किसी एक मामले में भी कम्पलशन का प्रयोग नहीं होना चाहिये ।

डा० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान ग्रामदान विधेयक के सम्बन्ध में हमने धारावार विचार कर लिया और अब इसका तृतीय वाचन चल रहा है । इस सम्बन्ध में जो विचारधारा सदन में आयी उसको देख कर मुझे ऐसा लगता है कि ग्रामदान को

Page No.91

(डा० चन्द्रकला)

भावना को समझने की अच्छी तरह से कोशिश नहीं की गई है। माननीय सदस्य ने बहुत सारे उदाहरण अन्य देशों के दिये और उन्होंने उसकी बुराईयों को रखते हुए हमको इस ग्रामदान के बारे में सचेत करने का प्रयत्न किया। मेरे ख्याल से उन्होंने मूल विधेयक को अच्छी तरह से देखा नहीं है, अगर वे अच्छी तरह से देखते और इसके साथ साथ विनोबाजी के और सर्वोदय के जो विचार हैं उनको समझते तो शायद जिस प्रकार की शंकायें उन्होंने प्रकट कीं वे करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होतीं।

विधेयक में साफ प्रावधान है, न केवल वह व्यक्ति बल्कि जिन्होंने अपनी भूमि ग्रामदान में दे दी है वे भी अगर अलग से रह करके खेती करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आज दुनियां में ऐसा कोई काम नहीं जो बिना सहयोग से चल सकता हो। आज छोटे से लेकर बड़े बड़े कामों में भी एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता प्रतीत होती है और फिर एक ओर हम सहकारी कृषि की बात करते हैं। हम जानते हैं कि खेती जैसे काम में मिल जुलकर काम करेंगे तो खेती ज्यादा अच्छी तरह से हो सकेगी। इसमें कम्पलशन का कहां सवाल आता है। लाव चरस का काम करने के लिये भी दो की जरूरत होती है, और भी इसी तरह के अन्य कई काम हैं जिनमें काफी आदमियों का काम होता है। आज भी एक खेत का एक मालिक अपने परिवार के आदमियों के कम होने पर बाहर से आदमी काम पर बुलाता है तो इस के स्थान पर गांव के दस, पन्द्रह, बीस आदमी मिल कर काम करेंगे तो निश्चित रूप से वे उस काम को ज्यादा अच्छी तरह से कर सकेंगे। तो एक ओर सहकारी कृषि का विरोध करते हैं....

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : There is no quorum, Sir.

(गणपूरक घन्टी के पश्चात् पुनः)

श्री उपाध्यक्ष : Specially when the lady Member is speaking !

डा० चन्द्रकला : मैं यह विश्वास करती हूं कि माननीय सदस्य सहकारिता के खिलाफ तो नहीं हैं। फिर कम्पलशन कोई नहीं चाहता। न यह विधेयक, न किसान।

श्री पी० के० चौधरी : इस विधेयक में है।

डा० चन्द्रकला : यह तो उनका भ्रम है। इसके अलावा मैं तो यह समझ रही थी कि विरोधी दल के लोग ग्रामदान का विरोध करें तो समझ में आता है, क्योंकि एक बात एक पक्ष से आती है फिर वह चाहे कितनी ही अच्छी हो, पर दूसरा विपक्ष उसको तो, क्योंकि विरोध करना है, इसलिए अच्छी बात का भी विरोध करेगा, पर हम लोगों में से तो इस बिल को समझ कर आगे बढ़ना चाहिये।

फिर वैसे तो यह विधेयक आगे आने वाली व्यवस्था का इतना नहीं है, मैं यह कई बार बता चुकी हूं कि हम सभी जानते हैं कि हमारे प्रान्त में विनोबाजी की यात्रा के समय इसके पीछे और पहले भी २३६ गांव ग्रामदान

Page No.92

(डा॰ चन्द्रकला)

में मिल चुके हैं, तो उस वक्त उनके सामने कौन सा कम्पलशन था और कौन सा विधेयक था। पर लोगों ने समझ कर निष्ठा से दिया। ग्रामदान की भावना में उनको अपना हित दिखाई पड़ा। तो उनको कानून का सहारा अब आवश्यक है इसलिये यह विधेयक है। पहले से होती आ रही चीज को सहारा लगाने के लिये यह चीज है। आगे आने वालों के लिये भी इसमें विधान है।

हमने एक तरफ विकेन्द्रीकरण के सिद्धांत को माना, उसके लिये नियम-उपनियम बनाये। उसी के अनुरूप इस कार्य को सहारा लगाने के लिये अगर कोई विधेयक आता है तो यह तो उसी विकेन्द्रीकरण को सहारा देना है। हालांकि विकेन्द्रीकरण का कानून ऊपर से आया, पर यह तो नीचे गांव वालों ने स्वत: प्रेरणा से ग्रामदान दिया है। हम तो केवल यहां उसकी व्यवस्था के लिये कुछ सहारा मात्र दे रहे हैं इसमें ग्राम सभा होगी वही पंचायत के सारे अधिकार लेगी। ग्राम सभा अपने गांव के हर विकास में हिस्सा लेने वाली है। तो एक चीज को हम स्वीकार कर चुके उसी को दूसरी तरह से हम क्रियान्वित करना चाहते हैं तो विरोध का सवाल रहता कहां है? इसलिये मैं नहीं समझती कि किसी को इसमें किसी प्रकार की आशंका रहनी चाहिये। मैं आशा करती हूं कि धीरे धीरे यह हमारी ग्रामदान की संख्या बढ़ेगी और इसके अलावा हम अपने विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त का इसके द्वारा अपने गांवों में अधिक से अधिक विकास कर सकेंगे।

श्री शिवचरणदास (मांडल) : ग्रामदान बिल, जिस पर प्रत्येक ने अपने अपने विचार प्रकट किये हैं, उसको हम पास करने जा रहे हैं। जब यह बात हमारे सदन में आई उस समय भी कई माननीय सदस्यों ने इसका मूलत: विरोध किया था और अब जब इसकी एक एक धारा पर विचार किया गया तब भी किया गया, उससे हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं अपने विचार से कि जो इसका मूलत: विरोध हुआ वह हमारे सामने स्पष्ट है और सही साबित हुआ है?

उपाध्यक्ष महोदय, हमने अपनी एक व्यवस्था को चलाने के लिये ग्राम पंचायत बनाई और उसके साथ ही उसके नतीजे को अभी हम पूरा देख भी नहीं पाये कि इसी बीच में एक सहकारी समिति का स्लोगन हमारे सामने आया, स्लोगन कहो या विचारधारा कहो, हमने उसको बीच में लाकर डाला और इसके लिये हम कह रहे थे कि इसको थोपने में किसी के साथ जबर्दस्ती न की जावे। कहने को यह ठीक था पर आज उसका वास्तविक स्वरूप हम देख रहे है। फिर वह जबर्दस्ती भले ही स्पष्ट रूप से हमें नहीं दिखाई देती हो पर अपरोक्ष रूप में ऐसा रूप ला दिया गया है कि जबर्दस्ती अनिवार्य होती है। जिस भूमि का अलाटमेंट हुआ, वितरण हुआ और जिन्होंने अपनी भूमि सहकारिता में दी उनको तो सरकार योग देगी और जो अपनी व्यक्तिगत रूप से खेती करेगा उसको यह सरकार योग नहीं देगी, सहायता नहीं देगी, कर्जा, खाद आदि सहूलियतें नहीं देगी। इसका स्पष्ट अर्थ है कि जबर्दस्ती सीधी नहीं पर अपरोक्ष रूप से है।

फिर इस प्रकार यह सहकारी खेती का स्लोगन पूरा नहीं हुआ कि सीलिंग लाये। सीलिंग अभी हम पूरा कर भी नहीं पाये, छापाखाने की स्याही भी अभी उसकी नहीं सूखी होगी कि हमारे समाने एक नया, स्टेटस जिसको कहना चाहिये, अपने शब्दों में मैं

(श्री शिवचरणदास)

स्टन्ट ही कहूंगा। आगे जाकर और स्पष्ट करूंगा, तो वह लाया गया है। हमें इस तरह से पता नहीं लगता कि हम किस विचारधार को यहां लाते हैं। जो पहले लाते हैं और जिसका उद्देश्य बताते हैं उसको पूरा भी नहीं कर पाते कि एक के बाद दूसरी विचारधारा बीच में लाकर डाल देते हैं। आखिर इस सब से हमारी सरकार का मकसद क्या है यह समझ में नहीं आया।

उपाध्यक्ष महोदय, इससे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार हम कोई मकान ब... और इसके लिये एक पत्थर जमावें, प फिर तुरन्त ही उसे अलग कर दूसरी तरफ से रक्खें, दूसरी तरफ रखने जावें इतने में उसे हटाकर दूसरा पत्थर लावें और उसे रखने लगे कि तीसरा पसन्द करके उसे लावें, तो अगर इस प्रकार मकान बनाने की चेष्टा हमने की तो क्या कोई उम्मीद कर सकता है कि वह मकान बन जावेगा? जिस ढंग से वह मकान बनाने की चेष्टा करता है उससे तो वह मकान नहीं बन पावेगा, ऐसा मैं समझता हूं। इसी तरह की सरकार की चेष्टा है गांवों की उन्नति करने की। इससे उन्नति हो नहीं सकेगी, सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो नहीं सकेगा। हमने गांव पंचायतें बनाईं। आज उनका प्रयोग शुरू भी नहीं हुआ कि हमने ग्राम सभाएं बीच में लाकर खड़ी कर दीं। आखिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई?

हम केवल एक दूसरे नागरिक में आपस में क्षोभ पैदा करना चाहते हैं, एक दूसरे में ऐसा मनमुटाव पैदा करना चाहते हैं कि कुछ लोगों की गांव में बन आवे और पार्टियां बन जावें। अपरोक्ष रूप में आज की यह सरकार लोगों में आपस में फूट डालकर शासन करना चाहती है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी भावना काम कर रही है। जैसा कि मैं समझता हूं कि मेरी ही पार्टी के लोगों ने मूलतः विरोध किया। करीब करीब अब तक जो विचार सुनने में आये हैं उनसे मैं यही समझता हूं कि लोगों की भावनाएं इसके विपरीत हैं। पर वह तो पास होना है बहुमत के जोर पर। बहुमत के जोर पर यह पास होगा, यह मुझे मालूम है। पर, उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बिलकुल गैर जरूरी चीज है। आज हम इस ग्रामदान के नाम से गांवों में जाकर, जो बिल्कुल अशिक्षित हैं, मूक हैं, बोल नहीं सकते....

श्री उपाध्यक्ष : जहां तक विधेयक का सम्बन्ध है उसके सिद्धान्त की आलोचना न करके अब तक प्राक्कथन के ही रूप में चल रहे हैं। इसके सिद्धान्तों के सम्बन्ध में माननीय सदस्य कुछ निवेदन करें, यह मैं चाहूंगा।

श्री शिवचरणदास : उपाध्यक्ष महोदय, इसी विचार में, इसी भावना से मैं निवेदन कर रहा हूं। मैं यही कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से जो एक के बाद एक विधेयक लाना चाहते हैं उसमें मुझे कोई तथ्य नजर नहीं आता और इसका मूलतः विरोध भी किया जा रहा है, वह भी एक सही रूप में, सही भावना के रूप में किया जा रहा है। अब यहां अभी माननीय सदस्या ने बताया कि विनोबा जी यह चाहते हैं। मैं नहीं समझ पाता कि हमारे यहां राजस्थान में लगभग ३५,००० गांव हैं और इनमें से कुल २३५ गांवों का ग्रामदान अब तक हुआ है तो आज

(श्री शिवचरणदास)

यदि बहुमत के आधार पर देखें तो ३५,००० में से २३५ गांव अभी तक ग्रामदान में आये हैं इस दृष्टि से भी विचार करें तो मैं समझता हूं कि इस विधेयक को इतनी जल्दी लाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन यह सारा XXXX इसलिए हुआ है. मैं तो इसे XXXX ही कहूंगा ...

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से चाहूंगा कि अभी उन्होंने इसे XXXX कहा है अतः वह थोड़ा सा भाषा का ख्याल रखें। यह अनपार्लियामेन्टरी शब्द है और मैं चाहूंगा कि ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाये।

श्री रामचन्द्र (डग-सु.) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने पहले भी स्टन्ट शब्द का प्रयोग किया है और अब XXXX कहा है। मैं निवेदन करूंगा कि यह शब्द प्रोसीडिंग्स में से निकाल दिए जायें, इससे हमारी भावनाओं पर ठेस पहुंचती है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : कोई चीज जब तक पास नहीं होती है उसके विषय में कुछ भी कहा जा सकता है। कि वह XXXX है या क्या है।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने स्टंट शब्द को पहले आंवरलुक किया है लेकिन XXXX शब्द जिस कन्टेक्स्ट में कहा है वह उपयुक्त नहीं है और मैं इसको एक्सपन्ज करने की व्यवस्था देता हूं।

श्री शिवचरणदास : व्यवस्था तो माननी होगी लेकिन उपाध्यक्ष, महोदय, मैं यह समझता हूं कि इस प्रकार एक के बाद एक विधेयक लाए जाते हैं और पहले वालों को पूरी तरह पालन भी नहीं कर सकते हैं उनके नतीजों को नहीं देखते कि दूसरा विधेयक आ जाता है। मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। इसके अलावा इसमें ऐसे भी खण्ड हैं, जैसे खण्ड २२ है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपको बतला दूँ कि जहां तक थर्ड रीडिंग का प्रश्न है, हम विधेयक के सिद्धान्तों का ही विश्लेषण करेंगे। हमने खण्डशः इसकी खण्ड पर विचार कर लिया है इसलिए आप कहीं खण्डशः फिर वापिस अपने विचार प्रकट करना चाहें उस ढंग से कि जिस तरह से हमने पहले किया है तो मैं उसको उपयुक्त नहीं समझता हूं।

श्री शिवचरणदास : मैं खण्डशः विचार नहीं पेश कर रहा हूं। मैं थोड़ा सा सदन के सामने निवेदन करना चाहता हूं और बहस नहीं करता लेकिन उसकी भाषा के बारे में सदन के सामने अर्ज करूंगा। क्लाज २२ में इस प्रकार लिखा है :

"२२. ग्राम सभा का कार्य अनौपचारिकता आदि के कारण अमान्य नहीं किया जाना

किसी ग्राम सभा या उसकी किसी समिति का कोई कार्य या उसकी कोई कार्यवाही उसके संगठन में किसी त्रुटि या उसकी कार्यवाहियों में किसी अनौपचारिकता के कारण अमान्य नहीं समझी जायेगी।"

तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि हालांकि हम इस विधेयक

XXXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्य विवरण में से पृथक किया गया।

(श्री शिवचरणदास)

के खण्डों पर वादविवाद कर चुके हैं और चर्चा कर चुके हैं लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मूलतः इसको विरोध करने के रूप में यह नजीर देते हुए मैं सदन को आप द्वारा निवेदन करूंगा कि जो हम इसको पास करने जा रहे हैं, यह मैं समझता हूं कि यह बिलकुल गैरजरूरी है और जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया कि इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। इस समय जब कि हम सीलिंग ला रहे हैं उसमें हमने जमीन की व्यवस्था कर दी है कि किसी के पास अधिक भूमि नहीं रहेगी; तो इस बिल को लाकर नया रूप देना चाहते हैं तो आखिर इसकी इतनी एकदम आवश्यकता क्या हो गई ? इसलिए मैं विरोध करता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि इसको सदन पास नहीं करे और यदि हम इसको पास करेंगे तो मैं समझता हूं कि जिस ढंग का नतीजा आप निकालना चाहते हैं वह नहीं होकर इसका नतीजा उल्टा निकलेगा। एक तरफ हम यह कहते हैं कि स्वेच्छा से जो नागरिक चाहेंगे वह जमीन ग्रामदान में देंगे और दूसरी तरफ हम प्रतिशत लगा कर लोगों को इस बात पर राजी कराना चाहते हैं। आज संविधान से जो नागरिक अधिकार नागरिकों को मिले हुए हैं मैं कहता हूँ कि उसके भी यह विपरीत पड़ता है, लेकिन आज बहुमत के आधार पर यह सदन चाहे जो करे वह सारा अमान्य होगा। इसका नतीजा आखिर क्या होगा ? इसके ऊपर सदन को कम से कम पूरा ध्यान देना चाहिये और ऐसा न हो कि हम इस दौड़ में बजाय लाभ के किसी भी प्रकार की हानि उठा बैठें। इसलिये मैं समझता हूँ कि यह हमारे लिये उपयुक्त नहीं होगा और जरूरी नहीं है कि हम इस विधेयक को इस समय पास करें।

श्री उपाध्यक्ष : रावल श्री नरेन्द्रसिंह।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : हां, आरम्भ करिये।

(हंसी)

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मेरा यह निवेदन है कि कल से काफी इस विषय के ऊपर माननीय सदस्य बोल चुके हैं और मैं भी इस पर कल काफी बोल चुका था। मैं इसलिये नहीं बोलना चाहता हूँ कि मुझे बोलने के लिए आवश्यकता है। मैं इस चीज को अक्षरशः मानने वाला हूँ। सबसे ज्यादा मेरे हिस्से में और मेरे आस पास के गांवों में और मेरे खुद के गांव में मैंने आगे होकर इस चीज के लिये प्रचार किया है। लेकिन साथ ही मेरा इतना निवेदन था और अब भी मैं इसकी अत्यन्त आवश्यकता समझता हूँ कि जो प्रत्येक खण्ड के ऊपर दलीलें होकर सवाल सामने आए और जो बिल रखा गया है मैं तो इससे मतभेद भी नहीं रखता। मैं तो यह निवेदन करूंगा कि ऐसे जरूरी मामले में और जिसके अन्दर आइन्दा बहुत कुछ सवाल आ सकते हैं ऐसे मामले के लिए अगर जल्दी नहीं की जाये तो अच्छा रहेगा। दूसरा सत्र शीघ्र ही १॥ महीने बाद आने वाला है, अगर इसको उस समय लिया जाये तो ज्यादा अच्छा रहे। इसके अलावा यह पब्लिक ओपीनियम के लिए और उनकी विचारधाराओं के लिए भेजना....

श्री उपाध्यक्ष : अब तो वह पोजीशनग नहीं है, उस प्रश्न पर आप नहीं जा सकते।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मैं तो इतना ही अर्ज करना चाहता था।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य हैं उन्होंने इस विधेयक के बारे में विचार व्यक्त किये और उनके वही विचार हैं कि जो उन्होंने कल भी जब जनरल डिस्कशन हो रहा था उस समय कहे। उन्होंने तो इस बिल को चाइनीज कम्यून की सिमिलेरिटी देते हुए कहा कि ग्रामदान के अन्दर फोर्स ऑफ एलीमेंट है। मैं नहीं समझता कि उन्होंने यह फोर्स ऑफ एलीमेंट कहां से ले लिया? इस सारे बिल को आप देखेंगे और भूदान से लेकर ग्राम दान तक आप पहुंचेंगे तो आपको कहीं भी ऐसा नहीं मालूम होगा कि कहीं फोर्स ऑफ एलीमेंट है। मैं यहां तक अर्ज करूंगा कि आप इसको सेपरेट कर दीजिये, भूमि का दान है उसको और ग्राम सभा के दूसरे फंक्शन्स हैं उसको। तो जहां तक भूमिदान इत्यादि का सवाल है वह तो सीधी सी बात है कि कोई भी व्यक्ति अपनी रजामन्दी से अपनी भूमि को ग्रामदान के अन्दर दान दे सकता है। इसके अन्दर सीधी बात है कि इसके अन्दर किसी तरह से फोर्स ऑफ एलीमेंट नहीं है। जहां तक जमीन के दान देने का सवाल है किसी व्यक्ति के साथ में कोई मजबूरी नहीं है। यह माननीय सदस्य जिस बात को लेकर कहते हैं और विधेयक में जो खण्ड ४ पेश किया है और जिस बात को लेकर कहते हैं कि फोर्स ऑफ एलीमेन्ट है अगर विधेयक को देखेंगे तो जहां तक जमीन के दान देने का सम्बन्ध है किसी गांव के अन्दर वहीं जमीन का मैनेजमैन्ट वैस्ट होगा जो कि ग्राम दान में मिलेगी या वह कामन लैण्ड जो कि सरकारी है या सरकारी नियन्त्रण में रहती है वह लैण्ड ग्रामदान में वैस्ट करेंगी। जिन लोगों की जमीन ग्रामदान में नहीं आती है उनके वैस्ट करने का सवाल नहीं आता।

अब रहा सवाल उस बात को लेकर कि एलीमेंट ऑफ फोर्स कहां पैदा होता है इस ग्रामदान की व्यवस्था के समाज में? उनका कहना यह है कि दूसरे लोग भूमि नहीं देते हैं लेकिन गांव में रहते हैं तो एलीमेंट ऑफ फोर्स इसलिए आता है कि ग्रामदान के अन्दर शामिल होना पड़ता है। जहां तक भूमिदान देने का सम्बन्ध है वैसा फोर्स नहीं है। इसमें क्या व्यवस्था है उसमें इस फोर्स का असर पड़ता है। आप खण्ड १५ को देखेंगे जिसमें ड्यूटीज़ एन्ड फन्कशन्स ऑफ ग्रामसभा दिये हुए हैं। उसके अन्दर जितने फंक्शन्स एण्ड ड्यूटीज़ है वह जहां डीसेन्ट्रेलाइजेशन किया है और जहां पंचायत समितियों की स्थापना की है तो एक तरफ तो वह है और दूसरी तरफ जैसा कि मैंने आज सुबह अर्ज किया था कि पंचायत की स्थापना के बाद उनको पंचायत के फंक्शन्स नहीं दिये जायं और पंचायतें रहें अलग अन्य फंक्शन करें और ग्रामसभायें अलग से फन्कशन्स करें तो ठीक नहीं होगा। अगर आप पंचायतों के कांस्टट्यूशन्स और ग्रामसभाओं के कांस्टट्यूशन को देखें तो कोई फर्क नहीं, है वहां पर भी Every adult member of the village, he is a voter पंचायत का इलेक्शन है, और यहां पर भी every adult member of that village is a voter. उन्हें अपनी एक्जीक्यूटिव का इलेक्शन करना पड़ेगा। जब यहां पर इलेक्शन होकर एक्जीक्यूटिव बनती है और वहां

(श्री दामोदरलाल व्यास)

पर पंचायते बनती हैं तो डप्लीकेसी आफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो एक गांव के अन्दर, एक तरफ तो ग्रामसभा और दूसरी तरफ पंचायत को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाना उचित नहीं था। इसलिये जब ग्रामदान होता है एक विलेज के अन्दर, और जब समाज की व्यवस्था दूसरी तरह की होती है तो उसी बॉडी के अन्दर जो चुनी हुई है और उन्हीं कन्डीशन्स में चुनी हुई हैं जिनमें कि वह पंचायत अपनी बनाते हैं तो फिर मैं नहीं समझता कि क्या वजह है कि उसके सुपुर्द और काम जो डीसेन्ट्रलाइज्ड बोडी है उनके सुपुर्द नहीं करते हैं ? इसके अलावा कहीं पर एलीमेंट आफ फोर्स नहीं है जैसा कि माननीय सदस्य ने चाइनीज कम्यून्स और रशियन कल्टीवाइजेशन आदि कई चीजें कोट करके बतलाने की कोशिश की थी कि फोर्स ही फोर्स है। एज़ ए मेटर आफ फैक्ट वे सर्वोदय की विचारधारा को नहीं समझते हैं। इस बिल के अन्दर आप सर्वोदय की विचारधारा को देखेंगे तो ग्रामदान के अन्दर मैं समझता हूं काफी समस्याएं जो हमारे देश की हैं वे इस कानून से हल करेंगे। भूमिहीन की समस्या को हल करेंगे। इसके अन्दर रजामन्दी से हल करेंगे, किसी कानून के फोर्स से नहीं करेंगे। जिन लोगों के पास में बहुत सी जमीन है वे यह समझते हैं कि खुद जीओ और दूसरों को जीने दो, इस सिद्धान्त को मान कर चलते हैं। इस प्रकार के आदमी उस बात को ध्यान में रखते हुए जमीन को डोनेट करेंगे। उनको अपनी आवश्यकता के माफिक जमीन अलाट हो जायगी और जो लोग उस गांव में रहते हैं और जिनके पास जमीन नहीं है उनको भी हिस्सा उस जमीन में दें। इतने अच्छे भाव हैं कि हमारे देश में ही नहीं दुनिया में उनकी प्रशंसा हो रही है। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस भावना की कद्र नहीं करते हैं या जानबूझकर अनभिज्ञ बनना चाहते हैं, वर्ना सर्वोदय की भावना...

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : यह भारतीय संस्कृति के अनुसार सारा कानून बना हुआ है।

श्री दामोदरलाल व्यास : तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि क्यों विरोध पैदा हुआ है, खास तौर से जिस राजनैतिक पार्टी के एक माननीय सदस्य हैं उस पार्टी के नेताओं ने ग्रामदान और भूदान को एकमत से माना है और इसको देश के हित में माना है,

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : और कुछ नहीं होगा लेकिन बेकारी की समस्या हल हो जायगी।

(हंसी)

श्री दामोदरलाल व्यास : अपने अपने विचार हैं। मैं कहता हूँ कि बेकारी मिट जायगी, आपकी जमीन की समस्या गांव के अन्दर है वह हल हो जायगी। सहकारिता जिसको हम मूलभूत मानते हैं, देश में सहकारिता को पनपाना है, उसको पनपाने के लिए, उसको एनकरेज करने के लिए यह सबसे अच्छा तरीका है। लोग आज एक व्यक्तिगत भावना से देखते हैं किसी जमीन या प्रोपर्टी के ऊपर। इसमें समूचे गांव को एक फेमिली समझते हैं, एक खानदान की दृष्टि से देखेंगे....

श्री शिवचरणदास (मांडल) : शहरदान विधेयक क्यों नहीं प्रस्तुत करते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : It is not proper to disturb me at this point.

Page No.98

(श्री दामोदरलाल व्यास)

The Hon'ble Member had his say, इसलिये मैं अर्ज करता हूं कि हर दृष्टि से यह एक ऐसा बिल है जो देश को आगे बढ़ायेगा। देश में बेकारी की समस्या है, भूमिहीन की समस्या है और इसके साथ साथ सहकारिता की जो भावना है, वह देश के अन्दर पैदा करेगा और उसको प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए चाइनीज कम्यून्स को या और किसी एलीमेंट आफ फोर्स इसमें लगाना, मेरे खयाल से, बिल्कुल गलत है। कहीं भी एलीमेंट का फोर्स नहीं है। जहां तक लैण्ड का सवाल है, प्रोपर्टी का सवाल है उन्हीं लोगों की लैण्ड इफेक्टेड होगी जो लोग डोनेट करेंगे। लैण्ड रेवेन्यू की वसूली का जहां सवाल है गवर्नमेंट कोई भी एजेन्सी लगान वसूल करने के लिये मुकर्रर कर सकती है, चाहे वह नम्बरदार की एन्जेसी हो, पटवारी की एजेन्सी हो या पंचायत को भी अधिकार दिये जा सकते हैं। जब पंचायतों को दिये जा सकते हैं तो ग्रामसभा को दिये जाने में क्या एतराज हो सकता है? इसके अलावा उनके फन्कशन्स को देखें तो वे पंचायतों से ज्यादा नहीं बढ़े हुये हैं। वहां पर मेजोरिटी का लास्ट रिजोर्ट है, यहां ग्राम सभा में जो डिसीजन होंगे उनमें युनेनिमिटी की कोशिश की जायगी। उसमें सिद्धान्ततः इस बात का सवाल है कि जो कुछ फैसला हो वह युनेनिमिटी से हो। जो कुछ कानून बनाते हैं उसमें व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हैं। इसलिये युनेनिमिटी को प्रायोरिटी दी है और थर्ड स्टेज पर मैजोरिटी रखी है। चूंकि उनको फैसले करने पड़ेंगे इस लिहाज से रखा है। मगर इसमें भावना सबसे पहले यह रहेगी कि युनेनिमिटी से फैसला करना है, गांव के अन्दर एक भी व्यक्ति नहीं हो जो ग्राम सभा के फैसले के विरुद्ध हो। जब फैसले निर्विरोध किये जायेंगे तो आप समझ सकते हैं कि उनको कितना सहयोग मिलेगा और कितना देहात में काम होगा। मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा सर्वोदय का दूसरा प्रस्ताव नहीं है जिसमें गांव स्वावलम्बी बने, गांव में सहकारिता पनपे, गांव में भूमि की समस्या हल हो, गांव के प्रत्येक व्यक्त को उसकी ज़रूरत के मुताबिक भूमि मिले, और बेरोज़गारी नहीं हो, असमानता नहीं हो, यह नहीं हो कि किसी के पास बहुत ज्यादा जमीन हो और किसी के पास कम हो। जो लोग ग्रामदान में शरीक नहीं होते हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा। सहकारिता के आधार पर प्रयत्न बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा और गांव स्वावलम्बी होगा, ज़मीन की समस्या नहीं होगी। उनकी तरफ एट्रेक्शन का तरीका होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि जितना इस बिल का क्रिटिसिज्म किया गया है, मैं और माननीय सदस्यों के लिए नहीं कहता, लेकिन हमारे देश में कुछ पार्टीज ऐसी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जब कभी कोई प्रगतिशील कदम उठाते हैं, जब कभी जमीन पर सीलिंग लगाने की बात होती है, भूमहीनों को एकोमोडेट करके रिहेबिलिटेट कर सकने की बात होती है जब कभी सहकारिता की बात करते हैं, कोआपरेटिव फार्मिंग की बात करते हैं, कोआपरेटिव का विस्तार होना चाहिये; देश के अन्दर तो हरएक प्रगतिशील कदम के लिए कुछ लोग ऐसे प्रतिक्रियावादी हैं जो विरोध करते हैं और वे विरोध राजनैतिक कारणों को लेकर करते हैं। मैं नहीं कहता कि यहां पर सदन में किसी माननीय सदस्य ने इस कारण से विचार किया हो। मगर उनकी जो विचारधारा है वह नेगेटिव भी हो सकती है, और रिएक्श-

(श्री दामोदरलाल व्यास)

नरी भी हो सकती है। इसके लिए तो मैं राय नहीं दे सकता। कम से कम यह बिल बहुत प्रोग्रेसिव है।

श्री पी० के० चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वोदय के सिलसिले में एक बहुत महत्वपूर्ण कानून पास करने जा रहे हैं। माननीय वित्त मंत्रीजी जो इसमें एक्सपर्ट हैं मैं चाहता हूँ कि उनका वेलडिक्टरी भाषण इसमें हो जाय तो अच्छा रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर !! सदन का प्रांगण भाषणों के लिए नहीं है। चूंकि माननीय मंत्री जी अपना उत्तर दे चुके हैं, इसके बाद कोई अधिकार नहीं रहता।

श्री पी० के० चौधरी : On a point of clarification from the Minister in-charge. उन्होंने बताया कि युनेनिमिटी से जहां पर नहीं होगा वहां पर मैजोरिटी से करेंगे थर्ड स्टेज में और जहां पर मैजोरिटी से नहीं होगा वहां कम्पलशन से करेंगे, यह सर्वोदय के कौन से प्रिन्सिपल में है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं एक्सप्लेन कर दूँ आपकी आज्ञा से। असल में जहां तक ग्रामदान का सवाल है तो ग्रामदान गांव के लिए कोई कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए नहीं है कि ग्रामदान के अन्दर एक सर्वोदय का सिद्धान्त है कि सब की एक राय से हमको काम करना है। मगर इस को बनाने की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि बहरहाल ग्रामदान का गाव है उसी गाव के रहने वाले को दूसरे लोगों से डील करना पड़ेगा जो ग्रामदान के बाहर रहते हैं। मिसाल के तौर पर लैंएड रेवेन्यू या कोऑपरेटिव फार्मिंग है, that is not included in the Gramdan उनसे डील विद करना पड़ेगा। इस तरह से बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो कि ग्रामदान के गांव के बाहर के रहने वाले लोगों से डीलिंग होगा उस ग्रामदान गांव को या ग्रामसभा को या ग्राम सभा की एक्जीक्यूटिव है उसके लिए बहुत सी बातों को रेग्युलेट करने के लिये कोई न कोई कानून की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। इसलिए इस कानून की व्यवस्था बनाना वाजिब समझा है, वर्ना सर्वोदय का सिद्धान्त तो यह है कि एक भी विरोधी नहीं हो। वह गांव ऐसा होगा, जिसमें कोई नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा। सब मेल से रहेंगे, सभी भाई होंगे। वह गांव इस तरह का होगा कि उसके अन्दर हर तरह से प्रेम ही प्रेम होगा। उसमें झगड़े का सवाल नहीं है। इसलिये मैंजोरिटी माइनोरिटी का कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन जब कानून बनता है तो व्यवहारिकता को ध्यान में रखना पड़ता है। फिर यह कह दें कि युनानिमिटी होगी, आउटसाइड विलेज डीलिंग हो जावेगा चाहे कोऑपरेटिव बैंक से हो, कहीं से बीज लाना पड़ेगा, कहीं से खाद लानी पड़ेगी, कहीं से और चीजें लानी पड़ेंगी इन सब के लिये उनको थर्ड पार्टी से डील करना पड़ेगा। हम ला बना रहे हैं, हम चाहते हैं कि युनानिमिटी रहे, युनीवरसेलस्ट युनानिमिटी रहे और किसी कारण से नहीं रहे तो फैसला मैंजोरिटी का हो।

श्री पी० के० चौधरी : मैंजोरिटी सर्वोदय में कहां आती है ?

श्री चंदनमल वैद : उपाध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी थी लेकिन डिप्टी लीडर

(श्री चन्दनमल वैद)

आफ दि हाउस रूल्स आफ प्रोसीजर से एब्व हैं, इसलिये भाषण दे सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस स्थिति में इसे सामयिक नहीं समझता हूं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान ग्रामदान बिल, १९५९, संशोधित रूप से पारित, किया जाय

(स्वीकृत)

राजस्थान ग्रामदान बिल, १९५९, संशोधित रूप से, पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित की जाती है।

तदनन्तर सदन की कार्यवाही दि० १८-१२-५९ को ३ बजकर ५२ मिनिट पर अनिश्चित काल के लिये स्थगित की गई)

———

संक्षिप्त–विवरण

(शुक्रवार, दिनांक १८ दिसम्बर, १९५९)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक ३४०६

राजस्थान केनाल के लिये सरकार द्वारा खरीदे गये ट्रेक्टर।

डाक सेन्सर करने की योजना।

जिला नागौर के कृषि अधिकारी द्वारा ज्वार के बीज को सेम्पल मुताबिक नहीं खरीदना।

ग्राम चनेठा (उनियारा) में श्री बनसी माली की बहन की मृत्यु।

उदयपुरवाटी विकास खंड के ओवरसीयर द्वारा जाली सर्टीफिकेट दिया जाना।

सिंचाई विभाग के मजदूरों की साप्ताहिक छुट्टी।

जिला नागौर के कृषि अधिकारी के अधीनस्थ ट्रक नं० आर. जे. एल. १७४१।

औद्योगिक सर्वेक्षण।

देसूरी, खारची एवं सोजत तहसीलों में रबी अभियान के समय वितरित किया गया बीज।

पर्यटन कार्यालयों की स्थापना।

सहकारी विभाग द्वारा नियुक्तियां।

शीशा उद्योग।

स्कम्भ

मेड़ता से जैतारण जाने वाली कच्ची सड़क को पक्का बनवाया जाना।

सरकार द्वारा संचालित गौशालाएं।

नवीन संस्कृत पाठशालाएं खोले जाने के आधार।

जयपुर से चौमू तक बिजली की लाइन लगाना।

पाली-खैरवा सड़क का सर्वे।

जयपुर में तथा इसके इर्द-गिर्द के क्षेत्र में बोन क्रशिंग प्लान्ट लगाया जाना।

भाखरा प्रोजेक्ट में सिंचाई एवं विद्युत् पर सरकार द्वारा किया जा रहा खर्चा।

शीप ब्रीडिंग फॉर्म्स।

तहसील फुलेरा की कालख सागर की नहर के पानी का सही वितरण करना।

राज्य हाथकरघा उद्योग को प्रोत्साहन।

लूणकरणसर स्टेशन पर रेलबोर्न टेन्कस के जरिये आने वाले पानी को इक्ट्ठा करने हेतु निर्मित किया जा रहा हौज।

सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट, सोजत, की अदालत में धारा १०९ सी. आर. पी. सी. के अन्तर्गत जेर-तजवीज मुकदमे।

रूपनगर से फुलेरा तक सड़क बनवाना।

पार्वती बांध से सिंचाई।

मालपुरा व उनियारा में अधिक अन्न उत्पादन सम्बन्धी किये गये प्रयास।

बेगूं तहसील के रैबारियों को फीस वसूल करने के बावजूद भी चराई की सुविधाएं नहीं देना।

शैडो ब्लॉक्स के विकास अधिकारी को दौरे करने हेतु जीप प्रदान करना।

स्थगित तारांकित प्रश्न ३५५५

कोटा जिले में खरीफ अभियान की दृष्टि से उठाये गये कदम।

कोटा जिले के बेल मैकेनाइज्ड कृषि फार्म।

धौलपुर कोर्ट बिल्डिंग के सामने स्थित बाग की व्यवस्था।

राजस्थान ट्रान्सपोर्ट अपीलेट ऑथोरिटी के विरूद्ध याचिका।

वक्तव्य

श्री चन्द्रीप्रसाद गुप्ता, श्रम मंत्री, ने श्रम मामलों से सम्बन्धित एक वक्तव्य दिया।

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९५९, के अन्तर्गत बनाये गये नियम। ३५९५

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९५९ के अन्तर्गत बनाये गये निम्नांकित नियम, जो दिनांक १ दिसम्बर, १९५९, को सदन की मेज पर रखे गये थे, पर सर्वश्री पी. के. चौधरी व भीमसेन ने अपने संशोधन प्रस्तुत किये :

1. The Rajasthan Panchayat Samitis (Election of Members of standing Committees) Rules, 1959.
2. The Rajasthan Panchayat Samitis and Zila Parishads (Financial, Accounts and Budget) Rules, 1959.
3. The Rajasthan Panchayat Samitis and Zila

Page No.103

स्कम्भ

Parishads (Conduct of Business) Rules, 1959.

4. The Rajasthan Panchayat Samitis Pradhan and Up-Pradhan and the Zila Parishads Pramukh and Up-Pramukh (Election Petition) Rules, 1959.

5. The Rajasthan Panchayat Samitis (Election of Chairman of Standing Committee) Rules, 1959.

राजस्थान ग्रामदान विधेयक, १९५९ ३५९९

उपरोक्त विधेयक पर दिनांक

स्कम्भ

१७-१२-५९ को की गई बहस का उत्तर आज राजस्व मंत्री द्वारा दिया गया। डॉ० चन्द्रकला ने अपना संशोधन वापस ले लिया तथा श्री पी. के. चौधरी का संशोधन गिर गया। तत्पश्चात् विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंडशः विचार किया जाकर उसे सदन द्वारा संशोधित रूप में पारित किया गया।

———

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४५१ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING THE PROGRESS OF WORKS OF DEVELOPMENT BLOCK UDAIPURWATI YEAR 1957-58.

S.No.	Village	Item of work	Sanctioned amount.	Total expenditure	Present position.
1	2	3	4	5	6
1.	Jakhal	Const. of well	1000/-	5621/-	Complete
2.	Ponkh	-do-	1000/-	5500/-	-do-
3.	Pachlangi	-do-	500/-	1441/-	-do-
4.	Jahaj	-do-	500/-	3564/-	-do-
5.	Jahaj	-do-	750/-	3049/-	-do-
6.	Bhorki	-do-	500/-	5975/-	-do-
7.	Gura	-do-	500/-	5000/-	-do-
8.	Ked	Repair of well	250/-	379/-	-do-
9.	Baragaon	-do-	1000/-	1770/-	-do-
10.	Chau	Const. of P. S. Bld.	500/-	2838/-	-do-
11.	Sarai	M. S. building	1000/-	5360.50	-do-
12.	Manaksas	P. S. building	500/-	2000/-	-do-
13.	Ked	M. S. building	1000/-	1701/-	-do-
14.	Chau	V.L.W. Quarter	2700/-	3900/-	-do-
15.	Duria	-do-	2700/-	3335/-	-do-
16.	Manaksas	-do-	2700/-	3484/-	-do-
17.	Gilonkidhani	-do-	2700/-	3003/	-do-

1	2	3	4	5	6
18.	Papra	-do-	2700/-	4027/-	-do-
19.	Seethal	-do-	2700/-	3964/-	-do-
20.	Bhatiwar	-do-	2700/-	3372/-	-do-
21.	Newri	-do-	2700/-	3074/-	-do-
22.	Chanwar	-do-	2700/-	3621/-	-do-
23.	Inderpura	-do-	2700/-	3444/-	-do-
24.	Ked	Const. of Khura	950/-	1594/-	
25.	Papra	-do-	400/-	600/-	-do-
26.	Duria	-do-	400/-	501/-	-do-
27.	Ponkh	-do-	300/-	563/-	-do-
28.	Baragaon	-do-	500/-	1701/-	-do-
29.	Chapoli	-do-	950/-	2935/-	-do-
30.	Chanwara	-do-	950/-	1487/-	-do-
31.	Bhatiwar	Dev. works	2000/-	3350/-	-do-
32.	Manaksas	-do-	2000/-	3968/-	-do-
33.	Posana	-do-	1000/-	2000/-	-do-
34.	Bhorki	-do-	2000/-	3700/-	-do-
35.	Gudha	-do-	1000/-	1536/-	-do-
36.	Titanwar	-do-	1000/-	3000/-	-do-
37.	Gura	-do-	1000/-	2000/-	-do-
38.	Kakrana	P. S. building	1000/-	3000/-	-do-
39.	Seethal	Dev. works	2000/-	3336/-	-do-
40.	Pachlangi	-do-	1000/-	1525/-	-do-

1	2	3	4	5	6
41.	Chapoli	-do-	1000/-	2950/-	—do—
42.	Chanwara	—do—	1000/—	2000/—	—do—
43	Baragaon	—do—	1000/—	581 /—	—do—
44.	Jaitpura	—do—	1000/—	2000/—	—do—
45.	Majhau	Const. of Harijan well	800/—	3371/—	—do—
46.	Nangal	Gata	200/—	315/—	—do—

परिशिष्ट

STATEMENT SHOWING THE ACTUAL POSITION OF THE WORK IN DEV. BLOCK UDAIPURWATI 1958-59.

S. No.	Village	Item of work	Sanctioned amount.	Total expenditure.	Present position
1.	2.	3.	4.	5	6
1.	Bhatiwar	Const. of new well	800/-	1200/-	Complete
2.	Ghotukidhani	-do-	1200/-	1800/-	-do-
3.	Sarai	-do-	400/-	600/-	-do-
4	Ponkh	Completion of well	400/-	600/-	-do-
5.	Ponkh	Const. of new well	500/-	750/-	In progre
6.	Gadla	-do-	1200/-	1800/-	-do-
7.	Duria	-do-	500/-	750/-	Complete
8.	Titanwar	-do-	500/-	750/-	In progress
9.	Hukampura	-do-	750/-	1125/-	Complete
10.	Gura	-do-	750/-	1125/-	In. progress
11.	Gudha	-do-	1000/-	1500/-	Complete.
12.	Bhojgarh	-do-	1000/-	1500/-	In progress
13.	Bas Bisna	Repair of well	500/-	750/-	Complete
14.	Khoh	-do-	200/-	300/-	-do-
15.	Nangal	-do-	200/-	300/-	-do-
16.	Papra	-do-	200/-	300/-	-do-
17.	Mavta	-do-	250/-	375/-	-do-
18.	Jahaj	-do-	400/-	600/-	-do-
19.	Gadla	-do-	300/-	450/-	-do-

1	2	3	4	5	6
20.	Nowri	-do-	400/-	600/-	-do-
21.	Bas Bajava	-do-	500/-	750/-	-do-
22.	Gumanakabas	-do-	400/-	600/-	-do-
23.	Khiranwasar ki dhani	-do-	500/-	750/-	-do-
24.	Gudha	-do-	400/-	600/-	-do-
25.	Raghunathpura	Const. of Aushdhalya building	250/-	336/-	-do-
26	Posana	-do-	500/-	668/-	-do-
27.	Haripura	-do-	500/-	668/-	-do-
28.	Kakrana	-do-	500/-	668/-	-do-
29.	Sighore	-do-	500/-	668/-	-do-
30.	Bhokri	-do-	750/-	1000/-	-do-
31.	Raaghunathpura	Const. of Khura	250/-	336/-	-do-
32.	Ponkh	-do-	250/-	336/-	-do-
33.	Sighore	-do-	500/-	668/-	-do-
34.	Cura	-do-	250/-	336/-	In progress.
35.	Jodhpura	Const. P. S bld.	1000/—	3000/—	—do—
36.	Pachlangi	—do— M. S.	500/—	668 —	Complete.
37.	Kairoth	Const. of P. S. bld.	1000/—	3000/—	—do—
38.	Sarai	Middle school	1000/—	1336/—	—do—
39.	Gadla	Const. of P. S. Bld.	500/—	1500/—	In progress.
40.	Deeppura	—do—	500/—	1500/—	Complete.
41	Hukampura	—do—	500/—	1500/—	In progress.

1	2	3	4	5	6
42	Mejhau	—do—	1000/—	3000/—	Complete.
43	Tonk	Const of park	250/—	336/—	—bo—
44	Bajava	—do—	250/—	336/—	—do—
45.	Nangal	Const of gatta	200/—	268/—	—do—
46.	Chau	—do—	500—	668/—	—do—
47.	Cura	—do—of Bundh	500/—	1000/—	—do—
48.	Cura Manaksas	Repats.	700/—	936/—	—do—
49.	Coria	Const. of well	2000/—	3000/—	In progress.
50.	Natas	—do—	1000/—	1500/—	Complete.
51.	Chain nath ki dhani	—do—	1000/—	1500/—	—do—
52.	Kishorepura	—do—	1000/—	1500/—	—do—
53.	Gilloakidhani	Repair of well	1000/—	1500/—	—do—
54.	Bargaon	—do—	500/—	750/—	—do—
55.	Inderpura	V. L. W. Quarter	300/—	330/—	—do—
56.	Seethal	—do—	300/—	330/—	—do—
57.	Chau	—do—	300/—	330/—	—do—
58.	Chanwara	—qo—	300/—	330—	do—
59.	Newri	—do—	300/—	330/—	—do—
60.	Papra	—do—	300/—	330/—	—do—
61.	Gilokidhaai	—do—	300/—	330/—	—do—
62.	Bhatiwar	—do—	300/—	330/—	—do—
63.	Daria	—do—	300/—	330/—	—do—
64.	Manaksas	—do—	300/—	330/—	—do—
65.	Kakrana	Seed store	1500/—	3000/—	In progress
66.	Bijaranybokidhani	—do—	1500/—	3000/—	—do—
67.	Udaipur Dahar	Vety. Dispensary	3000/—	6000/—	—do—

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४५६ का उत्तर देखिये)

रबी अभियान में बीज का वितरण

		मन	सेर	छटांक
देसूरी:—	गेहूँ	११८२	२२	११
खारची:—	गेहूँ	४८५६	४	५
	जौ	४६४०	२७	७
सोजत:—	गेहूँ	३२०१	२०	०

———

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४६५ का उत्तर देखिये)

सूची

सरकार द्वारा २१ गौशालाओं को सरकारी सहायता गत वर्ष में दी गई है विवरण निम्न प्रकार है :

१	२	३	४
		सहायता	पशु
१.	श्री पिंजरापोल गौशाला रतनगढ़	१०३००	६३
२.	श्री नरसिंह गौशाला नसीराबाद	१०३००	६१
३.	श्री विजय गौशाला विजयनगर	१०३००	११२
४.	श्री जमनालाल बजाज गौशाला बनस्थली	१०३००	६७
५.	श्री गोपाल गौशाला भीलवाड़ा	१२६००	५१
६.	कृष्णमुरारी गौशाला कोटा	१०१००	१०१
७.	श्रीकृष्ण गौशाला मारवाड़, मूंडवा	१२६००	६७
८.	श्री गौशाला गंगानगर	१४००	२५
९.	श्री समेर गौशाला आडमेर	२६००	११८
१०.	श्री गुरुकुल गौशाला चितौड़गढ़	२६००	७८
११.	श्री गौसेवा संघ दुर्गापुरा	२६००	७१
१२.	श्री पिंजरापोल गौशाला लक्ष्मणगढ़	२४८०	१४७
१३.	श्रीकृष्ण गौशाला चिड़ावा	२३६०	१६६
१४.	श्रीकृष्ण गौशाला बारां	१७६०	७६
१५.	श्री सार्वजनिक गौशाला अलवर	२०००	६०

१	२	३	४
१६.	श्री सीता गौशाला अजमेर	२१००	२६३
१७.	श्री पुष्कर गौ आदि पशुशाला अजमेर	१७००	२१६
१८.	श्री तिजारती गौशाला ब्यावर	२६००	२२१
१९.	श्री गोपाल गौशाला डाडवाना	२३६००	१७७
२०.	श्री गौशाला मेडता सिटी	२६००	६८
२१.	श्री गान्धी मन्दिर गौशाला सरदारशहर	२०००	७५

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४६६ का उत्तर देखिये)

नवजीवन चर्म उद्योग सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर के सदस्यों की सूची

१.	श्री गुलाब उद्दीन	प्रेसीडेन्ट
२.	श्री बी० डी० कुरेसी	सेक्रेटरी
३.	श्री बी० डी० अलाउद्दीन	खजान्ची
४.	श्री निजामुद्दीन	सदस्य
५.	श्री बाबू	,,
६.	श्री जहूर अहमद	,,
७.	श्री मोहम्मद यासीन	,,
८.	श्री अब्दुल शकूर	,,
९.	श्री जुम्मा	,,
१०.	श्री रसूल बक्स	,,
११.	श्री बदरुद्दीन	,,
१२.	श्री शर्फउद्दीन	,,
१३.	श्री अलाद्दीन	,,
१४.	श्री मोहम्मद इस्माइल	,,

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४७१ का उत्तर देखिये)

सरकारी फार्म्स ५

(१)	जयपुर तहसील में	१
(२)	बीकानेर	२
(३)	जोधपुर तहसील	१
(४)	पोकरण तहसील	१

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४८१ का उत्तर देखिये)

विकास खण्डों की सूची

१	२	३	४
क्रम संख्या	जिले का नाम	संख्या	विकास खण्ड का नाम
१	बीकानेर	१	नोखा
		२	कोलायत
२	चूरू	३	सहरदार शहर
		४	राज गढ़
		५	डूंगर गढ़
३	गंगानगर	६	रायसिंह नगर
		७	श्री करनपुर
		८	हनुमान गढ़ (मुख्य निवास हनुमान गढ़ कस्बा)
		९	सूरतगगढ़
		१०	पदमपुर
		११	सादुलशहर
४	अलवर	१२	किशनगढ़ बास
		१३	गोविन्दगढ़ (मुख्य निवास लक्ष्मणगढ़)
		१४	तीजारा
		१५	मंडावर
		१६	कोटकासिम
		१७	थानागाजी
		१८	बानसूर
		१९	राजगढ़
५	भरतपुर	२०	नगरपहाड़ी (मुख्य स्थान नगर)
		२१	बसेरी
		२२	राजाखेड़ा

	भरतपुर	२३	नदवई
		२४	रूपवास
		२५	कुम्हेर
		२६	वियर
६	जयपुर	२७	जोबनर (मुख्य स्थान सांभर)
		२८	बस्सी
		२९	सांगानेर
		३०	जयपुर (मुख्य स्थान) झोटवाड़ा
		३१	बांदीकुई
		३२	फागी
		३३	वैराठ
		३४	सिकराय
		३५	गोविन्दगढ़
		३६	शाहपुर
७	झुंझुनू	३७	चिड़ावा
		३८	उदयपुरवाटी
		३९	सूरजगढ़
		४०	नवलगढ़
८	सवाई माधोपुर	४१	हिन्डौन
		४२	टोडाभीम
		४३	महुवा
		४४	करौली
		४५	सवाई माधोपुर
		४६	गंगापुर
		४७	नादोती
९	सीकर	४८	नीमकाथाना
		४९	लक्ष्मणगढ़
		५०	दांतारामगढ़
		५१	श्रीमाधोपुर

१०	टोंक	५२	मालपुरा
		५३	टोंक
		५४	टोडारायसिंह
		५५	निवाई
११	अजमेर	५६	पीसांगन
		५७	मसौदा
		५८	नवाजा
		५९	केकड़ी
		६०	श्रीनगर
		६१	किशनगढ़ (मुख्य स्थान सीलोरी)
		६२	भिनाय
१२	बाड़मेर	६३	सत्र ।
		६४	शिव
		६५	पचपद्रा (मुख्य निवास बालोतरा
		६६	गुढ़ामलानी
१३	जैसलमेर	६७	सांकरा (मुख्य निवास) पोकरन
		६८	जैसलमेर
१४	जालोर	६९	आहोर
		७०	सांचोर
		७१	भीनलाल
		७२	सायला
१५	जोधपुर	७३	बिलाड़ा
		७४	ओसियां
		७५	भोपालगढ़
		७६	जोधपुर (मुख्य निवास मण्डोरे)
		७७	बालसेर
१६	नगर	७८	डीडवाना
		७९	लाडनू
		८०	कुचामन

	नगर		
		८१	मकराना
		८२	डेगाना
		८३	जायल
१७	पाली	८४	सुमेरपुर
		८५	बाली
		८६	देसूरी
		८७	खारची
		८८	सोजत
		८९	रायपुर
		९०	रानी स्टेशन
१८	सिरोही	९१	पीडवाड़ा
		९२	आबू (मुख्य निवास आबूरोड)
		९३	सिरोही
१९	बूंदी	९४	तालेरा
		९५	हिन्डोली
		९६	नैनवा
२०	झालावाड़	९७	झालरापाटन
		९८	खानपुर
		९९	मनोहर थाना
		१००	डीग
२१	कोटा	१०१	बारां
		१०२	अन्ता
		१०३	लाडपुरा
		१०४	शाहबाद
		१०५	अटरू
		१०६	इटावा
२२	बांसवाड़ा	१०७	गढ़ी
		१०८	कुशलगढ़
		१०९	नागीडोरा (मु० निवास कालिंजरा)
		११०	घाटोल

२३	भीलवाड़ा	१११	मांडलगढ़
		११२	मांडल
		११३	शाहपुरा
		११४	जहाजपुरा
		११५	कांटरी
		११६	आसीन्द
२४	चित्तौडगढ़	११७	प्रतापगढ़
		११८	बेंगू
		११९	कपासन
		१२०	चितौड़गढ़
		१२१	राशमी
		१२२	निम्बाहेडा
२५	डूंगरपुर	१२३	डूंगरपुर
		१२४	सीमलवाडा
		१२५	सागवाडा
		१२६	आसपुर
		१२७	बीन्चीवाडा
		१२८	राजसमन्द
२६	उदयपुर	१२९	आमेत
		१३०	कुम्भलगढ़
		१३१	गिरवा (मुख्य निवास साविनाखेरा)
		१३२	कोटरा
		१३३	खामनोर
		१३४	धरियावाद
		१३५	बड़गांव
		१३६	रेलमगरा
		१३७	मावली
		१३८	गोगुन्दा
		१३९	भीनडार

परिशिष्ट ७

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २६५ का उत्तर देखिये)

REPORT OF KHARIF ABHIYAN, 1959, KOTAH DISTT.

Items.	Targets achieved.
1. Allotment of land	
(a) To Co-operative Societies.	3871 acres
(b) Individual cultivators.	4636 "
2. No. of tenant co-op. societies formed.	124
3. Area reclamation & actually put under kharif crops.	1699 acres.
4. Additional area brought under cultivation.	
(a) Under paddy cultivation	5181 acres.
(b) Maize	5529 "
(c) Jowar	4119 "
(c) Other crops.	8772 "
5. Area brought under Japanese method of paddy cultivation.	1218 "
6. Seed treatment above.	
(a) Jowar	8 tons 14 mds.
(b) Paddy.	55 tons 22 mds.
7. Fertilizers distributing in tons.	
(a) Nitrogeneous fertilizers.	
(i) Ammonium Sulphate	33 tons 17 mds. 3 srs.
(ii) Ammonium Sulphate Nitrate .	32 tons 4 mds. 18 srs.
(iii) Urea.	3 tons 13 mds
(b) Phosphatic fertilizers.	
(i) Superphosphate.	15 tons 17 mds 5 srs.

8. Seed distributed.

(a) Paddy.	28 tons 3 mds. 26 srs.
(b) Jowar	3 tons 16 mds.
(c) Maize	5 tons 9 mds. 26 srs.
(d) Sannhemp.	900 mds.
(e) Groundnut.	20 mds.
(f) Cotton etc.	—

9. Implements distributed.

(a) Improved ploughs.	26
(b) Handhoes.	41
(c) Seed drill.	21
(d) Cultivators etc.	—

10. Demonstrations held.

(a) Fertilizers.	32
(b) Improved seeds.	17
(c) Green manuring.	588 acres.
(d) Line sowing.	22497 ,,

11. (1) Plant protection measures in acres.

(a) Rat control.	650 acres.
(b) Phadka control.	5282 ,,
(c) Guddy bug etc.	

(ii) Insecticides actually used.

(a) B. H. C.	1 ton 5 cwt.
(b) D. D. T.	1 Bag of 5 lbs.
(c) Agroson.	5 lbs.

(iii) Duster of sprayer sold to cultivators or Panchayats	5 sets.
12. Impoved cultural practices	3363 acres.

Page No.122

13. Taccavi loans: Wells.	Rs. 1500/-
Tanks.	—
14. Medh Bandi carried out.	4571 acres.
15. (a) New orchards (acres)	20 „
(b) Fruit plants distributed.	2403.

RAINFALL DATE OF KOTA DISTRICT.

Date.	Degod.	Bared.	Itawa.	Shahabad.	Baran
1	2	3	4.	5	6
15/7	0.7	0.7	—	—	—
16/7	—	—	—	—	—
17/7	0. 17	0. 13	0. 04	—	—
18/7	—	0. 18	0. 13	0. 30	—
19/7	0. 37	—	—	0. 20	—
20/7	—	—	—	0. 32	—
21/7	—	—	0. 94	0. 06	0. 50
22/7	1. 15	1. 42	0. 84	0. 25	—
23/7	0. 93	—	0. 45	—	—
24/7	0. 16	0. 16	0. 10	0. 5	—
25/7	—	—	—	—	2. 79
26/7	2. 48	2. 10	0. 85	1. 90	—
27/7	1. 15	2. 0	2. 40	1. 00	0. 28
28/7	0. 65	3. 01	1. 80	—	1. 09
29/7	0. 80	3. 38	0. 90	—	0. 90
30/7	0. 43	0. 11	0. 10	—	0. 10
31/7	0. 10	0. 08	0. 20	—	0. 11
1/8	0. 33	0. 16	—	2. 10	—
2/8	0. 60	2. 4	3. 40	—	1. 25
3/8	0. 47	0. 5	0. 10	0. 75	0. 26
4/8	0. 10	0. 27	—	0. 62	0. 46
5/8	—	—	—	—	0. 78
6/8	1. 35	1. 88	1. 85	1. 39	2. 74
7/8	0. 42	1. 16	0. 50	0. 90	1. 24

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6
8/8	0. 15	0. 88	0. 18	—	1. 90
9/8	—	0. 95	—	—	—
10/8	—	—	—	—	0. 29
11/8	—	—	—	—	—
12/8	—	—	—	—	—
13/8	0. 13	0. 25	0. 40	1. 10	0. 20
14/8	0. 67	0. 85	0.94	0. 56	0. 49
15/8	0. 60	0. 77	0. 35	0. 45	—
16/8	—	0. 61	0. 21	0. 70	—
17/8	0. 17	0. 59	0. 40	0. 58	—
18/8	—	—	—	—	—
19/8	—	—	—	—	—

परिशिष्ट ८

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २६८ का उत्तर देखिये)

क्र० सं०	संचालकों के नाम	फार्म की जमीन जो बोई गई		जमीन पड़त		योग		सरकार द्वारा सहायता दी गई	सहायता की तारीख	रकम जो वसूल हो गई	बकाया
		बीघा	बिस्वा	बिघा	बिस्वा	बीघा	बिस्वा	रुपया	सन्	रुपया	रुपया
१	२	३		४		५		६	७	८	९
१	श्री रामेश्वर पुत्र प्रेमनाथ, घसारी	३७८	८	६८	१६	४४७	४	६०००	१६–३–५२	६०००	—
२	श्री जगदीशसिंह पुत्र बलवन्तसिंह, गुमनपुरा	६१९	१३	३	१४	६२३	७	४६७०	१६–३–५२	४६७०	—
३	श्री निरंजनसिंह पुत्र केसरीसिंह, खादीपुरा	२०६	६	२३	१२	२३०	१	४०००	२१–३–५२	२२००	१८००
४	श्री नाथ पुत्र गोपाललाल, गोपालपुरा	२००	०	५०	०	२५०	०	६५४०	२६–६–५२	३८१६	५७२४
५	श्री अतरबेग पुत्र हसनबेग मिर्जा, कुन्डो	५००	०	—		५००	०	५०००	८–१०–५२	२६६५	२०३५
६	श्री नीसार अहमद, मोहम्मदखां, फालदी	—		३००.०		३००	०	७५००	१७–२–५३	—	७५००
७	श्री बालमुकन्द पुत्र रामनाथ, सवरगढ़	४०	०	२१०	०	२५०	०	५०००	३०-१०-५३	५००	४५००
८	श्री बलवन्तसिंह पुत्र सम्पूर्णसिंह, परा	९५०	०	२००	०	११५०	०	१००००	२१-१०-५३	४२१५	५७८५

Page No.126

१	२	३				४		५	६	७	८
९	श्री गोपालसिंह पुत्र सरदारसिंह, बारूनी	२८०	०	—		२८०	०	५६६५	३१–३–५५	१४२०	४२४५
१०	श्री माधोसिंह पुत्र सूरजसिंह, पुरा	५४०	०	१२५.०		६६५	०	६१४०	१–३–५६	१७१७	७४२३
११	श्रीमती हरफूलकुंवरबाई, लक्ष्मीपुरा	३००	०	१४०	०	४४०	०	६१५०	६–३–५६	३६०	५७६०
१२	श्री गुरुदीपसिंह पुत्र रामसिंह, ऊनी	६००	०	—		६००	०	४०००	१४–३–५२	४०००	—
१३	श्री रामपालसिंह पुत्र भीकाराम, चन्दलाई	४३८	८	११८१	१२	१६१०	०	१००००	२१-११-५४	२५००	७५००
१४	श्री नारायणलाल पुत्र मुरालाल, चेनट	२६७	०	—		२६७	०	७०००	६–२–५४	२१००	४६००
१५	श्री रुस्तमजी पुत्र कमालजी, कोटा जंक्शन	२२४	०	९६	६	३२०	६	५,०००	१५–३–५१	५०००	—
१६	श्री राजनारायणसिंह पुत्र इन्द्रसिंह, डीगोद	७००	०	—		७००	०	५०००	२५-११-५२	२५००	२५००
१७	श्री राजनारायणसिंह पुत्र इन्द्रसिंह, छावड़ा	९१५	१६	२२९	५	११४५	४	१५०००	३१–३–५४	१५०००	—
१८	श्री रतनलाल पुत्र चम्पालाल, अटरू	३७८	८	६८	१६	४४७	४	७५००	१५–३–५२	२५००	५०००
१९	श्रीभिन्नहरि पुत्र रामगोपाल, अटरू	२९२	६	३५३	१	६४५	७	५०००	१६–६–५२	१५००	३५००

परिशिष्ट ९

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४४७ का उत्तर देखिये)

राजस्थान नहर योजना द्वारा बाजार से खरीदे गये ट्रैक्टरों का विवरण

क्रम सं०	ट्रैक्टरों का निदर्शन और मैक	तादाद	कहां से	राशि
अ—क्रालर ट्रैक्टर				
१	ट्रैक मार्शल ट्रैक्टर एल ४। ४: ५०	४	मैसर्स मार्शल एन्ड सन्स लि० नई दिल्ली	२८, ५७५ रु० प्रति
२	फाउलर मार्शल ट्रैक्टर डीजर सज्जा सहित वी० एफ० ४० वी० यू० पी०	१		२६, ५६५ रु० ,,
३	इन्टरनैशनल ट्रैक्टर वी० टी० डी० ६	१	मै० वोल्टाज लि० बम्बई	३२, ००० रु० ,,
४	कॉन्टीनेन्टल ट्रैक्टर (जो अभी तक स्वीकृत नहीं हुए) अभी डाइरेक्टर जनरल सप्लाइज और डिस्पोजल नई दिल्ली द्वारा निरीक्षणाधीन हैं।	१०	मै० पाशाभाई पटेल एण्ड कं०, बम्बई	५०, ००० रु० ,,
ब—क्राउलर ट्रैक्टर (काम में लाए हुए)				
१	कैटरपिलर डी–७ ट्रैक्टर बुलडोजर एटेचमेंट सहित	१	मै० विलकाक्स (बकवेल इन्डिया) लि० नई दिल्ली	३७, ००० रु० ,,

स—व्हील टाइप ट्रेक्टर (नई सप्लाई)

१—एम० ए० एन० ४ एन० एल०	६	मै० गुडअर्थ एन्ड कं० दिल्ली	१४,७३० रु०	,,
२—एम० ए० एन० ४ आर २	२	मै० गुडअर्थ एन्ड कं० दिल्ली	१६,२२५ रु०	,,
३—एम० ए० एन० सी—४०।२। स	२	मै० राजस्थान एग्रीकल्चर कोरपोरेशन गंगानगर	१४,१५० रु०	,,
४—एम० ए० एन० सी ४० ए	१	मै० गुडअर्थ एन्ड कं० दिल्ली	१८,००० रु०	,,
५—चाईलार्स एम० आई० जैड ५ एल	४	मै० गाजियाबाद इन्जीनियरिंग कं० दिल्ली	११,६५० रु०	,,

———

परिशिष्ट १०

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४६० का उत्तर देखिये)

क्रम संख्या	नाम कर्मचारी	सहकारी विभाग में पद	सहकारी विभाग में आने से पूर्व के विभाग में पद	विशेष विवरण (सन्)
१	२	३	४	५
१	श्री कुन्दनलाल कपूर	सहायक रजिस्ट्रार	डिप्टी कस्टोडियन कस्टोडियन विभाग	१९५७
	कोई नहीं	इन्सपेक्टर (एग्जी)		
	कोई नहीं	इन्सपेक्टर (आडिट)		
	कोई नहीं	सहायक इन्सपेक्टर		
२	श्री दौलतमल अजमेरा	अपर डिविजन क्लर्क	अपर डिवीजन क्लर्क	
२A	श्री ललितकुमार	,,	U. D.C., I. F. A. Deptt.	
३	श्री जगनप्रसाद	,,	अपर डिवीजन क्लर्क सिविल सप्लाई विभाग	
४	श्री चम्पालाल	,,	अपर डिवीजन क्लर्क ट्रेनिंग सेन्टर एरनपुरा	
	कोई नहीं	लोअर डिवीजन क्लर्क		
	कोई नहीं	सहायक रजिस्ट्रार		१९५८
	कोई नहीं	इन्सपेक्टर (आडिट)		
	कोई नहीं	सहायक निरीक्षक		
५	श्री मोहनसिंह	अपर डिवीजन क्लर्क	अपर डिवीजन क्लर्क डिप्टी कलेक्टर जागीर उदयपुर	

Page No.130

१	२		३	४
६	श्री राजेन्द्रकुमार	,,	लोअर डिवीजन क्लर्क, सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, अलवर	
७	श्री बालकिशन	,,	सेक्रेटरियेट जयपुर (लोअर डिवीजन क्लर्क	
८	श्री मदनलाल पुरोहित	,,	इनफोर्समेन्ट इन्सपेक्टर, सिविल सप्लाई विभाग	
	कोई नहीं	लोअर डिवीजन क्लर्क		
९	श्री विश्वनाथसिंह	सहायक रजिस्ट्रार	सुपरिन्टेन्डेन्ट सोशियल वेलफेयर विभाग उदयपुर	
१०	श्री नाहरसिंह	,,	असिस्टेन्ट डाइरेक्टर पंचायत विभाग	
११	श्री पुरुषोत्तम कौशिक	इन्सपेक्टर (एग्जी)	डी०आई०जी० आफिस (पुलिस जयपुर) लोअर डिवीजन क्लर्क	१९५९
१२	श्री मेगराज चौधरी	,,	असिस्टेन्ट टीचर मिडिल स्कूल बाड़मेर	
१३	श्री हरफूलसिंह	,,	आडिटर कम सुपरवाईजर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड झुंझुनू	
१४	श्री गजेन्द्रसिंह	,,	लोअर डिवीजन क्लर्क इन्डस्ट्रीज विभाग	
१५	श्री करणकुमार	इन्सपेक्टर (आडिट)	एसिस्टेन्ट टीचर शिक्षा विभाग	
१६	श्री श्यामलाल	सहायक इन्सपेक्टर	असिस्टेन्ट टीचर मिडिल स्कूल, जोधपुर	
१७	श्री दुर्गाप्रसाद	,,	असिस्टेन्ट टीचर स्कूल, जालोर	
१८	श्री गोपाल प्रसाद	,,	अमीन सेटिलमेन्ट विभाग जयपुर	
१९	श्री मातादीन	,,	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीसहकारी विभाग। (मैट्रिक पास हो जाने के कारण)	
२०	श्री भूथालाल	,,	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सहकारी विभाग, (मैट्रिक पास हो जाने के कारण)	
२१	श्री गुलजारीलाल	,,	लोअर डिवीजन क्लर्क कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग, सीकर	
२२	श्री परसराम	,,	स्टोप मैन डिप्टी डाइरेक्टर एनीमल हस्बेन्ड्री जोधपुर	
२३	श्री पूनाराम	,, ,,	असिस्टेन्ट टीचर प्राइमरी स्कूल बन्दरोया (बाड़मेर)	

१	२		३	४
२४	श्री मिर्जा हबीब बेग	,,	मैनेजर लार्ज साइज्ड सहकारी समिति मितोदा ब्लॉक	
२५	श्री भीकमचन्द	,,	असिस्टेन्ट टीचर प्राइमरी स्कूल बहादुरला पो० सेमसर	
२६	श्री धनेशचन्द्र	,,	सीनियर कम्पाउन्डर आर० पी० ई० स्कीम कैम्प, सीकर	
२७	श्री श्योदानसिंह	,,	लोअर डिवीजन क्लर्क, कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार सहकारी विभाग, नागोर	
२८	श्री तारासिंह	,,	डवलपमेन्ट इन्सपेक्टर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड झुंझुनू	
२९	श्री हरिसिंह महर्षि	अपर डिवीजन क्लर्क	हैड क्लर्क महाराजाज़ कॉलेज जयपुर	
३०	श्री ताराचन्द जैन	,,	लोअर डीवीजन क्लर्क महाराजाज़ कॉलेज जयपुर	
३१	श्री जिनेन्द्रकुमार	,,	अपर डिवीजन क्लर्क कोम्पीटेन्ट आफिस	
३२	श्री प्रेमनारायण माथुर	,,	इलेक्शन विभाग सुपुरवाइजर	
३३	श्री भागचन्द जैन	,, (कम्प्यूटर)	रेवेन्यू लैन्ड रिकार्ड विभाग	
३४	श्री हरिशंकर नागर	,,	अपर डिवीजन क्लर्क इन्श्योरेन्स विभाग	
३५	श्री मदनलाल शर्मा	,,	अपर डिवीजन क्लर्क पंचायत विभाग	
३६	श्री सुरेशचन्द	लोअर डिवीजन क्लर्क	लोअर डिवीजन क्लर्क देवस्थान विभाग	
३७	श्री पुरुषोत्तम रस्तोगी	,,	लोअर डिवीजन क्लर्क कलेक्टरी टोंक	
३८	श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा	,,	लोअर डिवीजन क्लर्क कस्टोडियन विभाग	

शुद्धि-पत्र

(कार्य विवरण शुक्रवार, दिनांक १८ दिसम्बर, १९५९)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
३४०९	११	विद्यु त वन	विद्यु त, वन
,,	१४	श्री श्रीभनसिंह	श्री श्रीभानसिंह
३४११	१६	खरीटा गया	खरीदा गया
३४१८	९	श्री अयध्क्ष	श्री अध्यक्ष
३४१७-१८	अन्तिम से ३ (कॉलम २)	असिस्टेम्ट	असिस्टैन्ट
,,	अन्तिम से २ (कॉलम २)	कनिप्ट लेखक	कनिष्ट लेखक
,,	अन्तिम से २ (कॉलम ३)	साला खर्चा	सालाना खर्चा
३४१९	शीर्ष	सुखाड़ियां	सुखाड़िया
३४१९-२०	३ (कॉलम १)	चित्तौगढ़	चित्तौड़गढ़
,,	६ (कॉलम २)	कमचारी	कर्मचारी
३४२१	२	बैंग लों	बंगलों
,,	१२	टूरिस्ट वह	टूरिस्ट वहां
,,	अन्तिम से ६	आ ब	आप सब
३४२२	२	श्री मोहब्तसिंह	श्री मोहब्बतसिंह
,,	अन्तिम से २	द्वाग	द्वारा
३४२४	१	धारीवाल	धारीवाल
,,	३	ट्रेनिग	ट्रेनिंग
,,	१३-१६	रिखबचन्द्र	रिखबचन्द
,,	२३	मुरलीघर	मुरलीधर
,,	अन्तिम से २	पार्नर्स	पार्टनर्स
३४२६	अन्तिम	घुन:	पुन:
३४२७	१८	बहादुरसिंह	बहादुरसिंह
३४२९	५	बवाने	बनवाने
३४३०	अन्तिम से ५	इतनी दूध	इतना दूध
३४३२	१७	किगा गया	किया गया
३४३५	८	उसके सस्य	उसके सदस्य

१	२	३	४
३४३५		व्यक्यिों	यक्तियों
,,	१०	करें । उप	करें ।
,,	११	मंत्री उद्याग	मंत्री, उद्योग
३४३५	२४	श्री भैरासिंह	श्री भैरोंसिंह
,,	अन्तिम से ३	श्री रिखबन्द	श्री रिखबचन्द
३४३६	२४	बाद लान	बाद लोन
३४३७	१६	न के	देने के
,,	अन्तिम से ६	समझ जाय	समझा जाय
३४३९	१५	का गई	की गई
३४४१	अन्तिम से ६	देते क्या	देते हैं क्या
३४४६	१३	सन १९ ८	सन १९५८
,,	१५	≠	गुन्डागर्दी
३४४८	अन्तिम	यदि तो क्यों ?	यदि हां, तो क्यों ?
३४५०	अन्तिम से ६	कषि	कृषि
३४५१	४	कार्यवाहो	कार्यवाही
,,	अन्तिम से ४	सुवधाए	सुविधाए
३४५३	६	पत्ता का	पत्तों का
३४५४	२३	अकिकारी	अधिकारी
३४५६	२०	कृपणा	कृपया
३४५७	४	भम	भूमि
३४५८	१३	श्री दयाकष्ण	श्री दयाकृष्ण
३४५९	२०	श्री दयाकृष्ण	श्री दयाकृष्ण
३४६०	५	विजय	विजय
,,	१०	हो -ा है	होता है
३४६१	४	ड के	डी० के
३४६३	१५	f l f l	fulfil
३४६४	११	Questio	Question
,,	१२	ielgal	legal
,,	१८	This a	This is a
,,	१९	a is short	a short
,,	अन्तिम	is only	only
३४६५	२४	ptlintiaff	plaintiff

१	२	३	४
३४६५	२४	sauit	suit
३४६६	प्रथम	an inje·	an inj-
,,	८	विटडा	विश्डॉ
,,	२२ व २५ व ३१	इन्जेक्शन	इन्जंक्शन
,,	२३	पर है	पर ही
,,	२४	हेकर	होकर
३४६७	१ व ६	इन्स्टकशन्स	इन्सट्रक्शन्स
३४६७	प्रथम	मिर्धा	मिर्धा
३४६६	५	ill· eq-	ill rep-
३४७०	६	यह जाये	यह कहां जाये
,,	१४	स मेरा	श्री भैरोंसिंह : मेरा
३४७१	शीर्ष १६	Dequty	Deputy
३४७२	१६	श्री भीखभाई	श्री भीखाभाई
३४७५	अन्तिम से ५	आ अध्यत्त	श्री अध्यत्त
३४७७	१५	वली जाती	चली जाती
,,	१७	होता	होती
,,	अन्तिम से २	उनकी	उनके
३४७८	अन्तिम	करने का	करने की
३४८०	१६	तक न	तक नहीं
३४८१	२५	ग्रीगन्स	ग्रीवान्स
३४६०	प्रथम	चड़ी	चढ़ी
,,	अन्तिम	would	I would
३४६४	४	हीरा भा	हीरा भाई
,,	५	विधा सभा में बैठने	विधान सभा में बैठने
,,	अन्तिम से ५	महदयव	महोदय.
३४६५	१३	संशाधन	संशोधन
३४६७	१५	Pancaa	Pancha
३५००, ०१ व ३५०५	शीर्ष	श्रमदान	ग्राम दान
३५००	२	का मैं	को मैं
,,	अन्तिम से ३	कन्पियुजन	कन्फ्युज़न
३५०३	१३	के तहक	के तहत

१	२	३	४
३५०४	५	टनेन्सी	टिनेन्सी
३५०५, ०६	शीर्ष	१७ दिसम्बर	१८ दिसम्बर
३५०८	२०	की क	की डेफिनिशन
३५१३	७	कान्टोडिक्शन	कोन्ट्राडिक्शन
३५१५	७	से नगत्दान	से जगत्दान
,,	अन्तिमसे४व६	Honble	Hon'ble
३५१६	३	,,	,,
,,	५	it took	it too"
,,	६	Fou	Four
३५१७	२०	कन्ट्री–	कोन्ट्रा–
३५१६	२	Corurse	Course
,,	११	accdonmodate	accommodate
,,	२१	whethe	whether
,,	२२	Patti Dhaui pura	Patti, Dhani, pura
३५२३	शीर्ष	(श्री अध्यक्ष)	(श्री दामोदरलाल व्यास)
३५३०	२२	कोआर्शन	कोअर्शन
,,	अन्तिम से २	प० के०	पी० के०
३५३१	२–३	कोआदर्शन	कोअर्शन
,,	३	कोआर्शन	कोअर्शन
३५३२	६	हो गया।	हो गई।
३५३६	१५	वाजी समाज	वादी समाज
,,	अन्तिम	नहा	नहीं
३५४१	२०	लाटानी	लोटानी
३५४६	१२	श्र दामोदर	श्री दामोदर
३५४६	अन्तिम से १०	न हा	न हो
,,	,, ,, २	मेजोनेरिटी	मेजोरिटी
३५६३	६	लोगों मेजोरिटी	लोगों की मेजोरिटी
,,	१३	मेजोरटी	मेजोरिटी
३५६५	८	कन्ट्रं में	कन्ट्री में
३५६६	१६	। की गई	प्रदान की गई
३५७०	अन्तिम से २	as a re	'as are
३५७३	५	subsiture	substitute
,,	१२	sanctiontd	sanctioned

१	२	३	४
३५७३	अन्तिम से ६	मैं उसकी	मैं उनकी
३५८१	,, ,, २	अस्पेक्टस	ऑस्पेक्ट्स
३५८३	१५	कम्पशन कानून	कम्पल्शन का
३५८४	अन्तिम से ५	disurbed	disturbed
,,	,, से१०	जि प्रकार	जिस प्रकार
३५८८	११	Chig Kal	chiang Kai
३५९३	३	विचारधार	विचारधारा
,,	११	मकान व	मकान बनावें
३५९७	८	किया कि	किया कि
,,	अन्तिम से ५	सत्ना	सत्र
३५९८	,, ,, ४	कया है	किया है
३६०३	१६	नम्बरार	नम्बरदार
३६०४	शीर्ष	विधेयक, ३६	विधेयक, ५६
३६०५	११	प्रागण	प्रांगण
३६०६	२	फर्मिंग	फार्मिंग
,,	१६	माइनोरटी	माइनोरिटी